तम्बाकू बोर्ड भारत

TOBACCO BOARD INDIA

# तम्बाकू बोर्ड

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2024 - 2025

# कोई

किस्म
स्वभाव
परिमाण
समय

**सबसे अधिक प्रतियोगी कीमतों पर !!!**
**भारतीय तम्बाकू के सही मिश्रण का स्वाद और महक का अनुभव करें ।**

भारत-उत्कर्ष तम्बाकू की विस्तृत
श्रृंखला के लिए एक मात्र गन्तव्य स्थान

तम्बाकू बोर्ड भारत
TOBACCO BOARD INDIA
An ISO 9001 : 2015
Certified Organisation


## तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुण्टूर - 522 004 (आं.प्र), भारत / फोन : +91 863 2358399, 2358499
ई-मेईल : info@tobaccoboard.co.in वेबसाईट : www.tobaccoboard.com

# विषयसूची


| | | |
|---|---|---|
| बोर्ड संघटन | | 5 |
| वरिष्ठ प्रबंध | | 6-7 |
| 2024-25 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन | | 8 |
| 2024-25 के दौरान उपलब्धियाँ | | 9 |
| 2024-25 के दौरान बैठकें | | 10-11 |
| दि. 31/03/2025 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण | | 12 |
| तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट | | 13 |

**फसल योजना & नियंत्रण**

| | | |
|---|---|---|
| I. | भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ | 14 |
| II. | 2024-25 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति | 14-15 |
| III. | 2024-25 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ | 15 |
| IV. | 2024-25 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ | 15-16 |
| V. | अनुज्ञाप्तित बखारों की शिफ्टिंग | 16 |
| VI. | 2024-25 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्रफल तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा | 16-17 |
| VII. | उत्पादन नियंत्रण अभियान | 17 |
| VIII. | 2024-25 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण | 18 |
| IX. | 2024-25 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट | 18-20 |
| X. | 2024-25 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट | 20-22 |
| XI. | 2024-25 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री | 22 |
| XII. | रीस्ट्रक्चर्ड वातावरण आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अन्तर्गत एफसीवी तम्बाकू फसल को अन्तर्वेशन | 22-23 |
| XIII. | तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रोत्साहन | 23 |
| XIV. | किसानों को उत्पादन संबंधित सेवाएँ | 23-24 |
| | आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण | 25-28 |
| | कर्नाटका में 2024-25 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण | 29 |

**विस्तार और परामर्श सेवाएँ**

| | | |
|---|---|---|
| I. | विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति | 30-33 |
| II. | फार्म यांत्रिकीकरण | 34 |
| III. | संपोषित तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) सूत्रपात्रों के द्वारा तम्बाकू की उपज और गुणता की वृद्धि से संबंधित विस्तार और विकास योजनाएँ | 34-37 |

| | | |
|---|---|---|
| IV. | क्यूरिंग और ग्रेडिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय | 38-39 |
| V. | पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय | 40-41 |
| VI. | प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण | 41-46 |
| VII. | ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण | 47 |
| VIII. | नमूना परियोजना क्षेत्र | 47 |
| IX. | एनआईपीएचएम और तम्बाकू बोर्ड के बीच सहयोग के लिए एम यो यू | 48 |
| X. | प्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ | 48-49 |
| | 2024-25 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वियन पर व्यय | 50 |
| | 2024-25 फसल मौसम-विस्तार&विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ | 51-52 |
| | 2024-25 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों को कवरेज | 53-55 |

**तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम** 56

**ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)**

| | | |
|---|---|---|
| I. | तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि | 57 |
| | योजना का आरंभ से दि.31/03/2025 तक अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मंजूर वित्तीय सहायता को दर्शनेवाले विवरण | 58 |

**प्लेटफार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ**

| | | |
|---|---|---|
| I. | आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ | 59-62 |
| II. | कर्नाटका में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ | 62-65 |
| III. | आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ | 65-67 |
| IV. | 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित कुल तम्बाकू का कुल परिमाण | 67 |
| | दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण | 68-69 |
| | 2024-25 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2025 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण | 70 |
| | 2024-25 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2025 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण | 71 |
| | 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी वार एफसीवी खरीदी विवरण | 72-74 |

## व्यापार स्कंध


| | | |
|---|---|---|
| I. | प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलरों के रूप में पंजीकरण | 75 |


## भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात


| | | |
|---|---|---|
| I. | भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण | 76-89 |


## राजभाषा कार्यान्वयन


| | | |
|---|---|---|
| I. | राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशालाएँ | 90-91 |


## वित्त एवं लेखा


| | | |
|---|---|---|
| I. | आंतरिक संपत्तियाँ | 92 |
| II. | बजट आकलन | 92-93 |
| III. | दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट | 94-97 |
| IV. | तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2025 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र | 98 |
| | 31 मार्च, 2025 अंत तक अवधि/वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा | 99 |
| | उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र) | 100-102 |
| | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान | 103-111 |
| | अनुसूची - 24 : दि.31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 112-116 |
| | अनुसूची - 25 : दि.31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट | 116-119 |
| | लेखाओं पर टिप्पणी | 119-128 |
| | 2012-13 से 2024-25 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण | 129 |
| | संकेताक्षर | 130 |

## बोर्ड संघटन (दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

**धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

श्री चिडिपोतू यश्वंत कुमार, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

**धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

श्री अरविंद धर्मपुरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) (दि.31/01/2023 से 05/06/2024 तक)
श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) (दि.31/01/2023 से 05/06/2024 तक)
श्री जी.वी.एल.नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) (दि.13/01/2022 से 02/04/2024 तक)
श्री पुट्टा महेश कुमार, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) (दि.25/02/2025 से अब तक)
श्री तिरु डी.एम. कतिर आनंद, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) (दि.25/02/2025 से अब तक)
डॉ. के. लक्ष्मण, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) (दि.25/02/2025 से अब तक)

**धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि से संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
श्री अभिमन्यू कुमार, भा.प्र.से., निदेशक(वाणिज्य से सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
डॉ. सी. वनलालराम संगा, आर्थिक सलाहकार (वित्त से सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
श्रीमती संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास से सम्बधित), भारत सरकार, उद्योग प्रोन्नति और आंतरिक व्यापार विभाग (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
श्री मागंटी शेषु माधव, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था, राजमहेन्द्रवरम (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
श्री एस.जे. सोलंकी, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
डॉ. जी.टी. पुत्रा, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)
श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार (दि. 31/12/2021 से 30/12/2024 तक)

**धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

रिक्त, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार ।
रिक्त, निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिषा सरकार ।

**धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

श्री एच.सी. बसवराज
श्री मारेड्डी सुब्रहमण्येश्वर रेड्डी (दि. 02/03/2022 से 01/03/2025 तक)
श्री पोद वरप्रसाद राव
श्री एच.आर. दिनेश
श्री मिट्टपल्ली रमेश बाबू
श्री कोप्परावुरी रमेश बाबू
श्री विक्रम राज, जी.सी.
श्री बोड्डुपाटी ब्रह्मय्या
श्री गुत्ता वासु बाबू
श्री बी. रमेश पाई

**धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

डॉ. नादेड्ला विजय लक्ष्मी, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार । (दि.31/12/2021 से 30/12/2024 तक)

**धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया**

डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर । (दि.11/03/2025 तक)
श्री श्रीनिवास बी.सी., भा.रा.से., कार्यपालक निदेशक (प्रभारी), तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर (दि.12/03/2025 से 18/03/2025 तक)
श्रीमती विश्वश्री बी., भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर (दि.19/03/2025 से अब तक)

## वरिष्ठ प्रबंध (दि. 31/03/2025 तक)

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | चिडिपोतू यशवंत कुमार (दि. 2/11/2023 से अब तक) |
| कार्यपालक निदेशक | डॉ. श्रीधर बाबू अद्दंकि, भा.प्र.से., (दि. 11/03/2025 तक)<br>श्री श्रीनिवास बी.सी., भा.रा.से., (दि. 12/03/2025 से 18/03/2025 तक)<br>श्रीमती विश्वश्री. बी., भा.प्र.से., (दि. 19/03/2025 से अब तक) |
| निदेशक (नीलाम) | श्रीमती एम. अश्वनी नायुडू, भा.वि.से., निदेशक (नीलाम) (दि. 06/10/2024 तक)<br>श्री श्रीनिवास बी.सी., भा.रा.से., निदेशक (नीलाम) (दि.07/10/2024 से अब तक) |
| प्रबंधक (नीलाम) & सचिव (प्रभारी) | श्री डी. वेणुगोपाल (दि. 01/07/2022 से अब तक) |
| प्रबंधक (विपणन और निर्यात) | श्री बी. श्याम प्रसाद (दि. 28/02/2025 तक)<br>श्री बी. मारन्ना (प्रभारी) (दि. 01/03/2025 से) |
| प्रबंधक (उत्पादन) | डॉ. एम. कृष्ण श्री (दि. 31/12/2024 तक)<br>श्री जी. बुल्ली सुब्बाराव (दि.01/01/2025 से 28/02/2025 तक)<br>श्री के.वी. रामान्जनेयुलू (दि.01/03/2025 से) |
| प्रबंधक (विस्तार) | श्री जी. दामोदर (दि. 31/03/2025 तक) |
| प्रबंधक (ग्रो क नि) | श्री बी. मारन्ना |
| प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी) | श्रीमती एम. रत्नबायम्मा (दि.30/09/2022 से अब तक) |
| प्रबंधक (व्यापार स्कंध) | श्री एच.के. गोपाल (दि.10/01/2025 तक)<br>श्री बी. श्याम प्रसाद (दि.11/01/2025 से 28/02/2025 तक)<br>श्री बी. मारन्ना (दि.01/03/2025 से) |
| प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि&दहमि), ओंगोल | डॉ. एम. कृष्ण श्री (दि. 31/12/2024 तक)<br>श्री जी. बुल्ली सुब्बाराव (दि.01/01/2025 से 14/01/2025 तक)<br>श्री एम. लक्ष्मण राव (दि.15/01/2025 से 31/03/2025 तक) |
| प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर) | श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव (दि. 29/09/2024 तक)<br>श्री एम. लक्ष्मण राव (दि.30/09/2024 से 13/01/2025 तक)<br>श्री एच.के. गोपाल (दि. 13/01/2025 से) |
| प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियपट्ना) | श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव (दि. 01/08/2023 से 29/09/2024 तक)<br>श्री एम. लक्ष्मणराव (दि.30/09/2024 से 13/01/2025 तक)<br>श्री एच.के. गोपाल (दि. 13/01/2025 से) |
| प्रादेशिक प्रबंधक (उहमि, राजमहेन्द्रवरम) | श्री एम. आदिशेषय्या (दि. 30/06/2024 तक)<br>श्री जी.एल.के. प्रसाद (प्रभारी) (दि.01/07/2024 से अब तक) |
| ओ.एस.डी. (सतर्कता दल) | श्री एस. रामाराव (दि. 20/09/2023 से 31/03/2025 तक) |
| सहायक प्रबंधक (यो व स) और कार्मिक अधिकारी | श्री वाई.वी. नमःशिवय्या (दि.31/08/2024 तक)<br>श्री आई. रवि कुमार (दि.01/09/2024 से अब तक) |

## कर्मचारी गण

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : **51**
मध्य श्रेणी प्रबंध : **55**
कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : **107**
कुल : **213**

डाक पता :

**तम्बाकू बोर्ड**
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पोस्ट बॉक्स नं.322, श्रीनिवासराव तोटा, जी.टी.रोड, गुण्टूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

दूरभाष सं 0863-2358399
ई-मेल & वेबसाईट : info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

# कारपोरेट शासन

**यशवंत कुमार सीएच.**
अध्यक्ष

**विश्वश्री बी,** भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक

**श्रीनिवास बी.सी.,** भा.रा.से.,
निदेशक (नीलाम)

**डी. वेणुगोपाल**
प्रबंधक (नीलाम)/
सचिव (प्रभारी)

**बी. मारन्ना**
प्रबंधक (ग्रो.क.नि)
प्रबंधक (विपणन & निर्यात) &
प्रबंधक (व्यापार स्कंध) (प्रभारी)

**के.वी. रामांजनेयुलू**
प्रबंधक
(उत्पादन) (प्रभारी)

**जी. दामोदर**
प्रबंधक
(विस्तार)

**एम. रत्नबायम्मा**
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)
(प्रभारी)

**एम. लक्ष्मण राव**
प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी)
दकामि&दहमि, ओंगोल

**जी.एल.के. प्रसाद**
प्रादेशिक प्रबंधक
(प्रभारी)
उहमि, राजमहेन्द्रवरम

**एच.के. गोपाल**
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर & पेरियपट्ना
(प्रभारी)

## 2024-25 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, ''तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975'' के तहत, तम्बाकू उद्योग की सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी । बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन करना है ।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यक फसलों में एक हैं । वर्ष 2024-25 के दौरान, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 46.00 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ **16,728.02** करोड रूपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है । भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा बडा देश और अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में विश्व में मूल्य के शब्दों में और गुणता के शब्दों में दूसरा बडा निर्यातक देश है । भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। 2024-25 के दौरान भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त में **127** से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है । एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहमि) में किया जाता है । भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस), गुणता न्यूट्रल फिल्लर (कहमि & दहमि) और अच्छे फिल्लर (टीबीस) प्रकारों का उत्पादन होता है । तम्बाकू बोर्ड ने 2024-25 फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 267 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था । तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ **358.07** लाख की राशि व्यय की है । बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में, जो 2023-24 वर्ष के दौरान ₹ **238.91** प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित **263.18** मिलियन कि.ग्रा. के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ **283.69** प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में **288.39** मि.कि.ग्रा. (दि.31/03/2025 तक कर्नाटका में **81.90** मि.कि.ग्रा & आन्ध्र प्रदेश में **206.49** मि.कि.ग्रा) का विपणित किया था । भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य के श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करती है । 2023-24 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में, 2024-25 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात **1,979.00** मिलियन यूएस डालरों से **36.53%** की वृद्धि दर्ज हुई और 2024-25 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त की है ।

ग्रोयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से सबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया था और यह प्रमाणपत्र 18/03/2028 तक मान्य है ।

## 2024-25 के दौरान उपलब्धियाँ

2024-25 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का अब तक का सबसे उच्चतम निर्यात यूएस $ 1,979 मिलियन रहा, जो 2023-24 में निर्यात यूएस $ 1,449.54 मिलियन की तुलना में 37% की वृद्धि के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मूल्य की दृष्टि में, तम्बाकू निर्यात ₹ 16,728 करोड की विदेशी मुद्रा आर्जन किया, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्र में (बास्केट) इस क्षेत्र का निरंतर महत्व और किसानों, व्यापारी वर्ग और अन्य संबंधित उद्योग वर्गों को इसके समर्थन की पुष्टि होती है।

यह उपलब्धि भारतीय तम्बाकू के लिए लचीलापन, प्रतिस्पर्धात्मकता और विश्व स्तर पर मजबूत माँग को दर्शाती है। यह तम्बाकू बोर्ड की उन प्रयासों को रेखांकित करती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं और निर्यात वृद्धि और विदेशी मुद्रा प्रवाह में योगदान देते हैं।

बोर्ड ने 2024-25 के दौरान, एफसीवी तम्बाकू के लिए एक पारदर्शी, पूर्णरूपी इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली को जारी रखी। कुल 288.39 मिलियन कि.ग्रा. तम्बाकू की विपणन हुई, और ग्रोयरों को ₹ 411 प्रति कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य के साथ, ₹ 283.69 प्रति कि.ग्रा. रिकार्ड औसत मूल्य प्राप्त हुआ था। ग्रोयरों के हितों की रक्षा के लिए, बिक्री प्रोसीडों को नौ दिनों के अंदर सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया गया। बोर्ड ने सभी हितधारकों के लिए बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने हेतु नीलाम संरचना को भी उन्नत (अपग्रेड) किया था।

प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों की अनुक्रिया में, बोर्ड ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा आन्ध्र प्रदेश (2023-24) और कर्नाटका में (2024-25) साधारण सेवा शुल्क पर किसी जुर्माना के बिना पंजीकृत ग्रोयरों को अतिरिक्त एफसीवी तम्बाकू को बेचने के लिए अनुमति दी। इस कदम से प्रभावित ग्रोयरों की आर्थिक तनाव स्थिति कम हुई थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एफसीवी तम्बाकू के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना को विकसित करने के लिए गठित कार्य समूह/विशेषज्ञ समिति ने प्ररूप टर्म शीटों को फैनलैज कर दिया है।

## 2024-25 के दौरान बैठकें

### क) सांविधिक बैठकें

दो बोर्ड की बैठकें और चार समिति की बैठकें संपन्न हुए।

**बोर्ड बैठकें :**

1. बोर्ड की 163वीं बैठक मिश्रित विधान द्वारा दि. 19 जुलाई, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाहन् 11.30 बजे संपन्न हुई।
2. बोर्ड की 164वीं बैठक मिश्रित विधान द्वारा दि.24 फरवरी, 2025 (सोमवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे को संपन्न हुई ।

**ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :**

1. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 101वीं बैठक दि.19/07/2024 (शुक्रवार) को अपराहन् 2.00 बजे हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई ।
2. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 102वीं बैठक दि.30/12/2024 (सोमवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई ।
3. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 103वीं बैठक दि.24/02/2025 (सोमवार) को अपराहन् 3.00 बजे हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई ।

**व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :**

1. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 49वीं बैंठक दि. 27/09/2024 (शुक्रवार) को पूर्वाहन् 11.30 बजे हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई ।

### ख) असांविधिक बैठकें :

1. 'गोदाम प्रबंध' पर चर्चा करने भा.तं.सं. & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.28/05/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न्न हुई ।
2. कर्नाटका में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने कर्नाटका ग्रोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.05/09/2024 को वर्चुवल विधान द्वारा मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न्न हुई ।
3. 2024-25 कर्नाटका चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.03/12/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न्न हुई ।
4. आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने ग्रोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.25/02/2025 को रैतु भवन, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न्न हुई ।

दि. 19/07/2024 को गुण्टूर में संपन्न 163वीं बोर्ड बैठक में श्री चिडिपोतु यशवंत कुमार, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड और डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और बोर्ड के सदस्य भाग लिये थे ।

दि. 24/02/2025 को गुण्टूर में संपन्न 164वीं बोर्ड बैठक में श्री चिडिपोतू यशवंत कुमार, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड और डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और बोर्ड के सदस्य भाग लिये थे ।

## 31/03/2025 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

| क्रम संख्या | पद का नाम | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | मंजूर | मौजूदा |
| | **ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध** | | |
| 1 | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| 2 | कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| 3 | निदेशक (नीलाम) | 1 | 1 |
| 4 | सचिव | 1 | 0 |
| 5 | प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक | 10 | 4 |
| 6 | उप प्रबंधक (लेखा) | 1 | 0 |
| 7 | नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ | 55 | 42 |
| 8 | सहायक प्रबंधक (लेखा) | 33 | 2 |
| 9 | सांख्यकीय अधिकारी | 1 | 0 |
| 10 | सिस्टम विश्लेषक | 1 | 0 |
| | **उप कुल** | **105** | **51** |
| | **ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध** | | |
| 11 | प्रोग्रामर | 1 | 0 |
| 12 | हिंदी अधिकारी | 1 | 0 |
| 13 | नि.स., अध्यक्ष | 1 | 0 |
| 14 | क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक | 88 | 34 |
| 15 | वरिष्ठ अनुवादक | 1 | 1 |
| 16 | आशुलिपिक ग्रेड - I | 1 | 0 |
| 17 | लेखाकार | 33 | 18 |
| 18 | वरिष्ठ अन्वेशक | 1 | 0 |
| 19 | सहायक | 13 | 0 |
| 20 | संख्यिकीय सहायक | 1 | 1 |
| 21 | रखवाला (केयरटेकर) | 1 | 0 |
| 22 | आशुलिपिक ग्रेड - II | 3 | 1 |
| 23 | विशेष श्रेणी चालक | 1 | 0 |
| | **उप कुल** | **146** | **55** |
| | **ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध** | | |
| 24 | कम्प्यूटर प्रचालक | 27 | 9 |
| 25 | आशुलिपिक ग्रेड - III | 4 | 3 |
| 26 | उद्य श्रेणी लिपिक (उ.श्रे.लि) | 43 | 13 |
| 27 | वरिष्ठ क्षेत्र सहायक | 45 | 2 |
| 28 | क्षेत्र सहायक | 158 | 23 |
| 29 | निम्न श्रेणी लिपिक (नि.श्रे.लि) | 52 | 33 |
| 30 | हिन्दी टंकक | 2 | 1 |
| 31 | चालक | 31 | 6 |
| 32 | गेस्टेटनर ऑपरेटर | 1 | 0 |
| 33 | बहु कार्य कर्मचारी | 140 | 17 |
| | **उप कुल** | **503** | **107** |
| | **महायोग** | **754** | **213** |

# तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट

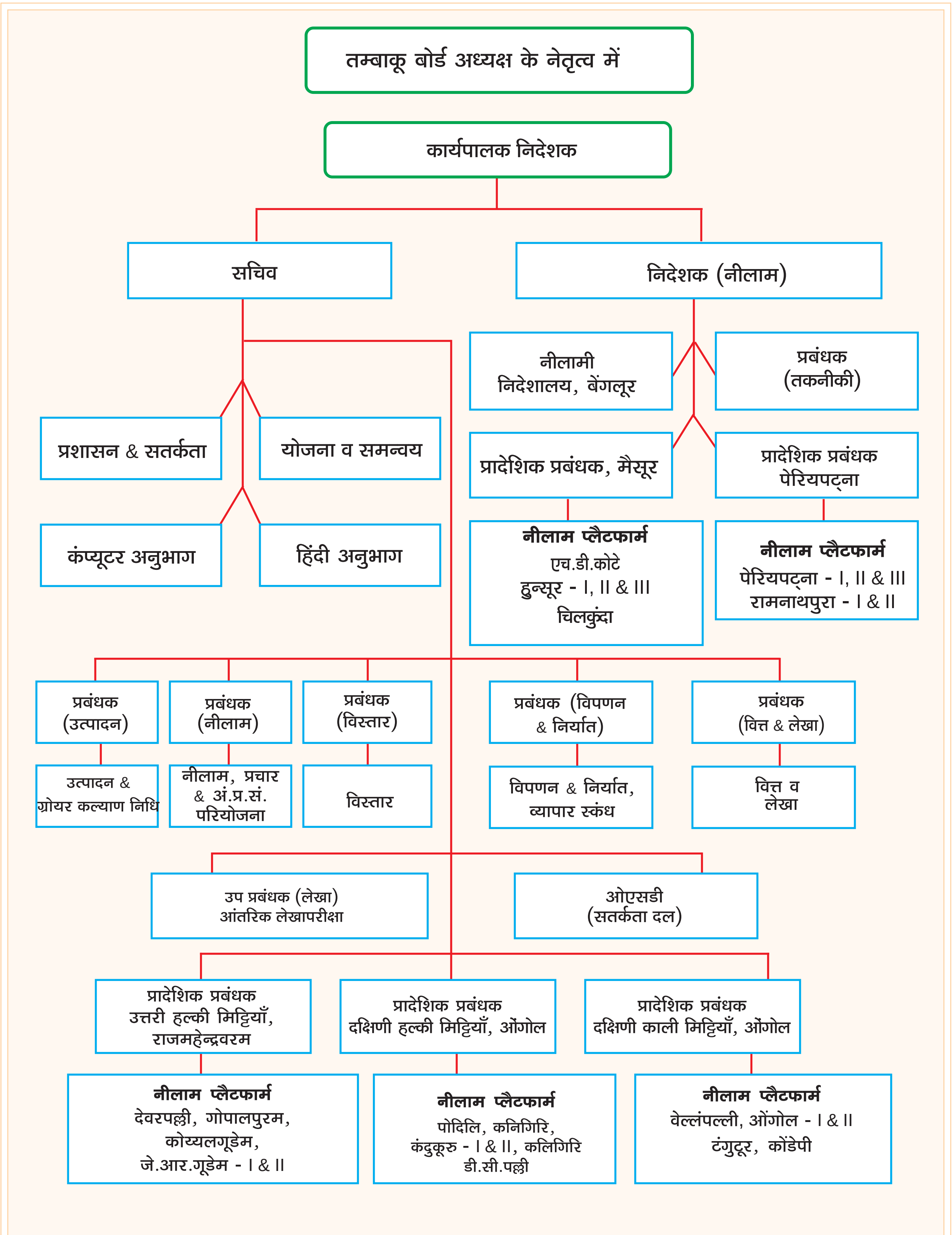

## फसल योजना और नियंत्रण

### I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छःवर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढता जा रहा हैं । यह विस्तृत अस्थिर वातावरण उपज पर प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करती है। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2019-20 से 2023-24 तक) और इस वर्ष 2024-25 के 5.59% को मिलाकर 5.31% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्ज किया है ।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)

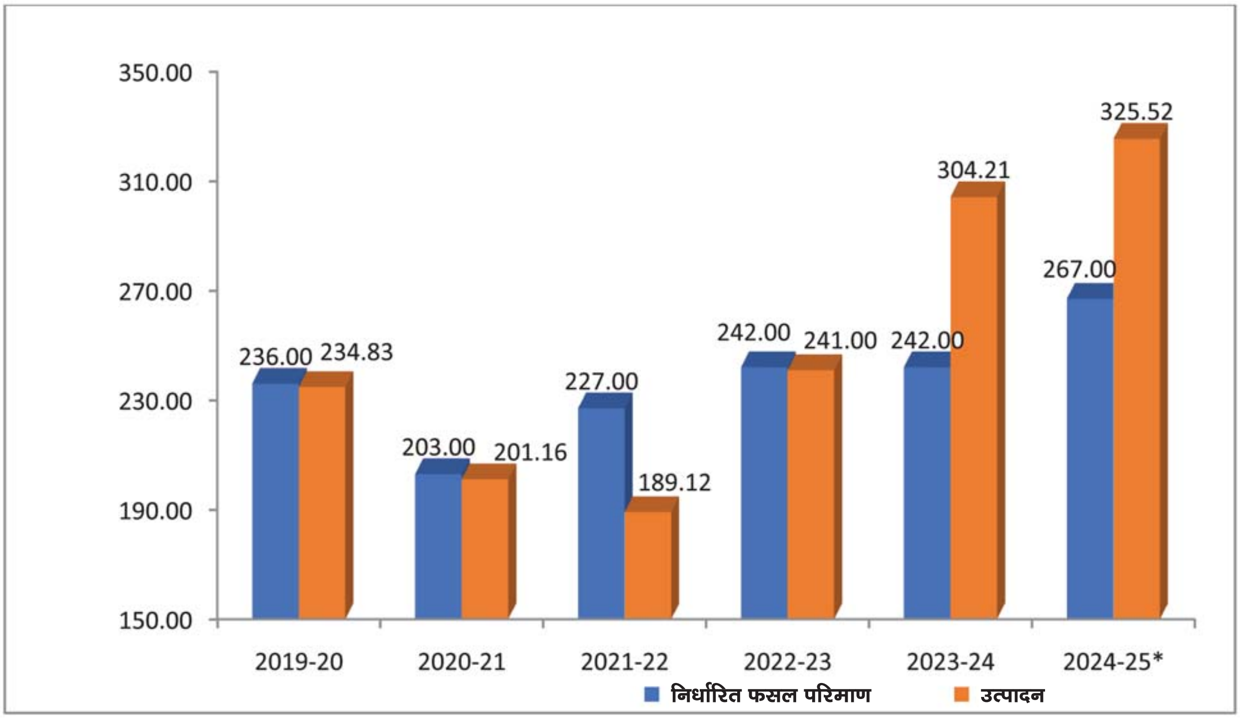


* अनुमानित

### II) 2024-25 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के दौरान निर्धारित कुल फसल परिमाण 242.00 मिलियन कि.ग्रा. के लिए 2024-25 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 267 मिलियन कि.ग्रा. का कुल फसल निर्धारित किया था । दि.16/02/2024 को संपन्न अपनी 162वीं बोर्ड बैठक में 2024-25 फसल मौसम के लिए कर्नाटका राज्य के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया गया था। दि.19/07/2024 को संपन्न अपनी 163वीं बोर्ड बैठक में 2024-25 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में 167 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया गया था । मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2023-24 की तुलना से 2024-25 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार है :

| मिट्टी क्षेत्र | 2024-25 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा) | 2023-24 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा) |
|---|---|---|
| उहमि क्षेत्र | 58.25 | 49.48 |
| दहमि क्षेत्र | 56.01 | 48.33 |
| दकामि क्षेत्र | 49.26 | 41.65 |
| उकामि क्षेत्र | 3.48 | 2.54 |
| **उपयोग** | **167.00** | **142.00** |
| कहमि क्षेत्र | 100.00 | 100.00 |
| **सर्वयोग** | **267.00** | **242.00** |

## III) 2024-25 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2024-25 फसल मौसम के दौरान उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण को दृष्टि रखने के साथ-साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू की खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना इस नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना ।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य को सुनिश्चित कर सके ।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति नहीं देना । इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना ।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किये थे और अप्रधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना ।

## IV) 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टितयाँ :

2024-25 फसल मौसम के दौरान, ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे ।

- 2023-24 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को वर्ष 2024-25 में, बशर्ते कि ग्रोयरों एक फिट बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।

- नये बखारों को निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्रोयर को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा। (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा ।)
- ग्रोयरों, जिन्होंने 2023-24 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/ अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों को न प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तो को पूरा करना होगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2023-24 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटनों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मो में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2023-24 फसल मौसम केलिए पंजीकृत किये थे, लेकिन फार्म-III रिटर्नों में घोषित कोटा से 25% से कम और 50% कोटा को बिक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्मानाओं को भुगतान करने के अधीन रजिस्ट्रेशन केलिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार का धारक हो, को (अपनी) अप्राधिकृत बखार को डिसफक्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।
- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञप्तित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञाप्ति के लिए माँग/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2024-25 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।

## V) अनुज्ञप्तित बखारों की शिफ्टिंग :

- कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में 2024-25 फसल मौसम के दौरान उसी मिट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा या बिक्री के माध्यम से नया बखार के निर्माण के बदले में या अप्रधिकृत बखारों की नियमितीकरण के बदले में अनुज्ञप्तित बखारों की रिफ्टिंग करने के लिए अनुमति है ।

## VI) 2024-25 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2024-25 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

### आन्ध्र प्रदेश :

दि.19/07/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न अपनी 101वीं रजिस्ट्रेशन समिति की बैठक में, आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रति बखार उत्पादन परिमाण को निर्धारित किया था । बाद में ग्रोयरों को, जो तम्बाकू को रोपित किये थे, को शून्य रोपित ग्रोयरों की कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को वितरित किये गये थे और शून्य रोपित ग्रोयरों की कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को वितरित करने के बाद 2024-25 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार अंतिम प्रति बखार के लिए प्राधिकृत कोटा निम्नानुसार रहा है :

| मिट्टी क्षेत्र | पंजीकृत क्षेत्र (हे.) | | उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024-25 | | 2023-24 | |
| | 2024-25 | 2023-24 | प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.) | शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम प्राधिकृत कोटा | प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.) | शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम प्राधिकृत कोटा |
| उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि) | 1.75 | 1.60 | 4125 | 4165 | 3500 | 3540 |
| दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि) | 3.37 | 2.90 | 4275 | 4295 | 3650 | 3690 |
| दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि) | 2.22 | 1.90 | 4175 | 4190 | 3550 | 3590 |
| उत्तरी काली मिट्टी (उकामि) | 1.84 | 1.10 | 3529 | 3539 | 2094 | 3400 |

* उहमि में पूहमि भी शामिल है ।

**कर्नाटका :**

2024-25 के दौरान प्रारंभ में कर्नाटका में प्रति सिमप्लेक्स बखार के लिए 1715 कि.ग्रा. को उत्पादित कोटा को निर्धारित किया था । शून्य रोपित ग्रोयर कोटा को 2024-25 फसल मौसम के लिए रोपित पंजीकृत ग्रोयरों को वितरित किया गया था और शून्य रोपित ग्रोयर कोटा को आबंटन करने के बाद संशोधित कोटा विवरण निम्नानुसार है :

| बखार | पंजीकृत क्षेत्र (हे.) | | उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024-25 | | 2023-24 | |
| | 2024-25 | 2023-24 | प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.) | बचा हुआ शून्य रोपित ग्रोयर कोटा वितरण के बाद अंतिम कोटा (कि.ग्रा.) | प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.) | शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & तीन वर्षों से अधिक के लिए ब्रेक-इन-रजिस्ट्रेशन वाले बखारों से प्राप्त बचा हुआ कोटा को वितरण करने के बाद अंतिम कोटा |
| सिमप्लेक्स बखार | 1.70 | 1.40 | 1806 | 1828 | 1715 | 1827 |
| डुप्लेक्स वखार | 3.40 | 2.80 | 3612 | 3656 | 3430 | 3654 |

## VII) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2024-25 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये थे । 2024-25 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में गाँवों में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 88 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 81 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये थे ।

### VIII) 2024-25 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2024-25 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू की खेती के लिए 91,048.51 बखारों को कबर करते हुए कुल मिलाकर 83,544 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे । इसमें आन्ध्र प्रदेश में (दि.31/03/2025 तक) 39,611.51 बखारों को कवर करते हुए 43,041 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए प्राधिकृत 95,243.61 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 1,17,492.11 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था । कर्नाटका में 51,437 बखारों को कवर करते हुए 40,503 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत प्राधिकृत 87,442.90 हे. क्षेत्र के लिए 69,049.30 हे. क्षेत्र मे. रोपण हुआ था ।

2024-25 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रोयरों के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र और 2023-24 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण **पृष्ठ सं. 24** से **28** तक दिये गये ।

### IX) 2024-25 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

#### नर्सरी :

नर्सरी बेडों में बीजों की बुआई फरवरी की द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ हुई और अप्रैल, 2024 की अंतिम सप्ताह को समाप्त हुई । 2024-25 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 527.67 हेक्टार था, जो पूर्व वर्ष की (587.20 हे.) की तुलना में 10.14% कम हुई । अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रे नर्सरी को अपनाये थे । नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था।

सीएच-3 एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो कुल बोआई नर्सरी क्षेत्र में याने., 335.02 हे. से लगभग नर्सरी क्षेत्र में 63.49% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ कंचना और एफसीएच-222 संकर और अन्य किस्मों क्रमशः 134.39 हे. (25.46%), 58.23 हे. (11.03%) और 0.03 हे. (0.01%) क्षेत्र में बोआई हुए थे ।

#### प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में प्रतिरोपण अप्रैल महीने में शुरू हो गई है और अधिकांश प्रतिरोपण मई अंत तक समाप्त हुई है । प्रधान क्षेत्र में पौधों की संस्थापन अच्छी रही है । 2024-25 के दौरान, कर्नाटका में कुल 69,049.30 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू का रोपण हुआ था, जो पूर्व वर्ष में रोपित 63,404.25 हे. की तुलना में 8.90% अधिक रहा है । कुल रोपित क्षेत्र में से लगभग 43,874.02 हे. (63.54%) सीएच-3 किस्म के अंतर्गत रहा है, कंचना (28.43%) के अन्तर्गत 19,627.28 हे. और एफसीएच-222 (8.02%) के अन्तर्गत 5,540.30 हे. क्षेत्र और अन्य किस्मों (0.01%) के अन्तर्गत 7.70 हे. क्षेत्र रहा है ।

| प्लानटेशन की स्थिति | 2024-25 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक) | 68164.00 | 98.72 | 63289.05 | 99.82% |
| मध्य प्लानटेशन (15 जून तक) | 285.40 | 0.41 | 10.00 | 0.02% |
| विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद) | 599.90 | 0.87 | 105.20 | 0.16% |
| **कुल** | **69049.30** | **100.00** | **63404.25** | **100.00** |

## कर्नाटका में फसल की वृद्धि :

इस वर्ष में अधिकाधिक फसल प्रारंभ में रोपित किया गया था । प्रारंभ की स्थिति में फसल अच्छी तरह स्थापित हुई । बाद में मई, जून और जुलाई, 2024 महीनों की फसल की वृद्धि अवधि के दौरान भारी वर्षा की स्थिति, जिससे फार्म प्रचालनों में देरी हुई है, के परिणामस्वरूप फसल की वृद्धि स्तंभित हुई । कुल मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिक क्षेत्रों में पौधा की वृद्धि और विकास औसतन रही थी ।

## पेस्ट तथा बीमारियाँ :

2024-25 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई नोटीस नहीं की गई। कुछ क्षेत्रों में पत्ता कुंचन वाईरस और पत्ता भक्षण इल्ली (काटर पिल्लर) की उत्पीडन की घटना देखी गयी और ग्रोयरों को केतंअसं, हुन्सूर के सिफारिशों के अनुसार निवारण उपायों को अपनाने के लिए सूचित किये गये थे ।

## फसल & क्यूरिंग :

पहले दो या तीन क्यूरिंग, जो भारी वर्षाओं के बाद अपनाये गये अंतिम 3 या 4 क्यूरिंग की तुलना में अच्छी रही हैं । प्रति बखार के लिए औसतन 6 से 7 क्यूरिंगों को अपनाये गये थे । क्यूरिंग पत्ते पतली शरीर और नीम्बू रंग के रहे हैं । पिछले वर्ष की तुलना में काला विकारी पत्ता का उत्पादन अधिक रही है और स्टिक वजन कम रही है । कुल मिलाकर, तम्बाकू की गुणता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मध्यम और निम्न श्रेणियों के साथ औसतन रही है ।

**पैदावार :**

पिछले वर्ष की उत्पादकता 1,401 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2024-25 के दौरान, औसत पैदावार लगभग 1,229 कि.ग्रा/हे. हुई है। 2023-24 में 31:45:24 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 88.86 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 23:40:37 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 84.86 मिलियन कि.ग्रा. का फसल विपणन हुआ था।

**X) 2024-25 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :**

2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश दक्षिण हल्की मिट्टी और काली मिट्टी क्षेत्र में अगस्त महीने में और उत्तरी हल्की मिट्टी श्रेत्र में सितम्बर महीने में नर्सरी की बुआई प्रारंभ हुए। आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 के दौरान, जो पूर्व वर्ष में बोआई 1,130.43 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 896.96 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान, कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडलिंगों का मूल्य दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹1,500/- से ₹2,500/- प्रति गठरी (6,000 सीडलिंग) के लिए मूल्य रही। उहमि क्षेत्र में प्रति गठरी के लिए मूल्य ₹3,000/- से ₹3,500/- तक रहे थे।

**किस्म :**

दक्षिण हल्की मिट्टी और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों के 653.94 हे. में बोयी जाने वाली एफसीआर-15 एक प्रधान किस्म रही है, जो इन क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्र में (808.99 हे.) से लगभग 80.83% का हिसाब रही है। इन क्षेत्रों में अन्य बोयी जाने वाली अन्य किस्मों में सिरी (155.05 हे.) क्षेत्र में रही है। उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 45.24 हे. से अधिक क्षेत्र में बोयी जाने वाली एलवी-7 प्रधान किस्म रही है, जो इन क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्रों में (87.97 हे.) लगभग 51.42% का हिसाब रही है। उहमि क्षेत्र में 30.22 हे. (34.35%) क्षेत्र में अन्य किस्म 1353 बोयी जाती है।

**प्रधान क्षेत्र :**

आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 फसल मौसम के दौरान दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में अक्तूबर, 2024 महीने में और उकामि क्षेत्र में नवंबर, 2024 महीने के दौरान ट्रान्सप्लानटेशन प्रारंभ हुए। 2023-24 फसल मौसम के दौरान, रोपित 97,127.07 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 1,17,492.11 हे. क्षेत्र, जो 20.97% अधिक क्षेत्र में रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्तूबर से पहले), मध्य (15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 4:41.56 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी और दक्षिणी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 78,981.90 हे. क्षेत्र में एफसीआर-15 एक प्रधान बोयी जाने वाली किस्म है, जो इन क्षेत्रों के कुल रोपित क्षेत्र में 89.76% का हिसाब रही थी। उहमि क्षेत्र में, इस क्षेत्र के कुल रोपित क्षेत्र (27,731.54 हे.) में 1353 प्रकार किस्म, जो 17,068.57 हे. क्षेत्र में उगाया गया था, इसका हिसाब 61.55% रही थी और एलवी-7 किस्म 10,166.33 हे. (36.66%) क्षेत्र में उगाया गया था।

| प्लानटेशन स्थिति | 2024-25 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्तूबर तक) | 4157.68 | 3.54% | 4310.64 | 4.44% |
| मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक) | 48049.62 | 40.90% | 42171.63 | 43.42% |
| देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद) | 65284.81 | 55.56% | 50644.80 | 52.14% |
| **कुल** | **117492.11** | **100.00%** | **97127.07** | **100.00%** |

## आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि :

### उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 27,731.54 हे. क्षेत्र, जो 2023-24 में रोपित 23,695.61 हे. क्षेत्र की तुलना में 17% अधिक रही थी । बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की वृद्धि अच्छी रही थी । उहमि क्षेत्र के प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों को कोई नोटीस नहीं की गई । कुछ शेत्रों में, पत्ता कुंचन वाईरस और काला वृन्त बीमारी की उत्पीडना की घटना देखी गयी और ग्रोयरों को केतंअसं के सिफारिशों के अनुसार निवारण उपायों को अपनाने के लिए सूचित किये गये थे। पैदावार की स्थिति अच्छी रही और पिछले वर्ष की तुलना में निम्न श्रेणी आऊटटर्न थोडा अधिक रही है ।

### दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 51,908.30 हे. के क्षेत्र, जो 2023-24 के दौरान रोपित 42,374.55 हे. क्षेत्र की तुलना में 22.50% की वृद्धि रही थी। क्षेत्रों में ओरबान्खे की उत्पीडना पाया गया था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पत्तों की कृत्रिम परिपक्व नोटीस किया गया । दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति औसतन रही है । पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार की स्थिति औसतन रही और निम्नश्रेणी उत्पादन थोडा अधिक रही है ।

### पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 36,080.40 हे. के क्षेत्र,जो 2023-24 के दौरान रोपित 29,976.15 हे. क्षेत्र की तुलना में 20.36% अधिक रही थी। क्षेत्रों में ओरबान्खे की उत्पीडना पाया गया था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पत्तों की कृत्रिम परिपक्वता को नोटीस किया गया था । पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार की स्थिति औसतन रही और निम्न श्रेणी उत्पादन थोडा अधिक रही है ।

2024-25 के दौरान, उत्तरी काली मिट्टियों (एन बी एस) में रोपित कुल 1,771.87 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,080.76 हे. क्षेत्र की तुलना में 63.95% अधिक रही है । इस वर्ष फसल की गुणता औसत रही है।

**पैदावार :**

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-10 क्यूरिंगो को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगों को अपनाये गये । चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए दहमि क्षेत्र में आकलित श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 35:32:33 रही और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 42:28:30 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है । उहमि क्षेत्र में क्रमशः 58:29:13 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है।

**उपज :**

2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 240.66 मिलियन कि.ग्रा रही है । उहमि क्षेत्र में उत्पादन 77.49 मिलियन कि.ग्रा रही है । दहमि और दकामि क्षेत्रों में उत्पादन क्रमशः 83.94 और 76.00 मिलियन कि.ग्रा. रही है। उकामि क्षेत्र में 3.23 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रही है । दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 1,617 कि.ग्रा/हे., दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में 2,106 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,794 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी काली मिट्टियों में 1,823 कि.ग्रा./हे. की औसत पैदावार रही थी ।

## XI) आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

सरकार अधिसूचना सं.2819, एस.ओ.सं.2956(ई) & 2957(ई), दि.24/07/2024 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 फसल मौसम के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक सीमा तक उत्पादित आधिक्य तम्बाकू पर साधारण चालू सेवा प्रभारों को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी गयी थी ।

सरकार अधिसूचना एस.ओ.सं.848(ई) और 859(ई), दि.17/02/2025 के अनुसार कर्नाटका में 2024-25 फसल मौसम के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक सीमा तक उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर साधारण चालू सेवा प्रभारों को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी गयी थी ।

## XII) एफसीवी तम्बाकू फसल को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अन्तर्गत अन्तर्वेशन करना :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अन्तर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के जोखिम संरक्षण फ्रेमवर्क में प्लानटेशन फसल और नारियल ताड़ (पॉम) को एकीकृत करने के लिए रुपात्मकता को अंतिम रूप देने दि. 23/12/2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग और चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, तम्बाकू साथ-ही-साथ नारियल विकास बोर्ड को सर्वेक्षण करने वाले विभिन्न प्लानटेशन बोर्ड, प्लानटेशन को उगाने वाले राज्यों से राज्य सरकार के पदाधिकारियों और बीमा और पुनः बीमा उद्योग से विशेषज्ञ के सहयोग से एक परामर्शक कार्यशाला का आयोजन किया गया था ।

परामर्शक कार्यशाला के परिणामों के आधार पर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और वाणिज्य विभाग ने बीमा कवरेज के लिए एफसीवी तम्बाकू को अधिसूचित करने टर्म शीट का मसौदा को तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति ने पत्र सं. 5/7/2024-ईपी (अग्रि-VI) दि. 27/12/2024 द्वारा एफसीवी तम्बाकू फसल (पीएमएफबीवाई के अन्तर्गत विस्तार करने का प्रस्ताव है) के लिए संदर्भ की शर्तों के साथ मौसम-आधारित बीमा योजना के कार्यान्वयन के विधि-विधानों को विकसित करने के लिए एक कार्य समूह/विशेषज्ञ समिति को गठित किया है ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के निर्देशों के अनुसार, एफसीवी तम्बाकू (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अन्तर्गत प्रस्तावित) के लिए मौसम - आधारित फसल बीमा योजना के लिए विधि-विधानों को पता लगाने के लिए गठित कार्य समूह/विशेषज्ञ समिति ने मसौदा टर्म शीटों को अंतिम रूप दिया है ।

### XIII) तम्बाकू के लिए वैकप्लिक फसलों की प्रोन्नति :

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिमाण क्षेत्रों (केआरए) के एक भाग के रूप में, वाणज्यि एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अपनी सूचना सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्रि-VI), दि. 20/05/2019 द्वारा बोर्ड को निदेश दिया था कि केतंअसं के समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन करने और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य के कृषि और बागबानी विभागों की समन्वय से फसल विविधीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन/वैकल्पिक फसल की खेती को अपनाने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करें ।

2024-25 फसल मौसम के लिए, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ.सं. और आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका राज्यों के कृषि विभागों के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के जंगारेड्डिगूडेम, कोय्यलगूडेम, गोपालपुरम, कन्दुकुर, पोदिली, कलिगिरी, डी.सी.पल्ली, ओंगोल, टंगुटूर और कोंडेपी में और कर्नाटका में एच.डी.कोटे, हुन्सूर, चिलकुंदा, कग्गुन्डी और रामनाथपुरा में वैकल्पिक फसलों को प्रमोशन करने ग्रोयरों के लिए जागरूकता बैठकों को आयोजित किये गये थे ।

### XIV) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

#### क) मिट्टी व जल विश्लेषण :

प्रति वर्ष, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहण एवं विश्लेषण मुफ्त में कराती है । बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग्रोयरों को सलाह देती है । 2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,300 मिट्टी नमूनाओं को और 625 जल नमूनाओं को केवीके, दर्सी और आपीएल, तिरुपति की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये ।

कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को स्थूल और सूक्ष्म पोषकतत्वों दोनों के लिए नमूनाओं को विश्लेषित किये गये और परिणामों को संबंधित ग्रोयरों को सूचित किये गये थे ।

| राज्य | स्थूल & सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए मिट्टी नमूना | जल नमूना |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2,300 | 625 |
| कर्नाटका | 4,200 | – |
| **कुल** | **6,500** | **625** |

### ख) एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

बोर्ड ने, वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 फसल मौसम से कर्नाटका में स्टांडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंद्ध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को कवरेज बीमा की सुविधा दे रही है । पंजीकृत ग्रोयर भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पॉलसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं । 2024-25 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सूरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 31,825 ग्रोयरों को तथा 33,665.82 बखारों के लिए बीमा कवरेज को प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 4.52 करोड की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी थी । यूनाईटेड इंडिया इन्सूरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 32,044 ग्रोयरों को तथा 40,819 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.62 करोड की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी ।

## आन्ध्र प्रदेश में (दि. 31/03/2025 तक) 2024-25 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण

| विवरण | निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.) | | | ग्रोयरों की संख्या | | | बखारों की संख्या | | | पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.) | | | रोपित क्षेत्र (हेक्टे.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल |
| उहमि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| देवरपल्ली | 8.03 | 3.48 | 11.50 | 1578 | 888 | 2466 | 1828.34 | 967.50 | 2795.84 | 3200.72 | 1780.22 | 4980.94 | 3337.59 | 1771.87 | 5109.46 |
| जंगारेड्डी गुडेम-I | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 2543 | 0 | 2543 | 3041.00 | 0.00 | 3041.00 | 5323.35 | 0.00 | 5323.35 | 6257.75 | 0.00 | 6257.75 |
| जंगारेड्डी गुडेम-II | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 2864 | 0 | 2864 | 3190.50 | 0.00 | 3190.50 | 5586.04 | 0.00 | 5586.04 | 6921.37 | 0.00 | 6921.37 |
| कोय्यलगूडेम | 12.62 | 0.00 | 12.62 | 2715 | 0 | 2715 | 3148.60 | 0.00 | 3148.60 | 5511.88 | 0.00 | 5511.88 | 6017.50 | 0.00 | 6017.50 |
| गोपालपुरम | 11.97 | 0.00 | 11.97 | 2247 | 0 | 2247 | 2746.50 | 0.00 | 2746.50 | 4806.94 | 0.00 | 4806.94 | 5197.33 | 0.00 | 5197.33 |
| **उप कुल** | **58.25** | **3.48** | **61.73** | **11947** | **888** | **12835** | **13954.94** | **967.50** | **14922.44** | **24428.93** | **1780.22** | **26209.15** | **27731.54** | **1771.87** | **29503.41** |
| दकामि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| वेल्लमपल्ली-II | 3.73 | 6.26 | 10.00 | 1017 | 1528 | 2545 | 850.93 | 1522.13 | 2373.06 | 2866.63 | 3379.72 | 6246.35 | 3722.00 | 4301.00 | 8023.00 |
| ओंगोल-I | 3.05 | 8.76 | 11.81 | 1038 | 2054 | 3092 | 728.01 | 2092.63 | 2820.64 | 2324.18 | 4647.17 | 6971.35 | 3807.00 | 6995.50 | 10802.50 |
| ओंगोल-II | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0 | 1959 | 1959 | 0.00 | 2160.67 | 2160.67 | 0.00 | 4796.68 | 4796.68 | 0.00 | 5917.00 | 5917.00 |
| टंगुटूर-I | 0.00 | 11.97 | 11.97 | 0 | 2835 | 2835 | 0.00 | 2819.16 | 2819.16 | 0.00 | 6259.11 | 6259.11 | 0.00 | 8911.00 | 8911.00 |
| कोंडेपी | 5.42 | 6.68 | 12.09 | 1988 | 1999 | 3987 | 1265.89 | 1589.43 | 2855.32 | 4229.74 | 3529.55 | 7759.29 | 5015.10 | 5353.90 | 10369.00 |
| **उप कुल** | **12.20** | **42.91** | **55.11** | **4043** | **10375** | **14418** | **2844.83** | **10184.02** | **13028.85** | **9420.55** | **22612.23** | **32032.78** | **12544.10** | **31478.40** | **44022.50** |

| विवरण | निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.) | | | ग्रोयरों की संख्या | | | बखारों की संख्या | | | पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.) | | | रोपित क्षेत्र (हेक्टे.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल |
| दहमि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| पोदिली-I | 10.54 | 0.89 | 11.44 | 4101 | 276 | 4377 | 2386.74 | 206.25 | 2592.99 | 8047.23 | 457.93 | 8505.16 | 10382.00 | 649.00 | 11031.00 |
| कनिगिरी | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 1500 | 0 | 1500 | 1245.28 | 0.00 | 1245.28 | 4195.20 | 0.00 | 4195.20 | 5236.00 | 0.00 | 5236.00 |
| कंदुकूरू-I | 8.05 | 2.87 | 10.92 | 2571 | 832 | 3403 | 1923.23 | 694.00 | 2617.23 | 6052.84 | 1541.13 | 7593.97 | 7606.00 | 2171.00 | 9777.00 |
| कंदुकूरू-II | 6.97 | 2.37 | 9.34 | 2238 | 784 | 3022 | 1654.16 | 569.67 | 2223.83 | 5448.68 | 1265.07 | 6713.75 | 6268.00 | 1681.00 | 7949.00 |
| कलिगिरी | 5.25 | 0.22 | 5.47 | 1367 | 50 | 1417 | 1190.72 | 51.75 | 1242.47 | 4016.81 | 114.88 | 4131.69 | 4062.20 | 121.00 | 4183.20 |
| डी.सी. पल्ली | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 2069 | 0 | 2069 | 1738.42 | 0.00 | 1738.42 | 5861.91 | 0.00 | 5861.91 | 5790.00 | 0.00 | 5790.00 |
| **उप कुल** | **43.81** | **6.35** | **50.15** | **13846** | **1942** | **15788** | **10138.55** | **1521.67** | **11660.22** | **33622.67** | **3379.01** | **37001.68** | **39344.20** | **4622.00** | **43966.20** |
| **महा योग** | **114.26** | **52.74** | **167.00** | **29836** | **13205** | **43041** | **26938.32** | **12673.19** | **39611.51** | **67472.15** | **27771.46** | **95243.61** | **79619.84** | **37872.27** | **117492.11** |

## आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण

| विवरण | निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.) | | | ग्रोयरों की संख्या | | | बखारों की संख्या | | | पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.) | | | रोपित क्षेत्र (हेक्टे.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल |
| उहमि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| देवरपल्ली | 7.29 | 2.54 | 9.83 | 1648 | 931 | 2579 | 1901.51 | 990.00 | 2891.51 | 3038.40 | 1089.00 | 4127.40 | 2961.37 | 1080.76 | 4042.13 |
| जंगारेड्डी गुडेम-I | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 2523 | 0 | 2523 | 3030.00 | 0.00 | 3030.00 | 4837.35 | 0.00 | 4837.35 | 5153.00 | 0.00 | 5153.00 |
| जंगारेड्डी गुडेम-II | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 2803 | 0 | 2803 | 3082.50 | 0.00 | 3082.50 | 4932.80 | 0.00 | 4932.80 | 5407.04 | 0.00 | 5407.04 |
| कोय्यलगूडेम | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 2658 | 0 | 2658 | 3059.90 | 0.00 | 3059.90 | 4894.34 | 0.00 | 4894.34 | 5375.00 | 0.00 | 5375.00 |
| गोपालपुरम | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 2297 | 0 | 2297 | 2798.00 | 0.00 | 2798.00 | 4476.80 | 0.00 | 4476.80 | 4799.20 | 0.00 | 4799.20 |
| **उप कुल** | **49.48** | **2.54** | **52.02** | **11929** | **931** | **12860** | **13871.91** | **990.00** | **14861.91** | **22179.69** | **1089.00** | **23268.69** | **23695.61** | **1080.76** | **24776.37** |
| दकामि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| वेल्लमपल्ली | 3.32 | 5.21 | 8.53 | 1037 | 1506 | 2543 | 864.85 | 1484.46 | 2349.31 | 2508.07 | 2820.47 | 5328.54 | 2883.00 | 4122.00 | 7005.00 |
| ओंगोल-I | 2.47 | 7.34 | 9.82 | 1025 | 2044 | 3069 | 709.68 | 2068.98 | 2778.66 | 1898.19 | 3931.06 | 5829.25 | 2765.00 | 5810.00 | 8575.00 |
| ओंगोल-II | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 2009 | 2009 | 0 | 2220.33 | 2220.33 | 0 | 4218.32 | 4218.32 | 0.00 | 5045.00 | 5045.00 |
| टंगुटूर-I | 0.00 | 10.07 | 10.07 | 0 | 2863 | 2863 | 0 | 2827.69 | 2827.69 | 0 | 5351.97 | 5351.97 | 0.00 | 7147.00 | 7147.00 |
| कोंडेपी | 4.56 | 5.63 | 10.19 | 1985 | 1996 | 3981 | 1247.56 | 1582.43 | 2829.99 | 3581.03 | 2996.14 | 6577.17 | 4355.40 | 4132.60 | 8488.00 |
| **उप कुल** | **10.35** | **36.26** | **46.62** | **4047** | **10418** | **14465** | **2822.09** | **10183.89** | **13005.98** | **7987.29** | **19317.96** | **27305.25** | **10003.40** | **26256.60** | **36260.00** |

| विवरण | निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.) | | | ग्रोयरों की संख्या | | | बखारों की संख्या | | | पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.) | | | रोपित क्षेत्र (हेक्टे.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल | ह.मि | का.मि | कुल |
| दहमि क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| पोदिलि-I | 9.42 | 0.79 | 10.21 | 4177 | 280 | 4457 | 2430.38 | 210.67 | 2641.05 | 7055.37 | 400.43 | 7455.80 | 7795.16 | 417.84 | 8213.00 |
| कनिगिरि | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 1530 | 0 | 1530 | 1277.73 | 0.00 | 1277.73 | 3698.77 | 0.00 | 3698.77 | 4478.00 | 0.00 | 4478.00 |
| कंदुकूरु-I | 6.77 | 2.39 | 9.16 | 2576 | 826 | 3402 | 1873.86 | 680.67 | 2554.53 | 4990.69 | 1287.69 | 6278.38 | 6134.80 | 1703.00 | 7837.80 |
| कंदुकूरु-II | 5.88 | 2.00 | 7.89 | 2200 | 780 | 2980 | 1612.09 | 564.92 | 2177.01 | 4539.70 | 1070.71 | 5610.41 | 5416.99 | 1491.01 | 6908.00 |
| कलिगिरि | 4.68 | 0.21 | 4.89 | 1389 | 48 | 1437 | 1210.08 | 51.75 | 1261.83 | 3510.37 | 98.34 | 3608.71 | 3616.20 | 107.70 | 3723.90 |
| डी.सी. पल्ली | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 2083 | 0 | 2083 | 1720.50 | 0.00 | 1720.50 | 4990.61 | 0.00 | 4990.61 | 4930.00 | 0.00 | 4930.00 |
| उप कुल | **37.97** | **5.39** | **43.36** | **13955** | **1934** | **15889** | **10124.64** | **1508.01** | **11632.65** | **28785.51** | **2857.17** | **31642.68** | **32371.15** | **3719.55** | **36090.70** |
| **महा योग** | **97.81** | **44.19** | **142.00** | **29931** | **13283** | **43214** | **26818.64** | **12681.90** | **39500.54** | **58952.49** | **23264.13** | **82216.62** | **66070.16** | **31056.91** | **97127.07** |

## कर्नाटका में 2024-25 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण

| क्र. सं | नीलाम प्लैटफार्म का नाम | निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | ग्रोयर | बखार | पंजीकृत क्षेत्र (हे.) | रोपित क्षेत्र (हे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **मैसूर क्षेत्र :** | | | | | | |
| 1 | एच.डी.कोटे-I | 9.93 | 3845 | 4956.00 | 8425.20 | 7785.70 |
| 2 | हुन्सूर-2 | 8.04 | 3442 | 4235.00 | 7199.50 | 7114.60 |
| 3 | हुन्सूर-3 | 7.18 | 3249 | 3880.00 | 6596.00 | 5850.00 |
| 4 | हुन्सूर-64 | 6.11 | 2473 | 3130.00 | 5321.00 | 4773.00 |
| 5 | चिलकुंदा-62 | 14.35 | 5916 | 7545.00 | 12826.50 | 9607.00 |
| | **उप-कुल** | **45.60** | **18925** | **23746.00** | **40368.20** | **35130.30** |
| **पेरियपट्ना क्षेत्र :** | | | | | | |
| 6 | पेरियपट्ना-4 | 12.77 | 4505 | 6317.00 | 10738.90 | 6942.60 |
| 7 | पेरियपट्ना-5 | 12.01 | 4938 | 6327.00 | 10755.90 | 8016.30 |
| 8 | पेरियपट्ना-6 | 11.97 | 4932 | 6212.00 | 10560.40 | 7610.00 |
| 9 | रामनाथपुरा-7 | 9.84 | 4023 | 4891.00 | 8314.70 | 5969.60 |
| 10 | रामनाथपुरा-63 | 7.80 | 3180 | 3944.00 | 6704.80 | 5380.50 |
| | **उप-कुल** | **54.40** | **21578** | **27691.00** | **47074.70** | **33919.00** |
| | **महा योग** | **100.00** | **40503** | **51437.00** | **87442.90** | **69049.30** |

## विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने के लिए तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नवीन और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी । आईसीएआर - राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था (एनआईआरसीए), राजमहेन्द्रवरम, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपेनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सककरसाईड, उर्वरक)
- संपोषित तम्बाकू उत्पादन की पैदावार और गुणता को बढावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण (टीओटी)

### I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

फसल की उत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है । तम्बाकू बोर्ड ने 2024-25 फसल मौसम के दौरान किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है। विवरण निम्नानुसार है ।

#### क) एफसीवी तम्बाकू बीज :

(परिमाण (कि.ग्रा. में)

| राज्य | किस्म (परिमाण कि.ग्रा. में) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कंचन | एलटी कंचन | सीएच-3 | सिरी | एफसीआर-15 (केतंअंसं श्रेष्ठा) | एफसीएच 222 | एफसीजे-11 (केतंअंसं नवीन) | एफसीआरएच-11 (1353) | एफसीआरएच-7 (1350) | सुलक्षण | अन्य | कुल |
| कर्नाटका | 375.00 | 0.00 | 1251.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1841.52 |
| आन्ध्र प्रदेश | 24.00 | 5.50 | 195.00 | 3330.00 | 13703.50 | 0.00 | 85.00 | 561.00 | 27.00 | 93.50 | 0.00 | 18024.50 |
| **कुल** | **399.00** | **5.50** | **1446.00** | **3330.00** | **13703.50** | **215.00** | **85.00** | **561.00** | **27.00** | **93.50** | **0.52** | **19866.02** |

#### ख) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ), जिससे पंजीकृत ग्रोयरों को अपने स्वयं के लिए (उर्वरकों को) प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है, के द्वारा उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया था । 2024-25 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु, दक्षिण क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू ग्रोयर सहकारी यूनियन लिमिटेड, ओंगोल, जिला सहकारी विपणन सोसाईटी (डीसीएमएस), नेल्लुरु और कर्नाटका में कर्नाटका

सरकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड की सेवाओं को उपयोग करके उर्वरक वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया । तम्बाकू बोर्ड ने, सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसान समिति (सीओएफ) को उर्वरकों की आपूर्ति के सभी पहलूओं में याने., मॉगपत्रों और अग्रिम राशियों के संग्रह से लेकर, बैंको से इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को बाहरी स्रोत अभिकरणों को मुफ्त किराया में उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था । बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय-सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे । बाहरी स्रोत एजेन्सियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता को मोनिटरिंग किये थे ।

कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये :

**कर्नाटका (क ह मि क्षेत्र) :**

| उर्वरक | प्रदायक | परिमाण (एम.टी) | मूल्य (₹/टन) | मूल्य (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| एएस | फैक्ट | 6725.95 | 17000.00 | 1143.41 |
| | जीएसएफसी | 1684.40 | 17200.00 | 289.72 |
| | **कुल** | **8410.35** | | 1433.13 |
| एसओपी | आईपीएल | 7038.00 | 68250.00 | 4803.44 |
| | ट्रान्सवरल्ड | 5759.20 | 67000.00 | 3858.66 |
| | **कुल** | **12797.20** | | 8662.10 |
| डीएपी | सीआईएल | 4548.95 | 26477.50 | 1204.45 |
| | इफको | 250.00 | 26500.00 | 66.25 |
| | **कुल** | **4798.95** | | 1270.70 |
| सीएन | ट्रान्सवरल्ड | 3484.00 | 40000.00 | 1393.60 |
| **महा योग** | | **29490.50** | | **12759.53** |

**आन्ध्र प्रदेश :**

| उर्वरक | प्रदायक | दहृमि/दकामि क्षेत्र | | | उहृमि क्षेत्र | | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (एम.टी) | कीमत (₹/टन) | मूल्य (₹ लाखों में) | परिमाण (एम.टी) | कीमत (₹/टन) | मूल्य (₹ लाखों में) | परिमाण (एम.टी) | मूल्य (₹ लाखों में) |
| एएस | फैक्ट | 1017.750 | 16273.00 | 165.62 | 5324.450 | 16273.00 | 866.45 | 6342.200 | 1032.07 |
| | जीएसएफसी | 741.000 | 16802.00 | 124.50 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 741.000 | 124.50 |
| | **कुल** | **1758.750** | | **290.12** | **5324.450** | | **866.45** | **7083.200** | **1156.57** |
| एसओपी | आईपीएल | 590.050 | 75600.00 | 446.08 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 590.050 | 446.08 |
| | कांटिनेंटल | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 600.000 | 72000.00 | 432.00 | 600.000 | 432.00 |
| | के + एस | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 250.000 | 73260.00 | 183.15 | 250.000 | 183.15 |
| | मुनारा | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 375.000 | 66240.00 | 248.40 | 375.000 | 248.40 |
| | फ्लोरिस | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 657.550 | 64000.00 | 420.83 | 657.550 | 420.83 |
| | टीडब्ल्यू | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2886.550 | 72800.00 | 2101.41 | 2886.550 | 2101.41 |
| | **कुल** | **590.050** | | **446.08** | **4769.100** | | **3385.79** | **5359.150** | **3831.87** |
| एसओपी उर्वरक | टीडब्ल्यू | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 796.650 | 78000.00 | 621.39 | 796.650 | 621.39 |
| | फ्लोरिस | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 143.000 | 73000.00 | 104.39 | 143.000 | 104.39 |
| | हाईग्रो फ्लोरिस | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 240.600 | 73000.00 | 175.64 | 240.600 | 175.64 |
| | **कुल** | **0.000** | | **0.00** | **1180.250** | | **901.42** | **1180.250** | **901.42** |
| सीएन | टीडब्ल्यू | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 277.075 | 38000.00 | 105.29 | 277.075 | 105.29 |
| | कांटिनेंटल | 8.975 | 39200.00 | 3.52 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.975 | 3.52 |
| | **कुल** | **8.975** | | **3.52** | **277.075** | | **105.29** | **286.050** | **108.81** |
| डीएपी | इफको | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2040.600 | 26496.00 | 540.68 | 2040.600 | 540.68 |
| | आईपीएल | 357.650 | 26496.00 | 94.76 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 357.650 | 94.76 |
| | सीआईएल | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| | **कुल** | **357.650** | | **94.76** | **2040.600** | | **540.68** | **2398.250** | **635.44** |
| **महा योग** | | **2715.425** | | **834.48** | **13591.475** | | **5799.62** | **16306.900** | **6634.10** |

### (ग) सक्करसाईड :

तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू की पैदावार और गुणवत्ता को बढाने के लिए प्रधान क्षेत्र में मान्युवल टॉपिंग के बाद सक्करों के नियंत्रण करने कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को सक्करसाईड की आपूर्ती की सुविधा प्रदान की थी । कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में आपूर्तित सक्करसाईड विवरण निम्नानुसार है ।

**कर्नाटका :**

| विक्रेता का नाम | उत्पाद का नाम | ग्रोयरों की संख्या | आपूर्तित परिमाण लीटरों में | कुल मूल्य (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड | सक्करआऊट | 6431 | 39732.5 | 189.13 |
| मेसर्स. एसआरएस एंटरप्राईजेस | डेकोनॉल | 4044 | 25020.0 | 118.59 |
| मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड | सीटेन | 149 | 825.0 | 1.68 |
| मेसर्स. लिंगा केमिकल्स | पवर-10 | 1646 | 7975.0 | 37.80 |
| मेसर्स. एचजीएफसी | सीटेन | 728 | 4905.0 | 23.25 |
| **कुल** | | **12998** | **78457.5** | **370.45** |

**आन्ध्र प्रदेश :**

| विक्रेता का नाम | उत्पाद का नाम | ग्रोयरों की संख्या | आपूर्तित परिमाण लीटरों में | कुल मूल्य (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड | सक्करआऊट | 5923 | 102000.00 | 521.83 |
| मेसर्स. हाईग्रो प्लोरिस केमिकल्स | सीटेन | 805 | 17192.50 | 85.27 |
| मेसर्स. प्लोरिस केमिटेक | सीटेन | 1072 | 22630.00 | 112.24 |
| मेसर्स. एसआरएम एंटरप्राईजेस | डेकोनॉल | 2384 | 47100.00 | 206.30 |
| मेसर्स. लान्ड मार्शल | पवर-10 | 327 | 5880.00 | 25.75 |
| **कुल** | | **10511** | **194802.5** | **951.39** |

2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में ₹ 370.45 लाख मूल्य के 78,457.50 लीटर परिमाण सक्करसाईड और कर्नाटका में ₹951.39 लाख मूल्य के 1,94,802.50 लीटर सक्करसाईड की आपूर्ति किये गये थे।

**II) फार्म यांत्रिकीकरण**

**एचडीपीआई सिंचाई पाईप की आपूर्ति :**

आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थायी एफसीवी तम्बाकू फसल में सूखा समस्याओं को सामना करने तम्बाकू बोर्ड ने फसल को जीव रक्षण सिंचायी को सरल बनाने के लिए 926 तम्बाकू ग्रोयरों को 17,690 यूनिटों की एचडीपीई सिंचाई पाईपों (2.5" & 3" पाईप) को वितरण करने की व्यवस्था की और ₹ 35.747 लाख की सब्सिडी दिया गया था ।

**III) संपोषित तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) सूत्रपात्रों के द्वारा तम्बाकू की उपज और गुणता की वृद्धि से संबंधित विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :**

बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तम्बाकू की कृषि लागतों को कम करने, उपज गुणवत्ता की वृद्धि, क्यूरिंग प्रक्रिया और पूर्व कटाई उत्पाद प्रबंध में ऊर्जा संरक्षण और जीवनाशी अवशेष और गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) से मुक्त अनुवर्ती गुणता तम्बाकू उत्पादन करने का समग्र लक्ष्य के द्वारा पैदावार और गुणता को वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न विस्तार & विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है ।

**(क) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - कोकोपिट के साथ ट्रे की आपूर्ति :**

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को सिफारिश किया गया है, जो मिट्टी जनित बीमारी समस्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रघातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधों की उत्पादन किया जा सकें । ट्रे नर्सरी पौधें, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधों की तुलना में, फसल में न्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता को सुनिश्चितता और इसके परिणाम स्वरूप क्यूरड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि को प्रदान करते हैं । ट्रे में उत्पादित पौधे ट्रान्सप्लानटेशन प्रघात के बिना प्रधान क्षेत्र में 100% प्रतिस्थापन की सुविधा के साथ 10 से 25% उत्पाद विकास से एकरूप फसल की वृद्धि को सुनिश्चित करती है । 2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में बोर्ड ने, किसान समितियों को बेहतर गुणता के लिए प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी को बढाने के द्वारा सहायता दी है । इसके विवरण निम्नानुसार हैः

| राज्य | ग्रोयरों की संख्या | ट्रे की संख्या | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1915 | 879568 | 21.463 |
| कर्नाटका | 7685 | 1919685 | 61.228 |
| कुल | 9600 | 2799253 | 82.691 |

**(ख) मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंध - हरित खाद बीजों की आपूर्ति :**

तम्बाकू की मिट्टियाँ निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं । तम्बाकू बोर्ड ने मिट्टी की स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए 2024-25 फसल मौसम के दौरान लगभग बीज ₹ 10/- प्रति किलो और ₹ 200/- प्रति बखार को सब्सिडी देने के साथ बडे पैमाने में स्वस्थाने हरी खाद को प्रमोट किया और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सरकारी बीज आपूर्ति एजेन्सियों से सनहेम्प बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की है ।

बोर्ड द्वारा सब्सिडी के साथ आपूर्तीत सनहेम्प बीज और हरित खाद फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विवरण निम्नानुसार है :

| राज्य | मिट्टी क्षेत्र | ग्रोयरों की संख्या | सब्सिडी के साथ आपूर्तित बीज परिमाण (कि.ग्रा) | सब्सिडी राशि (₹) | हरित खाद फसल के अंतर्गत क्षेत्र (हे) |
|---|---|---|---|---|---|
| **कर्नाटका** | कहमि क्षेत्र | 1517 | 35940 | 3.594 | 1197.00 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | उहमि क्षेत्र | 362 | 8520 | 0.852 | 4074.28 |
| | दहमि क्षेत्र | 157 | 2577 | 0.258 | 6248.40 |
| | दकामि क्षेत्र | 74 | 1737.40 | 0.173 | 14426.70 |
| **आन्ध्र प्रदेश कुल** | | **593** | **12834.40** | **1.283** | **24749.38** |
| **महा योग** | | **2110** | **48774.40** | **4.877** | **25946.38** |

### (ग) जीव उर्वरकों की आपूर्ति :

कृषि में, जीव उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में साबित हुआ, जो संपोषित फसल उत्पादन में सहायता करती है । तम्बाकू में पोटाशियम (के) का एक मात्र सिफारिश स्रोत एसओपी है और एसओपी की लागत वर्ष-द-वर्ष बढ रही हैं । पोटाशियम, जो तम्बाकू में गुणवत्ता का महत्वपूर्ण तत्व है और क्यूरड पत्ते के वर्ण, पत्ता गुणवत्ता और पत्ता के जलने की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है । पोटाशियम पौधों का सबसे महत्वपूर्ण पोषकतत्व है, जो पौधे विकास, रूपान्तरण (मेटबालिजम) और बीमारियों, कीटों और जीव तनाव के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढाती है । अत्यधिक कीमतों के कारण एसओपी की उपयोगिता को कम करने तम्बाकू बोर्ड ने 2024-25 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के ग्रोयरों को राष्ट्रीय पादप स्वास्थ प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद से 736 लीटर पोटाशियम रीलीज जीवाणु (केआरबी) को आपूर्ती करने की व्यवस्था की ।

### (घ) संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास (आईपीएम) - आईपीएम इनपुटों की आपूर्ती :

संघटित कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहाँ प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण पद्धतियाँ याने., जैविक, संवर्धन और यांत्रिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि जीव नाशी रसायनों के उपयोग को कम करना, फसल

उत्पादन में जीवनाशी अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड-पौधे और जीवों की रक्षा करना है । इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को 1) ल्यूरों के साथ फोरोमेन ट्राप, 2) पीला चिपचिपा ट्राप, 3) जैव- कीटनाशक जीवाणु-समूह, 4) गेंदा के पौधों, 5) बाजरा/जेवार बीजों को आपूर्ती की सुविधा प्रदान की और आईपीएम कौशलों का प्रभावपूर्ण कायान्वयन के लिए इन इनपुटों पर सब्सिडी को बढा दिया । इनपुट वार विवरण निम्नानुसार है :

**क) फेरोमोन ट्राप और ल्यूर :**

| राज्य | ग्रोयरों की संख्या | ट्रापों की संख्या | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 731 | 13,904 | 1.807 |
| कर्नाटका | 491 | 5340 | 1.015 |
| **कुल** | 1222 | 19,244 | 2.822 |

**ख) पीला चिपचिपा ट्राप :**

| राज्य | ग्रोयरों की संख्या | ट्रापों की संख्या | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 847 | 11,689 | 0.526 |
| कर्नाटका | 467 | 5170 | 0.310 |
| **कुल** | 1314 | 16,859 | 0.836 |

**ग) जैव - कीटनाशक :**

जैव-कीटनाशक मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोकने के लिए उपयोगी होते है और उसके द्वारा कीटनाशकों की उपयोगिता को कम कर सकते है । 2024-25 फसल मौसम के दौरान, एनआईपीएचएम, हैदराबाद के द्वारा एफसीवी तम्बाकू के पंजीकृत ग्रोयरों को 2200 लीटर *ट्रिकोडेर्मा हर्जियानम* और 2195 लीटर *सूडोमोनस फ्लोरोसेन्स* की आपूर्ती की और इस अभिक्रम के लिए ₹ 5.778 लाख राशि की सब्सिडी दी गई ।

| राज्य | ग्रोयरों की संख्या | | | परिमाण (लीटरों में) | | | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ट्रेकोडेर्मा | सूडोमोनस | कुल | ट्रेकोडेर्मा | सूडोमोनस | कुल | ट्रेकोडेर्मा | सूडोमोनस | कुल |
| **आं.प्र.** | 416 | 418 | 834 | 1854 | 1849 | 3703 | 2.317 | 2.589 | 4.906 |
| **कर्नाटका** | 346 | 346 | 692 | 346 | 346 | 692 | 0.388 | 0.484 | 0.872 |
| **कुल** | **762** | **764** | **1526** | **2200** | **2195** | **4395** | **2.705** | **3.073** | **5.778** |

**घ) गेंदा पौधों :**

गेंदा पौधों को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के अन्दर उगाया जा सकता है, जो अण्ड निक्षेपण स्थान के रूप में और गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते है जिससे होलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में एक जाल फसल के रूप में सहायता करती है। बोर्ड ने, कन्दुकुरु, जीलुगुमिल्ली और हुन्सूर में स्थित आईसीएआर - एनआईआरसीए (केतंअसं) अनुसंधान स्टेशनों से 5,20,000 गेंदा पौधों को प्रत्येक पौधा को ₹ 0.90/- के मूल्य में प्राप्त की और इसे आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी क्षेत्रों के 2,998 एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को निःशुल्क वितरित की । इस के लिए ₹ 4.68 लाख की राशि खर्च हुई थी ।

**ङ) जवार और बाजरा बीज :**

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोयी जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और हितकारी पराजीवी और परभक्षियों की आश्रय के रूप में कार्य करती है । बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 489 कि.ग्रा. बाजरा बीज ₹48/- प्रति किलो के मूल्य में और 567 कि.ग्रा. जवार बीज ₹ 88/- प्रति किलो के मूल्य में खरीदकर इसे कहमि क्षेत्र के 721 ग्रोयरों को निःशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 0.734 लाख राशि खर्च हुई ।

### IV) क्यूरिंग और ग्रेडिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने, ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने याने., कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंटुरी भट्टी से बदलना आदि., के द्वारा क्यूरिंग की लागत को कम करने की अत्यंत आवश्यकता है । 2024-25 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के एफसीवी तम्बाकू किसानों को ₹100.79 लाखों की राशि सब्सिडी दी है ।

### क) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंटुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजनाः

''वेंटुरी फर्नेस'', जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण को बेहतर दहन की सुविधा, फ्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चिता और ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। अतः तम्बाकू बोर्ड इस योजना को प्रमोट कर रही है और ग्रोयरों को सब्सिडी देने के द्वारा पुराने फर्नेस के स्थान पर वेन्टूरी फर्नेस को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है । क्षेत्र वार कवर किये बखार और सब्सिडी राशियों का विवरण निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र वार वेंटुरी फर्नेस से प्रतिस्थापित बखार विवरण इस प्रकार है :

| मिट्टी क्षेत्र | ग्रोयरों की संख्या | कवर किये गये बखारों की संख्या | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| उहमि | 20 | 20 | 1.00 |
| दकामि | 35 | 35 | 1.75 |
| दहमि | 188 | 117 | 5.85 |
| **कुल** | **243** | **172** | **8.60** |

### ख) बखारों को टर्बो वेंटिलेटर फिट्टिंग के साथ ग्लास ऊन पृथककरण :

टर्बो वेंटिलेटर के साथ बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण से बखार में मुक्त वायु संचार और 25% से 27% तक लकडी ईंधन की बचत होती है । बखार को पृथक्करण करने से पत्ता क्यूरिंग प्रोसेस के दौरान बखार में पत्ता की कारमलैजेशन को कम करती है । इस योजना से लकडी ईंधन की बचत होती है और इसके द्वारा किसान के लिए कृषि लागत भी कम होती है । मिट्टी क्षेत्र वार योजना कार्यान्वयन और दिये गये सब्सिडी विवरण निम्नानुसार है :

| मिट्टी क्षेत्र | ग्रोयरों की संख्या | कवर किये गये बखारों की संख्या | सब्सिडी राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| उहमि | 59 | 64 | 5.76 |
| दकामि | 119 | 102 | 9.16 |
| दहमि | 124 | 95 | 8.55 |
| **कुल** | **302** | **261** | **23.49** |

### ग) टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर लगाने के साथ धान तृण बखार पृथक्करण के लिए तम्बाकू बोर्ड ने ₹68.70 लाख राशि की सब्सिडी प्रदान किया गया । इस तकनीकी से ग्रोयरों को अपना लकडी ईंधन खर्च को 30% तक बचत करने में सहायता मिलती है । विवरण निम्नानुसार है :

| मिट्टी क्षेत्र | ग्रोयर लाभयोगियों की संख्या | बखारों की संख्या | सब्सिडी (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| कहमि | **1177** | **1196** | **65.25** |

### (घ) अपने ईंधन को स्वयं पैदा करने की योजना :

किसान समुदाय को लकडी ईंधन की पृष्टि देने त्वरित पैदा होने वाली वृक्ष पौधों को (ग्रोयरों द्वारा आग्रे-वनप्रांत बागान) को बढाने और एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में पर्यावरणीय महत्व को पता लगाने बोर्ड द्वारा ''अपने ईंधन को स्वयं पैदा करने'' की योजना को कार्यान्वित किया था । इस योजना के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत ग्रोयरों, जिन्होंने अपने बरवार स्थलों, बंजर भूमि और क्षेत्र पुश्तों में ल्पानटेशन को अपनाने के लिए इच्छुक है, को त्वरित पैदा होने वाली पौधों को निःशुल्क आपूर्तित किये थे । नीलाम अधीक्षकों ने ग्रोयरों को नवजात पौधों को वितरित किये और किसान क्षेत्रों में प्लानटिंग में भी भाग लिये थे । विवरण निम्नानुसार है :

| मिट्टी क्षेत्र | ग्रोयर की संख्या | वितरित बालवृक्ष पौधों की संख्या | व्यय (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| उहमि | 664 | 6500 | 0.303 |
| दकामि & दहमि | 473 | 3910 | 1.093 |
| दहमि | 1799 | 17740 | 1.000 |
| **कुल** | **2936** | **28150** | **2.396** |

### V) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

#### क) गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पालिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रही है और इनको निष्कासन करने से तम्बाकू की आपूर्ति श्रृंखला को मदद मिल सकती है । एनटीआरएम के स्रोतों को फार्म स्तर पर रोकथाम और निष्कासन करना लागत प्रभावी है । तम्बाकू में एनटीआरएम की निष्कासन पर ग्रोयरों को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयासों को अपनाने और एनटीआरएम निष्कासन की भावना पर ग्रोयरों को सूचित करने के द्वारा उत्पाद अखण्डता को सुनिश्चित करने की निरंतर प्रयास तम्बाकू बोर्ड कर रही है । बोर्ड ने प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू में एनटीआरएम की सम्मिश्रण को रोकने पूर्व-हार्वेस्ट प्रचालनों, पत्ता का परिवटन और भंडारण आदि., के समय उपयोग करने के लिए सब्सिडी को बढाने के द्वारा कान्वास टार्पालिनों की आपूर्ति व्यवस्थित कर रही है । 2024-25 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में 3448 ग्रोयरों को 3448 कान्वास टार्पालिनों को सब्सिडी मूल्य में निम्नानुसार आपूर्ति की है ।

| राज्य | ग्रोयरों की संख्या | यूनिटों की संख्या | राशि (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2498 | 2498 | 25.640 |
| कर्नाटका | 950 | 950 | 8.686 |
| कुल | 3448 | 3448 | 34.326 |

#### ख) बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण सुविधा/इनफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना आवश्यक है । क्यूरड तम्बाकू, प्राकृतिक रूप से आर्द्रता-ग्राही होती है और उत्पाद को बल्किंग और भंडारण करने में उचित देखभाल नहीं करने पर बिगड जाती है । इसलिए बोर्ड ने, प्रति यूनिट को ₹ 9,100/- से ₹ 22,400/- वित्तीय सहायता, जो 350 स्कैयर फीट से 600 स्कैयर फीट प्लिंथ क्षेत्र से अधिक को वित्तीय सहायता व्यवस्थित करने के द्वारा ग्रोयरों को बल्किंग शेडों को निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है । आन्ध्र प्रदेश में 105 बल्क शेडों के निर्माण से संबंधित 105 ग्रोयरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की लेखा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा खर्च किया गया कुल व्यय ₹ 20.748 लाख है ।

#### ग) पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों की अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों की उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं । क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाली गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कडे शर्ते लगाये थे । हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं ।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटस्पॉट के होते है, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष संबंधित परीक्षण को अपनाये हैं । विश्लेषित परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटस्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये । विश्लेषित पत्ता नमूना और किये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

| फसल मौसम | राज्य | विश्लेषित पत्ता नमूनाओं की संख्या | पत्ता विश्लेषण की लागत राशि (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | आन्ध्र प्रदेश | 169 | 11.657 |
| 2024-25 | कर्नाटका | 102 | 11.825 |
| | कुल | 271 | 23.482 |

### घ) निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड को निर्धारण करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके ।

| फसल मौसम | राज्य | विश्लेषित पत्ता नमूनाओं की संख्या | पत्ता विश्लेषण की लागत राशि (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | आन्ध्र प्रदेश | 107 | 2.420 |
| 2023-24 | कर्नाटका | 6 | 0.136 |
| 2024-25 | कर्नाटका | 102 | 2.307 |
| | कुल | 215 | 4.863 |

## VI) प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

किसानों से व्यक्तिगत संपर्को, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रयलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा तम्बाकू बोर्ड नवीनतम प्रौद्योगिकी पर समय पर सूचनाओं को स्थानांतरण करने द्वारा तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है ।

### क) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना विस्तार अभिकल्पना और योजना की सबसे बडे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है । इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग करने की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं। प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है । यह प्रशिक्षण, तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को लागू करने में किसानों को कुशल बनाती है, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है । यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है ।

2024-25 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आईसीएआर-एनआईआरसीए (सीटीआरआइ) & एनआईपीएचएम के वैज्ञानिकों और व्यापारी वर्ग से कृषि विशेषज्ञों/तकनीकी अधिकारियों की भागीदारी से बीज तल तैयारी से लेकर पूर्व हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंधक तक फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में ग्रोयरों और क्षेत्र कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये ।

❖ बोर्ड ने, 2024-25 के दौरान फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों में किसानों के लिए कुल 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 7,790 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों राज्यों में आयोजित करने के लिए कुल ₹ 5.83 लाख की राशि खर्च हुई ।

❖ एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञ उहमि और कहमि क्षेत्रों के नीलामी प्लैटफार्मो को विजिट किये थे और एफसीवी तम्बाकू खेती में जैव-कीटनाशकों, जैव-उर्वरकों को द्रव्यमान गुणन प्रक्रियाओं और जैव-कीटनाशकों और पोटाशियम रीलिजिंग जीवाणु (केआरबी) फार्मूलेशन पर ग्रोयरों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये थे । इस प्रदर्शनियों के लिए एनआईपीएचएम के विशेषज्ञों को संदर्शन शुल्क के रूप में ₹ 0.286 लाख राशि भुगतान किया गया था । संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

| मिट्टी क्षेत्र | एनआईपीएचएम विशेषज्ञों के संदर्शन तारीख | अवधि |
|---|---|---|
| कर्नाटका में कहमि क्षेत्र | 09/05/2024 & 10/05/2024 | 2 दिन |
| आन्ध्र प्रदेश में उहमि क्षेत्र | 18/09/2024 & 19/09/2024 | 2 दिन |

- दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम याने., प्रबंधक कार्यालय, ओंगोल में दि. 26/12/2024 को 84 बाहरी स्रोत तकनीकी कर्मचारियों को ''पादप स्वास्थ्य प्रबंध'' पर इन-हाऊॅस प्रशिक्षण और दक्षिणी क्षेत्र में 49 ग्रोयरों को ''एफसीवी तम्बाकू फसल में पेस्ट तथा रोग लक्षणों और पोषकतत्व की कमी को पहचान करने के लिए ऑन-फार्म प्रशिक्षण'' कार्यक्रम को आयोजित किया था । इस दो दिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने और प्रतिभागियों की आने-जाने के खर्च के लिए ₹ 1,867 लाख राशि की खर्च हो गई ।

- दि. 24/01/2025 को तम्बाकू ग्रोयरों और तकनीकी कर्मचारियों को नवीन विकसित पत्ता स्ट्रिंगिंग मशीन के प्रचालनो पर आईसीएआर - केन्द्रीय कृषि प्रोद्योगिकी संस्था (सीआईएई) द्वारा कोयंबत्तूर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । प्रशिक्षणार्थियों की परिवहन और अन्य व्ययों से संबंधित ₹ 0.227 लाख राशि की खर्च हो गई ।

- राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम) द्वारा दि.28/01/2025 को हैदराबाद में तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों के लिए ''विदेशी देशों को तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद निर्यातों की प्रोन्नति और इनके बाधाएँ'' पर एक समर्थता निर्माण कार्यक्रम को आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम से संबंधित ₹ 0.280 लाख राशि की खर्च हो गई ।

**उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण से संबंधित अपनाये गये अन्य विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजना :**

- बोर्ड ने तम्बाकू में कीटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पणधारियों याने., व्यापारी सदस्य, ग्रोयर और विशेषज्ञ, आईसीएआर - एनआईआरसीए (केतंअसं), राजमहेन्द्री के साथ बैठकें आयोजित की ।
- 2024-25 फसल मौसम के लिए उहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को नियंत्रण करने के लिए कार्यान्वित किये जाने वाली कार्यवाही पर उपाय निकालने के लिए तम्बाकू उद्योग के सभी पणधारियों के साथ दि.20/01/2025 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में एक बैठक संपन्न हुई । इस बैठक में आईसीएआर - एनआईआरसीए (केतंअसं) के विशेषज्ञों, मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री, व्यापार वर्ग से प्रतिनिधियों, ग्रोयर प्रतिनिधियों, तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारी भाग लिये थे ।
- एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेषों को नियंत्रण के बारे में ग्रोयरों को शिक्षित करने दि.30/01/2025 को कोय्यलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म एक अधिक प्रभावी बैठक सभी पणधारियों के साथ आयोजित किया गया था इस के लिए ₹ 0.193 लाख राशी खर्च हुई ।
- नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए विषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे ।
- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाली विज्ञप्तियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे ग्रोयरों को वितरित किये गये ।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयरों को तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये गये कीटनाशकों का उपयोग न करने और कार्बेन्डिजम, डिथियोकार्बमेट और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किये गये थे ।
- अधिक कीटनाशकों को उपयोग करने के लिए अभिज्ञानित नीलाम प्लोरों में और 90 पहचानित हॉट-स्पाट गॉवों में कार्बेन्डिजम, डिथियोकार्बमेट और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयरों को अपील किये गये ।
- ग्रोयरों को सीपीए की प्रबंध पर करपत्रों के रूप में, जिसमें कीटों की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्व-पैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री को आपूर्तित किये गये ।
- कीट नियंत्रण उपायों को ग्रोयरों की एकत्रित स्थानों में सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये ।
- आईसीएआर - एनआईआरसीए (केतंअसं) द्वारा सिफारिश किये परिमाण मात्राओं सहित सिफारिश क्रिमिनाशकों और पेस्ट नियंत्रण उपायों की सूचना को एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के बीच विस्तृत रूप में प्रचार किया गया।
- वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, सीपीए अवशेषों को पहचान करने के लिए पत्ता तम्बाकू का परीक्षण किया गया था, ताकि उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहमि क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गॉवों को पहचाह किया जा सकें ।
- ग्रोयरों को उपायों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की स्प्रे से दूर रहना, सिफारिश परिमाणों से अधकिाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमीत रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशीयों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढा (कानकोक्शन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित कराया गया ।

### ख) कार्यशाला :

कर्नाटका में ग्रोयरों को एफसीवी तम्बाकू की खेती में नवीनतम उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) पर दि.11/06/2024 को पेरियपट्टना में और दि.19/06/2024 को मौसूर क्षेत्र में दो कार्यशालाएँ आयोजित किये गये थे। इसी प्रकार, आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र के ग्रोयरों के लिए आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) - अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमिल्ली में दि.17/12/2024 को और दक्षिणी क्षेत्र के ग्रोयरों के लिए आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) - अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरू में दि.19/12/2024 को दो कार्यशालाएँ आयोजित किये गये थे । बोर्ड से तकनीकी पदाधिकारियों और कर्मचारी इन कार्यशालाओं में भाग लिये । इन 4 कार्यशालाओं को आयोजित करने से कुल ₹ 2.631 लाख की राशि खर्च हुई ।

| राज्य | मिट्टी श्रेत्र | व्यय (₹ लाखों में) |
|---|---|---|
| कर्नाटका | मैसूर | 0.498 |
| | पेरियपट्ना | 0.559 |
| आन्ध्र प्रदेश | दहमि & दकामि | 0.975 |
| | उहमि | 0.599 |
| | **कुल** | **2.631** |

### ग) ग्रोयरों को अध्ययन-यात्रा :

तम्बाकू बोर्ड ने जनवरी से मार्च, 2025 महीनों में आन्ध्र प्रदेश अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 16 नीलाम प्लैटफार्मों के 355 किसानों और कर्मचारियों को आईटीसी - तम्बाकू पत्ता थ्रेशिंग प्लान्ट, अनपर्ती, बीके थ्रेशिंग प्लान्ट, सिंगरायकोंडा, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी, चीराला, अलियन्स वन इण्डस्ट्रीस, पोत्तूर को अध्ययन यात्रा को आयोजित किया । दि.13/12/2024 और 14/12/2024 को कर्नाटका के अन्तर्गत 10 नीलाम प्लैटफार्मों के 88 किसानों और कर्मचारियों ने मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, नंजनगुड के ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लान्ट को विजिट किये थे ।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों से ग्रोयरों की अध्ययन यात्रा से संबंधित उठाये गये व्यय विवरण नीचे दिये गये:

| मिट्टी क्षेत्र | दौरा की तारीख | व्यय (₹ लाखों में) |
|---|---|---|
| कहमि | 13/12/2024 and 14/12/2024 | 0.560 |
| उहमि | 05/03/2025, 06/03/2025, 08/03/2025 | 0.779 |
| दकामि & दहमि | 20/01/2025, 28/01/2025, 29/01/2025, 30/01/2025, 31/01/2025, 03/02/2025, 17/02/2025,18/02/2025 | 2.515 |
| | **कुल** | **3.854** |

### (घ) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू बोर्ड ने आईसीएआर - एनआईआरसीए (केतंअसं) से विशेषज्ञों, प्यापारी वर्ग से क्षेत्र कार्यकारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ 05 दलों को बनाने के द्वारा ''क्षेत्र मित्र दलों'' की योजना को कार्यान्वित किया था । यह क्षेत्र दल 2024-25 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में उन्हें निदिष्ट नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू उगाने वाले गॉवों को विजिट किये और ग्रोयरों को फसल उत्पादन और संरक्षण, पैदावार, क्यूरिंग, पेस्टिसाईडों का उपयोग को कम करना, टॉपिंग व डी-सक्करिंग, एनटीआरएम का निष्कासन, पूर्व पैदावार उत्पाद प्रबंध आदि., संशोधित पैकेज अभ्यासों पर ग्रोयरों को सलाह दिये थे । इस कार्यक्रम को कान्यार्न्वित करने के लिए ₹ 0.810 लाख राशि व्यय हुआ था ।

### VII) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

2024-25 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू की खेती के प्राकृतिक खेती विधान की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करने ''ऑन-फार्म परीक्षण और प्रयोगात्मक ट्रयल'' को कार्यान्वित किया साथ ही, आन्ध्र प्रदेश के दकामि & दहमि क्षेत्रों में एफसीआर-15 जैसे.,और कर्नाटका में एफसीएच-222और एफसीएस-4 जैसे नये किस्मों को मौजूदा किस्मों के साथ प्रभाव की जाँच और फसल और उत्पादकता पर केआरबी (पोटाशियम रीलीज जीवाणु) के प्रभाव को मूल्यांकन करने विभिन्न ट्रयल को अपनाया था । 2024-25 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों राज्यों से 26 ग्रोयरों ने ऑन-फार्म ट्रयल पर परीक्षण को अपनाये थे ।

ग्रोयरों को अपने क्षेत्रों में ऑन-फार्म ट्रयलों को करने और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को भी आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ग्रोयरों को इनपुट लागत और नकद प्रोत्साहन करने से संबंधित कर्नाटका में किये गये ट्रयलों के लिए ₹ 1.998 लाख और आन्ध्र प्रदेश के लिए ₹ 3.164 लाख खर्च हुई । आन्ध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 830 ग्रोयरों और कर्नाटका राज्यों में 520 ग्रोयरों इन क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में भाग लिये और ग्रोयरों को प्राकृतिक खेती अवधारणा, केआरबी उपयोग और विविध नये ट्रयलों की प्रभावशीलता के बारे में जागरूक किया गया था ।

### VIII) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 16 गाँवों में और कर्नाटका के 10 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी । इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 10.950 लाख की राशि खर्च हुई ।

### IX) एनआईपीएचएम और तम्बाकू बोर्ड के बीच सहयोग के लिए एमओयू :

तम्बाकू बोर्ड ने दि. 13/08/2024 को राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षरित किये है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल पादप स्वास्थ्य प्रबंध प्रथाओं को बढावा देने इस दिशा में संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण योगदान देना है । इसके तहत, कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हेतु आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सहयोगात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन, स्थापना और बनाये रखने का कार्य करेगी ।

### X) व्यापारी वर्ग और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ :

दि.24/04/2024 को आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं), राजमहेन्द्री के निदेशक एवं विशेषज्ञों द्वारा विस्तार अनुभाग के निम्नलिखित चालू/समाप्त अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिये गये थे ।

1. सोलार थर्मल ऊर्जा आधारित एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग प्रणाली का विकास एवं मूल्यांकन
2. एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में लकडी ईंधन उपभोग को कम करने लूज-लीफ बखार (एलएलबी) का मूल्यांकन
3. कहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणता को बढाने पोषकतत्वों की संपूरण, निमटोड/रोग नियंत्रण के लिए जीव-संकाय का मूल्यांकन ।

तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों और कंपेनियों, जिन्होंने परियोजनाओं को प्रायोजित किये थे, से संबंधित प्रतिनिधियों इस कार्यक्रम में भाग लिये थे ।

''कहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणता को बढाने के लिए पोषकतत्वों की संपूरण, निमटोड/रोग नियंत्रण के लिए जीव-संकाय का मूल्यांकन'' पर अनुसंधान परियोजना की लगता की दूसरी किस्त से संबंधित आईसीआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) को ₹1.14 लाख की राशि रीलिज किया गया था ।

माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा दि.29/06/2024 को तम्बाकू बोर्ड में तम्बाकू किसानों और व्यापारियों के साथ संपन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड ने आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) को विभिन्न विषयों जैसे., तम्बाकू की खेती में मशीनीकरण, एसओपी उर्वरकों के लिए उपयुक्त विकल्प, निर्यातों को प्रोत्साहित करने तम्बाकू में आपत्तिजनक अवशेषों से बचने के लिए उपयुक्त पौधा संरक्षण रसायनों, तम्बाकू क्यूरिंग करने के लिए सौर उर्जा और बिजली से संचालित बखार का विकास आदि., विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया था । आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) ने 12 अनुसंधान परियोजनाओं पर अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था ।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा दि.23/10/2024 को आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) के साथ एक पारस्परिक सत्र का आयोजन किया था । आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) से निदेशक और विशेषज्ञों के द्वारा तम्बाकू

की खेती में महिला कर्मियों की कडी मजदूरी को कम करने हेतु अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रेजंटेशन प्रस्तुत किये गये थे । अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों को समझाने और वित्तीय सहायता के लिए आग्रह करने के उद्देश्य से दि.31/01/2025 और दि.06/03/2025 को मुख्य कार्यालय के भातंसं और प्रधान व्यापारी सदस्यों के साथ बैठकों को आयोजित किये थे।

आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित दो अनुसंधान परियोजनाओं को फैनलैज किये गये हैं और इन्हें व्यापारी वर्ग की वित्तीय सहायता से आईसीएआर-एनआईआरसीए (केतंअसं) को प्रदान किये जाने पर विचार किया गया है :

(i) तम्बाकू क्यूरिंग में महिला कर्मियों की कडी मजदूरी को कम करने हेतु ₹12.669 लाख वित्तीय सहायता से लूज लीफ बखार में एफसीवी तम्बाकू के पत्तियों के धब्बे को कम करने परियोजना को प्रस्तावित किया गया है ।

(ii) लकडी ईंधन के स्थान पर हरित ऊर्जा को प्रतिस्थापित करने हेतु ₹ 33.161 लाख वित्तीय सहायता से एफसीवी तम्बाकू पत्ता क्यूरिंग के लिए ऊर्जा संरक्षण और लकडी प्रतिस्थापन पर परियोजना को प्रस्तावित किया गया है ।

## 2024-25 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2024-25 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ₹ 358.07 लाख कुल राशि व्यय खर्च की ।

| विस्तार योजनाएँ | व्यय (₹ लाखों में) |
|---|---|
| फार्म यांतिकीकरण | 35.747 |
| तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि | 130.763 |
| क्यूरिंग और श्रेणीकरण प्रयासों की वृद्धि | 103.186 |
| एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता | 34.326 |
| पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध | 20.748 |
| किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम | 16.048 |
| ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण | 5.162 |
| नमूना परियोजना क्षेत्र | 10.950 |
| वैज्ञानिक तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के लिए निधिकरण | 1.140 |
| **कुल** | **358.07** |

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ **पृष्ठ सं. 51 से 55** में दिये गये ।

## 2024-25 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभभोगियों की संख्या | | | भौतिक उपलब्धि (संख्या/कि.ग्रा./लीटर) | | | वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आं.प्र | कर्नाटका | कुल | आं.प्र | कर्नाटका | कुल | आं.प्र | कर्नाटका | कुल |
| 1 | **फार्म यांत्रिकीकरण** | | | | | | | | | |
| क | एचडीपीई (सिंचाई) पाईप | 926 | | 926 | 17690 | | 17690 | 35.747 | | 35.747 |
| | **उप कुल** | **926** | | **926** | **17690** | | **17690** | **35.747** | | **35.747** |
| 2 | **एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना** | | | | | | | | | |
| क | हरित खाद बीज | 593 | 1517 | 2110 | 12834.4 | 35940 | 48774.4 | 1.283 | 3.594 | 4.877 |
| ख | पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण | | | | 276 | 210 | 486 | 14.077 | 14.268 | 28.345 |
| | **संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ** | | | | | | | | | |
| ग | फोरोमेन ट्राप | 731 | 491 | 1222 | 13904 | 5340 | 19244 | 1.807 | 1.015 | 2.822 |
| घ | पीला चिपचिपा ट्राप | 847 | 467 | 1314 | 11689 | 5170 | 16859 | 0.526 | 0.310 | 0.836 |
| ड़ | ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति | 1915 | 7685 | 9600 | 879568 | 1919685 | 2799253 | 21.463 | 61.228 | 82.691 |
| च | बयो-पेस्टिसाईडों की आपूर्ति | 834 | 692 | 1526 | 3703 | 692 | 4395 | 4.906 | 0.872 | 5.778 |
| छ | गेंदा (मेरीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति | 1148 | 1850 | 2998 | 335000 | 185000 | 520000 | 3.015 | 1.665 | 4.680 |
| ज | जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति | | 721 | 721 | | 1056 | 1056 | 0.000 | 0.734 | 0.734 |
| | **उप कुल** | **6068** | **13423** | **19491** | | | | **47.077** | **83.686** | **130.763** |
| 3 | **क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय** | | | | | | | | | |
| क | ग्लास वूल छत पृथक्करण / पेद्दी स्ट्रा इन्सुलेशन | 302 | 1235 | 1537 | 261 | 1255 | 1516 | 23.490 | 68.700 | 92.190 |
| ख | वेंन्टुरी फर्नेस का स्थापन | 243 | | 243 | 172 | | 172 | 8.600 | 0.000 | 8.600 |
| ग | तम्बाकू क्यूरिंग/सामाजिक बागवन के लिए ईंधन को पैदा करना | 1137 | 1799 | 2936 | 10410 | 17740 | 28150 | 1.396 | 1.000 | 2.396 |
| | **उप कुल** | **1682** | **3034** | **4716** | | | | **33.486** | **69.700** | **103.186** |
| 4 | **एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पालीनों (कान्वास) की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता** | 2498 | 950 | 3448 | 2498 | 950 | 3448 | 25.640 | 8.686 | 34.326 |
| 5 | **पीएचपीएम उपाय-बल्किंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण** | 105 | | 105 | 105 | | 105 | 20.748 | 0.000 | 20.748 |

## 2024-25 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
## भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभभोगियों की संख्या | | | भौतिक उपलब्धि (संख्या/कि.ग्रा./लीटर) | | | वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आं.प्र | कर्नाटका | कुल | आं.प्र | कर्नाटका | कुल | आं.प्र | कर्नाटका | कुल |
| 6 | **अन्य विकासात्मक कार्यक्रम किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण** | | | | | | | | | |
| क | कार्यशाला | 459 | 382 | 841 | 2 | 2 | 4 | 1.574 | 1.057 | 2.631 |
| ख | नीलाम अधीक्षकों द्वारा ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम | 4777 | 3013 | 7790 | 96 | 60 | 156 | 3.503 | 2.327 | 5.830 |
| ग | सीपीए बैठक | 266 | | 266 | 1 | | 1 | 0.193 | 0.000 | 0.193 |
| घ | एनआईपीएचएम/आईसीएआर - एनआईआरसीए/सीआईएई में अधिकारियों/कर्मचारी/ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम | 360 | 160 | 520 | 7 | 2 | 9 | 2.588 | 0.142 | 2.730 |
| ड. | अध्ययन यात्रा | 355 | 88 | 443 | 14 | 10 | 24 | 3.294 | 0.560 | 3.854 |
| च | क्षेत्र मित्र दल | | | | 6 | 2 | 8 | 0.577 | 0.233 | 0.810 |
| | **उप कुल** | **6217** | **3643** | **9860** | | | | **11.729** | **4.319** | **16.048** |
| 7 | **ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल** | 13 | 10 | 23 | 16 | 10 | 26 | 2.202 | 1.500 | 3.702 |
| क | क्षेत्र दिन | 830 | 520 | 1350 | 16 | 10 | 26 | 0.962 | 0.498 | 1.460 |
| 8 | नमूना परियोजना क्षेत्र | 908 | 628 | 1536 | 16 | 10 | 26 | 6.468 | 4.482 | 10.950 |
| 9 | वैज्ञानिक तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के लिए निधिकरण | | | | | | | 0.000 | 1.140 | 1.140 |
| | **महा योग** | **19247** | **22208** | **41455** | | | | **184.059** | **174.011** | **358.070** |

## 2024-25 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रोयरों को कवरेज (आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका)

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभभोगियों | | | | | भौतिक उपलब्धि (सं/कि.ग्रा./लीटर) | | | | | वित्तीय उपलब्धि (सब्सिडी ₹ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल |
| 1 | फार्म यांत्रिकीकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| क | एचडीपीई (सिंचाई) पाईप | 34 | 0 | 233 | 659 | 926 | 680 | 0 | 4410 | 12600 | 17690 | 203592 | 0 | 874336 | 2496728 | 3574656 |
| | उप कुल | 34 | 0 | 233 | 659 | 926 | 680 | 0 | 4410 | 12600 | 17690 | 203592 | 0 | 874336 | 2496728 | 3574656 |
| 2 | एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना | | | | | | | | | | | | | | | |
| क | हरित खाद बीज | 60 | 47 | 538 | 1465 | 2110 | 1300 | 1080 | 12452.6 | 33941.8 | 48774.4 | 13000 | 10800 | 124526 | 339418 | 487744 |
| ख | पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण | | | | | | | | | | 486 | | | | | 2834488 |
| | संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ग | फोरोमेन ट्राप | 47 | 41 | 304 | 830 | 1222 | 741 | 653 | 4804 | 13046 | 19244 | 11571 | 9599 | 69382 | 191660 | 282212 |
| घ | पीला चिपचिपा ट्राप | 50 | 55 | 328 | 881 | 1314 | 636 | 609 | 4007 | 11607 | 16859 | 3289 | 3073 | 19754 | 57536 | 83652 |
| ङ | ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति | 491 | 306 | 2276 | 6527 | 9600 | 132468 | 90848 | 718427 | 1857510 | 2799253 | 639196 | 417927 | 1969818 | 5242191 | 8269132 |
| च | बयो-पेस्टिसाईडों की आपूर्ति | 45 | 49 | 409 | 1023 | 1526 | 128 | 119 | 1292 | 2856 | 4395 | 16905 | 15645 | 170263 | 374989 | 577802 |
| छ | गेंदा (मेरीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति | 387 | 120 | 641 | 1850 | 2998 | 48155 | 27100 | 127538 | 317207 | 520000 | 43340 | 24390 | 114784 | 285486 | 468000 |
| ज | जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति | 63 | 57 | 139 | 462 | 721 | 100 | 38 | 213 | 705 | 1056 | 6560 | 2784 | 15264 | 48760 | 73368 |
| | **उप कुल** | **1143** | **675** | **4635** | **13038** | **19491** | | | | | | **733860** | **484218** | **2483791** | **6540040** | **13076398** |

## 2024-25 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रोयरों को कवरेज (आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका)

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभभोगियों | | | | | भौतिक उपलब्धि (सं/कि.ग्रा./लीटर) | | | | | वित्तीय उपलब्धि (सब्सिडी ₹ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल |
| 3 | **क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय** | | | | | | | | | | | | | | | |
| क | ग्लास वूल छत पृथक्करण / पेद्दी स्ट्रा इन्सुलेशन | 62 | 40 | 401 | 1034 | 1537 | 61.33 | 42 | 394.2 | 1018.47 | 1516 | 353970 | 215000 | 2469800 | 6180230 | 9219000 |
| ख | वेंन्टुरी फर्नेस का स्थापन | 5 | 2 | 59 | 177 | 243 | 4.17 | 1 | 41.63 | 125.2 | 172 | 20850 | 5000 | 208150 | 626000 | 860000 |
| ग | तम्बाकू क्यूरिंग/सामाजिक बागबन के लिए ईंधन को रैज करना | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239590 |
| | **उप कुल** | 67 | 42 | 460 | 1211 | 4716 | | | 374820 | 220000 | 2677950 | 6806230 | 10318590 | | | |
| 4 | **एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पालीनों (कान्वास) की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता** | 183 | 121 | 773 | 2371 | 3448 | 183 | 121 | 773 | 2371 | 3448 | 243600 | 163200 | 744200 | 2281600 | 3432600 |
| 5 | **पीएचपीएम उपाय - बल्किंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण** | 1 | 0 | 20 | 84 | 105 | 1 | 0 | 20 | 84 | 105 | 22400 | 0 | 371000 | 1681400 | 2074800 |

## 2024-25 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रोयरों को कवरेज (आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका)

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभभोगियों | | | | | भौतिक उपलब्धि (सं/कि.ग्रा./लीटर) | | | | | वित्तीय उपलब्धि (सब्सिडी ₹ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल | एस सी | एस टी | महिला | अन्य | कुल |
| 6 | **अन्य विकासात्मक कार्यक्रम किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण** | | | | | | | | | | | | | | | |
| क | कार्यशाला | | | | | 841 | | | | | 4 | | | | | 263095 |
| ख | नीलाम अधीक्षकों द्वारा ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | | | 7790 | | | | | 156 | | | | | 582982 |
| ग | सीपीए बैठक | | | | | 266 | | | | | 1 | | | | | 19350 |
| घ | एनआईपीएचएम/ आईसीएआर-एनआईआरसीए सीआईएई में अधिकारियों/ कर्मचारी/ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | | | 520 | | | | | 9 | | | | | 272970 |
| ड. | अध्ययन यात्रा | | | | | 443 | | | | | 24 | | | | | 385375 |
| च | क्षेत्र मित्र दल | | | | | | | | | | 8 | | | | | 81002 |
| | **उप कुल** | | | | | **9860** | | | | | | | | | | **1604774** |
| 7 | **ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल** | | | | | 23 | | | | | 26 | | | | | 370220 |
| क | क्षेत्र दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | | | 1350 | | | | | 26 | | | | | 146024 |
| 8 | नमूना परियोजना क्षेत्र | | | | | 1536 | | | | | 26 | | | | | 1094982 |
| 9 | वैज्ञानिक तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के लिए निधिकरण | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 114000 |
| | **महा योग** | **1428** | **838** | **6121** | **17363** | **41455** | | | | | | **1578272** | **867418** | **7151277** | **19805998** | **35807044** |

**तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम :**

(i) कर्नाटका में आईएसटीएम, नई दिल्ली के संकाय द्वारा दि.03/06/2024 से दि.04/06/2024 तक निवारक सतर्कता (पीवी-11) पर 04 पदाधिकारियों (नी.अ/वश्रेअ) को प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) आयोजित किया था ।

(ii) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में, आईएसटीएम, नई दिल्ली के संकाय द्वारा दि.03/06/2024 से दि.04/06/2024 तक अभिलेख प्रबंध की प्रगामी पाठ्यक्रम (एआरएम-05) पर 06 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) आयोजित किया था ।

(iii) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में, आईएसटीएम, नई दिल्ली के संकाय द्वारा दि.10/06/2024 को आरटीए अधिनियम & अन्य पार्टी लेखापरीक्षा के अन्तर्गत सूचना का प्रोएक्टिव से प्रकटीकरण पर 03 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) प्रदान किया गया था ।

(iv) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में, आईएसटीएम, नई दिल्ली के संकाय द्वारा दि.29/07/2024 से दि.30/07/2024 तक ई-ऑफीस (डब्ल्यूईओ-17) पर 02 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) प्रदान किया गया था ।

(v) आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा दि.26/08/2024 से दि.28/08/2024 तक नई दिल्ली में 01 पदाधिकारी को एसएस-पवरपाईंट पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।

(vi) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में, स.प्र (लेखा) & कोफार्जी दल द्वारा संबंधित लेखा पदाधिकारियों को दि.27/08/2024 को दकामि क्षेत्र के लिए, दि.28/08/2024 को दहमि क्षेत्र के लिए और दि.29/08/2024 को उहमि क्षेत्र के लिए वित्तीय मापदण्ड (माड्युल) पर एक ऑन-लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(vii) आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा दि.05/09/2024 को नई दिल्ली में 05 पदाधिकारियों को सहयोगी नेतृत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(viii) दि.23/09/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में आईएसटीएम, नई दिल्ली के द्वारा 02 पदाधिकारियों को ''कार्यक्षेत्र में महिलाओं की यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों'' पर पूछताछ आयोजन पर प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) आयोजित किया गया ।

(ix) आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा दि.03/10/2024 से दि.04/10/2024 तक नई दिल्ली में 04 पदाधिकारियों को निवार्य सतर्कता पर पूर्वाभिमुख (ओरियंटेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(x) आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा दि.24/10/2024 से दि.25/10/2024 तक नई दिल्ली में 08 पदाधिकारियों को सरकार ई-मार्केट स्थान (जीईएम) पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

(xi) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा दि.11/11/2024 से दि.13/11/2024 तक 04 पदाधिकारियों को ई-अभिलेख प्रबंध - आरटीआई पर प्रशिक्षण (ऑन-लाईन) दिया गया था ।

(xii) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में तम्बाकू बोर्ड अधिकारियों द्वारा दि.19/11/2024 को दकामि क्षेत्र के लिए, दि.20/11/2024 को दहमि क्षेत्र के लिए और दि.21/11/2024 को उहमि क्षेत्र/मु.का के बाहरी स्रोत कर्मचारियों के लिए किसानों को दिन-प्रतिदिन संबंधित तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।

(xiii) मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में एनआईपीटीडी, नई दिल्ली द्वारा दि.08/01/2025 से दि.10/01/2025 तक 33 पदाधिकारियों के लिए निवार्य सतर्कता पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।

## ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

**I) तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि :**

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 77,300 सक्रिय सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के साथ 2009-10 में ''तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाएँ'' प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को प्रारंभ किया है ।

यह कल्याण योजना द्वारा प्राकृतिक और दुर्घटना मृत्यु होने पर ग्रोयरों को मृत्यु अनुदान के रूप में और बालिका विवाह, सदस्य बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों में इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण डामेज हुए बखारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रावधान करती है ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 5.46 करोड की राशि और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹ 0.59 करोड की राशि कुल मिलाकर ₹ 6.05 करोड की राशि वितरित किये गये थे । तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर दि.31/03/2025 तक अनुदान और ऋणों के रूप में 22,948 सदस्यों को ₹ 89.01 करोड की वित्तीय सहायता (₹ 74.22 करोड मूल्य के अनुदान और ₹ 14.80 करोड मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण) मंजूर किये गये। 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि लेखा में ₹ 74.76 करोड की राशि उपलब्ध रही ।

## योजना प्रारंभ से दि.31/03/2025 तक मंजूर किये गये अनुदान/ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता को दर्शानेवाला विवरण

| योजना का संवर्ग | योजना का प्रारंभ से 31/03/2024 तक | | | | | | 2024-25 के दौरान (01/04/2024 से 31/03/2025 तक) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आन्ध्र प्रदेश | | कर्नाटका | | कुल | | आन्ध्र प्रदेश | | कर्नाटका | | कुल | |
| | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में | लाभ-भोगियों की संख्या | राशि (₹) लाखों में |
| **मृत्यु अनुदान** | | | | | | | | | | | | |
| सहज मृत्यु | 10292 | 3488.50 | 5918 | 2982.12 | 16210 | 6470.62 | 447 | 223.50 | 598 | 299.00 | 1045 | 522.50 |
| दुर्घटना मृत्यु | 372 | 258.00 | 148 | 147.50 | 520 | 405.50 | 8 | 8.00 | 15 | 15.00 | 23 | 23.00 |
| **कुल अनुदान (क)** | **10664** | **3746.50** | **6066** | **3129.62** | **16730** | **6876.12** | **455** | **231.50** | **613** | **314.00** | **1068** | **545.50** |
| **ब्याज मुक्त ऋण** | | | | | | | | | | | | |
| (क) बालिका विवाह | 589 | 154.25 | 1296 | 640.25 | 1885 | 794.50 | 0 | 0.00 | 89 | 44.50 | 89 | 44.50 |
| (ख) प्रधान बीमारी | 95 | 30.15 | 22 | 10.74 | 117 | 40.89 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
| (ग) बखार डामेज ऋण | 2224 | 260.85 | 351 | 162.51 | 2575 | 423.36 | 0 | 0.00 | 17 | 7.90 | 17 | 7.90 |
| (घ) बालक शिक्षा ऋण | 289 | 80.74 | 164 | 80.85 | 453 | 161.59 | 1 | 0.50 | 11 | 5.50 | 12 | 6.00 |
| **कुल ऋण (ख)** | **3197** | **525.99** | **1833** | **894.35** | **5030** | **1420.34** | **1** | **0.50** | **119** | **58.90** | **120** | **59.40** |
| **महायोग (क+ख)** | **13861** | **4272.49** | **7899** | **4023.97** | **21760** | **8296.46** | **456** | **232.00** | **732** | **372.90** | **1188** | **604.90** |

## नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने 1984 को कर्नाटका में और आन्ध्र प्रदेश में 1985 को आन्ध्र प्रदेश में नीलाम प्लैटफार्मों को स्थापित करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है । क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, तम्बाकू के लिए ठीक तौलन का प्रावधान और ग्रोयरों को सही भुगतान सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्रोयरों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्यों को सुनिश्चित करना इस नीलाम प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है । कई वर्षों से बोर्ड एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रही है, जिससे सभी हितधारकों को संतुष्ट मिली है ।

बोर्ड ने वर्ष 2012 में सूचना एवं प्रौधोगिकी में प्रगति को उपयोग करते हुए, मान्युवल नीलामी प्रणाली को इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली में बदलकर नीलाम प्रणाली को मजबूत बना दिया । यह इलेक्ट्रानिक नीलाम प्रणाली नीलाम प्रणाली में संपूर्ण पारदर्शिता को लाती है और प्रत्येक विवरण को डिजिटल फार्मेट में दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है।

एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम दृश्य

### I. आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

### क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 142 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था ।

इस वर्ष, अधिकतर किसानों ने प्रतिरोपण समय के दौरान सूखा की स्थिति के कारण विलंब से प्रतिरोपण किये थे । प्रतिरोपण के बाद ‘‘मिचांग’’ चक्रवात ने सभी क्षेत्रों में फसल को कॉफी नुकसान पहुँचा दी । और उहम क्षेत्र में यह नुकसान अधिक रही थी, जहाँ पर कुछ किसानों पुनः रोपण को अपनाये थे । दहमि & दकामि क्षेत्रों में ओरबान्खे की उत्पीडन देखी गई । इन सभी कठिनाईयों के बावजूद किसानों अपने पूरे मेहनत से उत्तम गुणवत्ता वाली तम्बाकू का उत्पादन किये थे ।

### ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश के 16 नीलाम प्लैटफार्मों में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2 दशाओं में प्रारंभ हुए । प्रथम दशा में दकामि क्षेत्रों के 2 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.29/02/2024 को और दूसरी दशा में दकामि, दहमि & उहमि क्षेत्रों के सभी 14 नीलामी प्लैटफार्मों में नीलामियाँ दि.06/03/2024 को आरंभ हुए ।

### ग) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 50 : 30 : 20 श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 36 : 30 : 34 श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये थे ।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये गये :

| क्षेत्र | 2023-24 मौसम | | | 2022-23 मौसम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चमकीला % | मध्यम% | निम्न % | चमकीला % | मध्यम% | निम्न % |
| दकामि | 29 | 24 | 47 | 45 | 26 | 29 |
| दहमि | 19 | 39 | 42 | 38 | 39 | 23 |
| उहमि | 61 | 26 | 13 | 67 | 25 | 8 |
| समग्र | **36** | **30** | **34** | **50** | **30** | **20** |

### घ) विपणित परिमाण एवं प्राप्त मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2023-24 वित्तीय वर्ष में दि. 29/02/2024 को प्रारंभ हुए और समापन 2024-25 वित्तीय वर्ष में दि.14/10/2024 को समाप्त हुए । नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 288.65 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 215.35 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू विपणन हुआ था, जिसमें दि.01/04/2024 से 14/10/2024 तक याने., 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 292.60 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 201.75 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन शामिल था । दि.01/04/2024 से 14/10/2024 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य **अनुलग्नक-I** में दिये गये थे ।

### ड.) बाजार विश्लेषण :

2023-24 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 29 फरवरी, 2024 को प्रारंभ हुए और 14 अक्तूबर, 2024 तक 178 नीलाम दिनों में समाप्त हुई । 2023-24 नीलाम मौसम के दौरान, जो निर्धारित कुल फसल परिमाण याने., 142 मिलियन कि.ग्रा. के लिए ₹ 288.65 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 215.35 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2023-24 मौसम के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 288.65 प्रति कि.ग्रा, जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 62.92 प्रति कि.ग्रा. अधिक दर्ज किया था । 2023-24 मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में दर्ज किये ₹ 288.65 औसत मूल्य और दर्ज किये उच्चतम बिड ₹ 411/- प्रति कि.ग्रा., जो आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में उच्चतम रिकार्ड रही थी । कुल मिलाकर, पूर्व वर्ष की 148 दिनों की तुलना में 2023-24 फसल मौसम के दौरान 178 फसल दिनों में नीलाम समाप्त हुए ।

चालू नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :

| मिट्टी क्षेत्र | श्रेणी | 2023-24 नीलाम (अंतिम) | | 2022-23 नीलाम (अंतिम) | | 2022-23 नीलाम की तुलना में 2023-24 के औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | |
| दकामि (दक्षिण काली मिट्टियाँ) | चमकीला | 22.92 | 335.19 | 29.94 | 227.61 | +107.58 |
| | मध्यम | 19.38 | 294.70 | 17.15 | 219.86 | +74.84 |
| | निम्न | 36.83 | 229.37 | 18.79 | 199.84 | +29.53 |
| | **कुल** | **79.13** | **276.02** | **65.88** | **217.67** | **+58.35** |
| दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टियाँ) | चमकीला | 12.99 | 314.66 | 21.62 | 220.26 | +94.40 |
| | मध्यम | 26.96 | 299.93 | 22.45 | 219.41 | +80.52 |
| | निम्न | 29.01 | 218.31 | 13.16 | 197.44 | +20.87 |
| | **कुल** | **68.96** | **268.37** | **57.23** | **214.68** | **+53.69** |
| उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टियाँ) | चमकीला | 41.27 | 359.26 | 38.67 | 261.83 | +97.43 |
| | मध्यम | 17.46 | 301.92 | 14.30 | 221.17 | +80.75 |
| | निम्न | 8.53 | 201.06 | 4.94 | 191.62 | +9.44 |
| | **कुल** | **67.26** | **324.31** | **57.91** | **245.81** | **+78.50** |
| सभी क्षेत्र | चमकीला | 77.18 | 344.61 | 90.23 | 240.52 | +104.09 |
| | मध्यम | 63.80 | 298.89 | 53.90 | 220.02 | +78.87 |
| | निम्न | 74.37 | 221.81 | 36.89 | 197.88 | +23.93 |
| | **कुल** | **215.35** | **288.65** | **181.02** | **225.73** | **+62.92** |

**च) क्रेता निष्पादन :**

पूर्व वर्ष में भाग लिये 56 क्रेताओं के लिए 2023-24 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 78 क्रेता भाग लिये। निर्यातकों तथा डीलरों के संवर्गों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत प्रदत्त मूल्य पूर्व वर्ष की क्रयों की तुलना में नीचे दिये :

| क्र. सं. | संवर्ग | 2023-24 नीलामियाँ | | | 2022-23 नीलामियाँ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (मि.कि.ग्रा) | % शेयर | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) | परिमाण (मि.कि.ग्रा) | % शेयर | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) |
| 1 | निर्यातक | 183.25 | 85.09 | 288.30 | 167.27 | 92.40 | 224.43 |
| 2 | डीलर | 32.10 | 14.91 | 290.63 | 13.75 | 7.60 | 241.48 |
| | **कुल** | **215.35** | **100.00** | **288.65** | **181.02** | **100.00** | **225.73** |

2023-24 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण निम्नामुसार रहे हैं:

(परिमाण मि.कि.ग्रा. में)

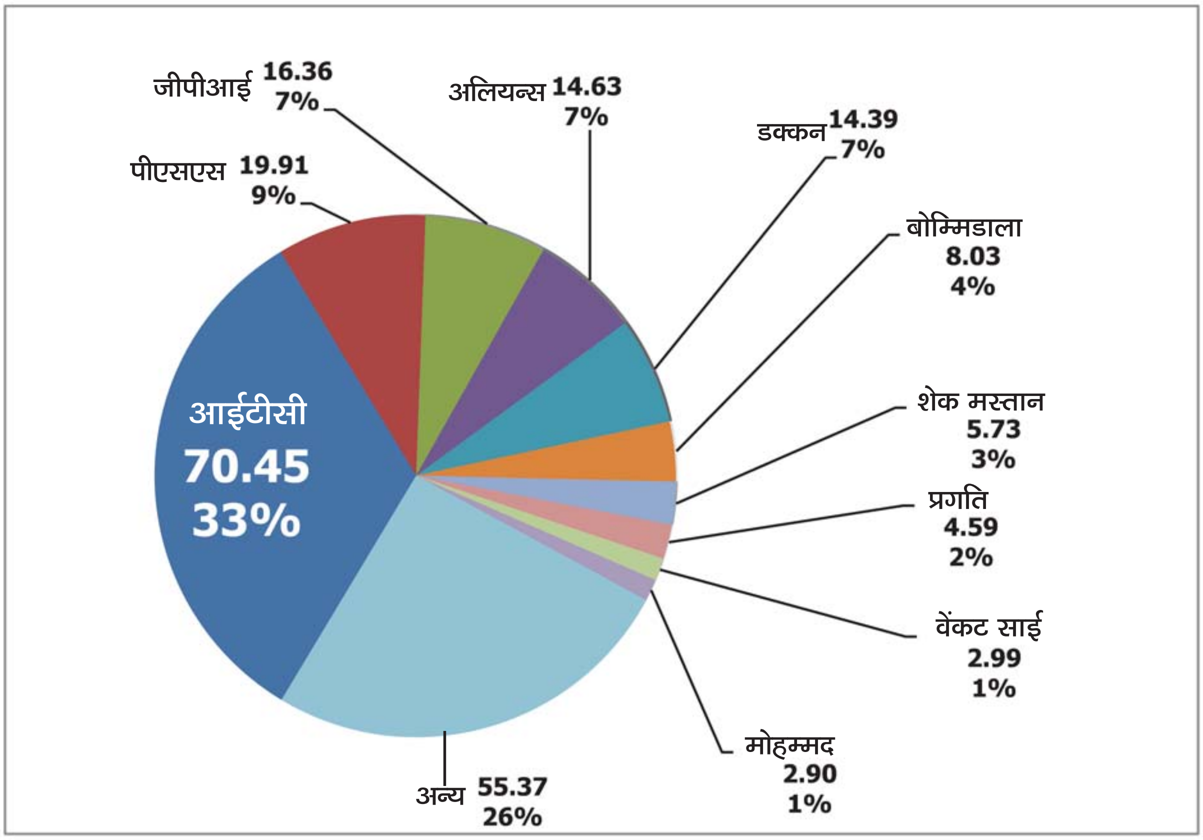


### छ) कुल विपणित एफसीवी तम्बाकू मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 फसल मौसम के दौरान, नालामी बिक्रियों में विपणित और ग्रोयरों द्वारा प्राप्त किये तम्बाकू फसल के कुल मूल्य ₹ 6,216.01 करोड था।

### ज) नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

| क्र सं. | ग्रोयरों का संवर्ग | ग्रोयरों की संख्या | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल (₹/किलो) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजीकृत ग्रोयर | 43,085 | 215345435.3 | 288.65 |
| 2. | अपंजीकृत ग्रोयर | 0 | 0.0 | 0.00 |

## II. कर्नाटका में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

### क) निर्धारित फसल परिमाण और फसल उत्पादन :

कर्नाटका में 2024-25 फसल मौसम के दौरान किसानों के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया है । इस वर्ष, किसानों ने मौसम प्रारंभ में ही कुल प्लानटेशनों को पूरा कर लिया । यह फसल जुलाई, 2024 महीने के दौरान निरंतर वर्षाओं से प्रभावित हुए और किसानों ने इस निरंतर वर्षा से फसल को बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पडा था । दूसरी ओर, श्रामिक, लकडी ईंधन और इनपुट लागत आदि., बढने के कारण कृषि लागत में भी वृद्धि हुई । कुल मिलाकर, फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही ।

### ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

2024-25 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटका में नीलामियाँ 10 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.07/10/2024 को प्रारंभ हुए थे ।

### ग) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पूर्व वर्ष में रहे 31:45:24 की तुलना में 2024-25 फसल के लिए 25:45:30 श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

### घ) विपणित परिमाण और प्राप्त मूल्य :

दि.31/03/2025 तक 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 262.32 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में कुल मिलाकर 81.90 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू का विपणन हुआ था । दि.07/10/2024 से दि.31/03/2025 की अवधि के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण **अनुलग्नक-I** में दिये गये हैं ।

### ङ) बाजार विश्लेषण :

दि.31/03/2025 तक इस मौसम के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 262.32 प्रति कि.ग्रा., जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 4.86 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था । दि.31/03/2025 तक 2024-25 मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के लिए दर्ज हुई औसत मूल्य याने., ₹ 262.32 प्रति कि.ग्रा., और दर्ज हुई उच्चतम बिड ₹ 367/- प्रति कि.ग्रा., जो भारत में कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के ईतिहास में एक उच्चतम रिकार्ड रहा था ।

2024-25 नीलाम मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :

| क्र. सं. | श्रेणी | 2024-25 नीलाम (अंतिम) | | 2023-24 नीलाम (अंतिम) | | पूर्व वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | |
| 1 | चमकीला | 19.37 | 308.72 | 27.32 | 269.30 | + 39.42 |
| 2 | मध्यम | 33.68 | 284.40 | 40.53 | 259.20 | + 25.20 |
| 3 | निम्न | 28.85 | 205.42 | 21.01 | 238.70 | - 33.28 |
| | **कुल** | **81.90** | **262.32** | **88.86** | **257.46** | **+ 4.86** |

**ङ) पूर्व 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में विपणित एफसीवी तम्बाकू के औसत मूल्य और परिमाण :**

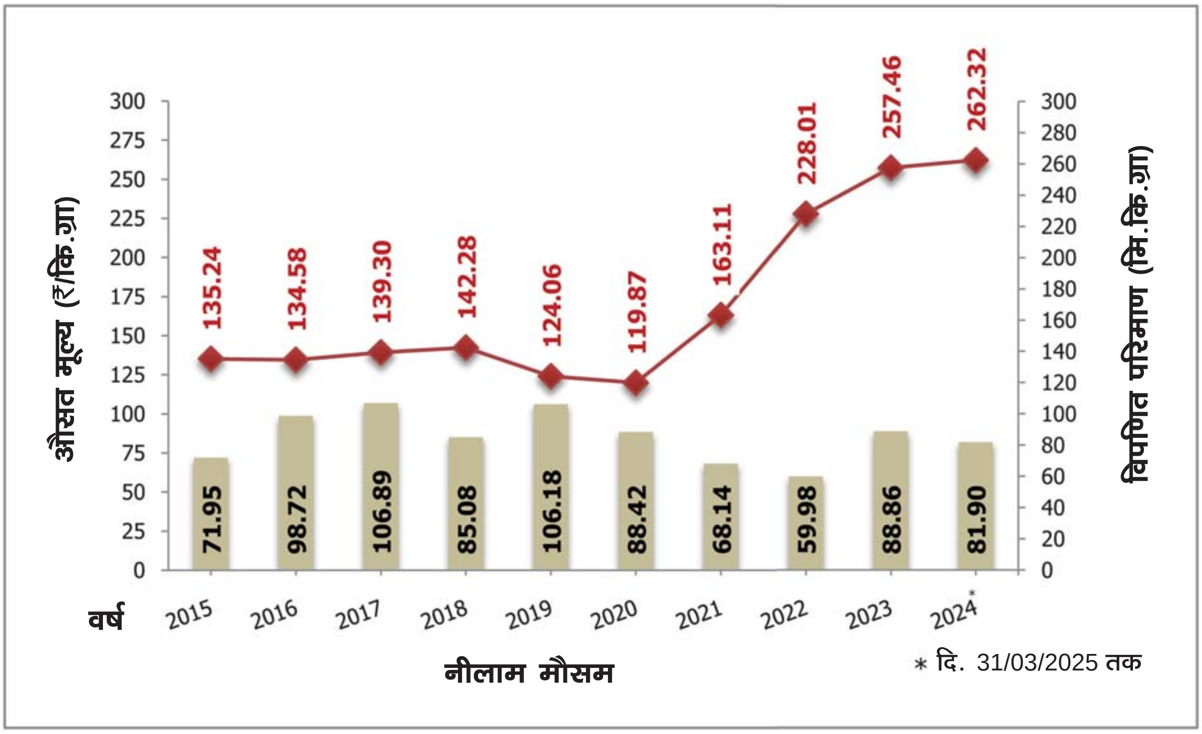


**च) खरीददार का निष्पादन :**

2024-25 कर्नाटका नीलामियों में दि.31/03/2025 तक पूर्व वर्ष में भाग लिये 56 क्रेताओं की तुलमा में कुल 57 क्रेता लोग भाग लिये थे । निर्यातकों तथा डीलरों के संवर्गो में क्रयित तम्बाकू परिमाण और क्रेतओं द्वारा औसत मूल्य पदत्त, जो उनके पूर्व वर्ष की तुलना में खरीदी विवरण नीचे दिये गये :

| क्र. सं. | संवर्ग | 2024-25 नीलामियाँ | | | 2023-24 नीलामियाँ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (मि.कि.ग्रा) | % शेयर | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) | परिमाण (मि.कि.ग्रा) | % शेयर | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) |
| 1 | निर्यातक | 74.44 | 90.89 | 259.79 | 74.28 | 83.59 | 257.77 |
| 2 | डीलर | 7.46 | 9.11 | 287.58 | 14.58 | 16.41 | 255.91 |
| | **कुल** | **81.90** | **100.00** | **262.32** | **88.86** | **100.00** | **257.46** |

2024-25 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं के क्रय विवरण नीचे दिये गये थे :

(परिमाण मि.कि.ग्रा.)

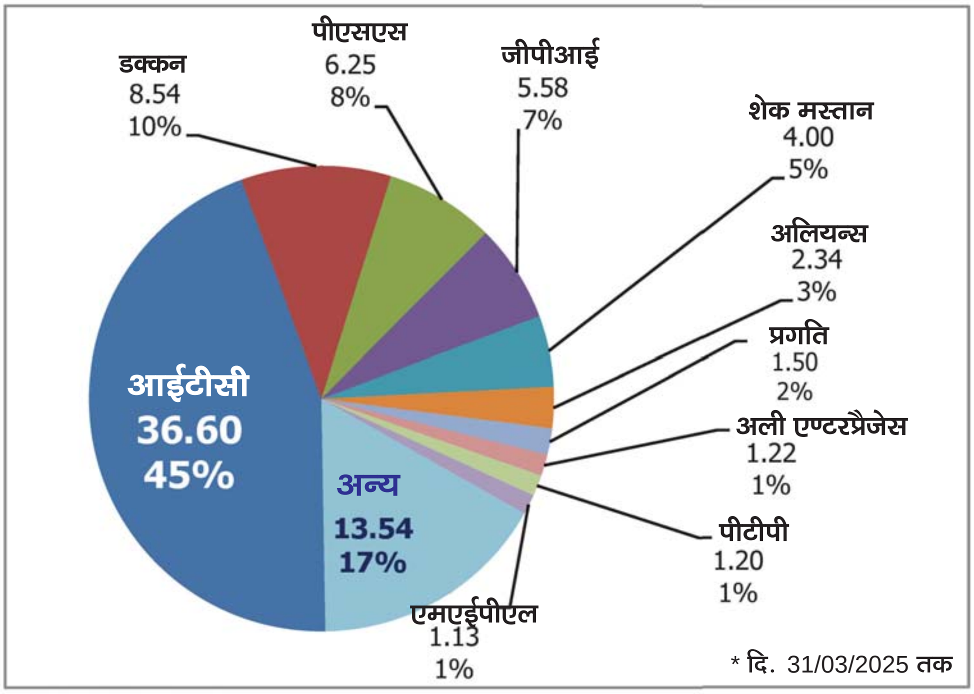


2024-25 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शानेवाले विवरण **अनुलग्नक-III** में दिये गये ।

### ज) विपणित एफसीवी तम्बाकू का कुल मूल्य :

2024-25 कर्नाटका मौसम के दौरान नीलाम बिक्रियों में विपणित और ग्रोयरों द्वारा प्रदत्त एफसीवी तम्बाकू का कुल मूल्य ₹ 2,148.46 करोड था ।

### छ) नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

| क्र सं | ग्रोयरों का संवर्ग | ग्रोयरों की संख्या | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/किलो) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजीकृत ग्रोयर | 38,592 | 73078126.5 | 263.74 |
| 2. | अपंजीकृत ग्रोयर | 12,176 | 8824058.3 | 250.65 |

## III. आन्ध्र प्रदेश में 2024-25 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

### क) निर्धारित फसल परिमाण और फसल स्थिति :

2024-25 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 167 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है ।

2024-25 फसल मौसम के दौरान, गत वर्ष में प्राप्त मूल्यों से उत्साहित होकर, किसानों ने गत वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में फसल रोपण किया । नवंबर और दिसंबर, 2024 के दौरान प्राप्त वर्ष से दक्षिण क्षेत्र की कुछ नीलाम प्लैटफामों में पौधों की स्थापना को प्रभावित किया था । दूसरी ओर, मुख्य रूप से श्रामिकों की मजदूरी और भूमि एवं बखार लीज में वृद्धि के कारण खेती की लागत में भारी वृद्धि हुई । इन सभी कठिनाईयों के बावजूद भी, किसान अच्छे गुणवत्ता वाली तम्बाकू का उत्पादन किया और इसका उत्पादन 240.40 मि.कि.ग्रा. अनुमानित था ।

2024-25 के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

| क्र. सं. | मिट्टी क्षेत्र | लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.) | अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.) |
|---|---|---|---|
| 1 | दकामि क्षेत्र | 55.11 | 84.70 |
| 2 | दहमि क्षेत्र | 50.15 | 76.20 |
| 3 | उहमि क्षेत्र | 61.74 | 79.50 |
| | **महा योग** | **167.00** | **240.40** |

नोट : उहमि क्षेत्र में उकामि क्षेत्र के लक्षित 3.48 मि.कि.ग्रा. परिमाण और आकलित फसल 3.00 मि.कि.ग्रा. शामिल था ।

2023-24 फसल की तुलना में 2024-25 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

| क्षेत्र | 2024-25 मौसम (आकलित) | | | 2023-24 मौसम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चमकीला % | मध्यम % | निम्न % | चमकीला % | मध्यम % | निम्न % |
| द का मि | 44 | 28 | 28 | 29 | 24 | 47 |
| द ह मि | 41 | 27 | 32 | 19 | 39 | 42 |
| उ ह मि | 55 | 29 | 16 | 61 | 26 | 13 |
| **कुल** | **46** | **28** | **26** | **36** | **30** | **34** |

### ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

2024-25 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 16 नीलाम प्लैटफार्मों में 3 दशाओं में प्रारंभ हुए । प्रथम दशा में दकामि & दहमि क्षेत्र में 4 नीलाम प्लैटफामों में दि.10/03/2025 को और दूसरी दशा में दकामि & दहमि क्षेत्रों में 7 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.19/03/2025 को और तीसरी दशा में उहमि क्षेत्र के बाकी 5 नीलाम प्लैटफामों में दि.24/03/2025 को प्रारंभ हुए ।

### ग) विपणित परिमाण और प्राप्त मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए । दि.31/03/2025 तक ₹ 273.34 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 4.74 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था और यह औसत मूल्य, जो अनुरूप मात्रा में विपणन के लिए पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 42.56 प्रति कि.ग्रा. अधिक रही थी ।

दि.31/03/2025 तक मिट्टी क्षेत्र वार प्राप्त औसत मूल्य को पूर्व वर्ष में विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में नीचे दिये गये थे :

| मिट्टी क्षेत्र | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.) | प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | | पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा.) |
|---|---|---|---|---|
| | 2024-25 | 2024-25 | 2023-24 | |
| दकामि | 1.76 | 270.66 | 229.27 | + 41.39 |
| दहमि | 2.48 | 273.45 | 229.13 | + 44.32 |
| उहमि | 0.51 | 282.03 | 239.48 | + 42.55 |
| **कुल** | **4.74** | **273.34** | **230.78** | **+ 42.56** |

### घ) पिछले 10 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में विपणित एफसीवी तम्बाकू के औसत मूल्य और परिमाण :

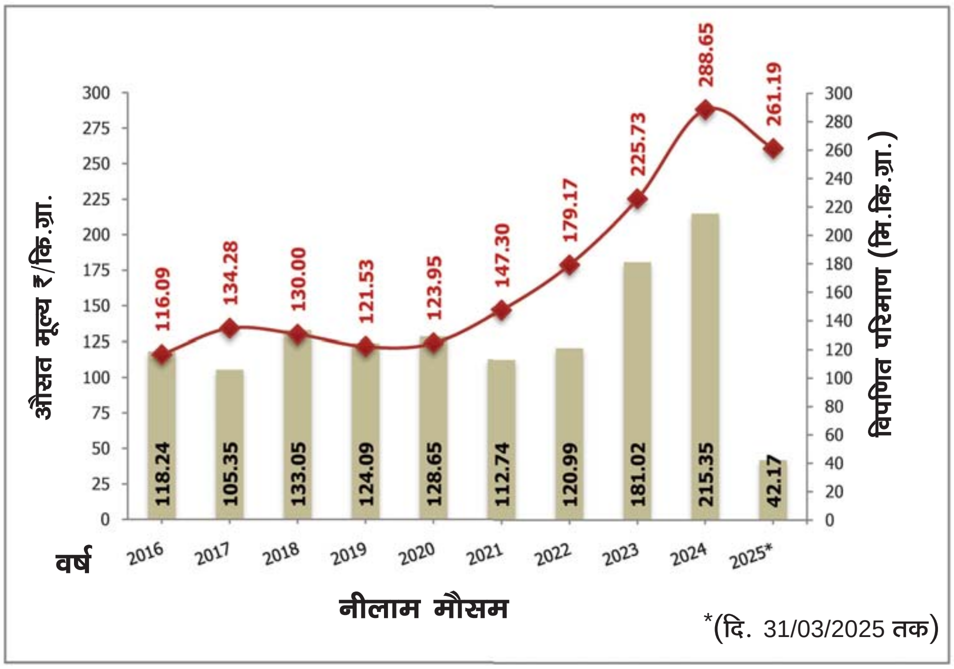


### ङ.) दि. 31/03/2025 तक चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य पूर्व वर्ष विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में निम्नानुसार है :

| श्रेणी | विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा) | प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | | पिछले वर्ष की औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.) |
|---|---|---|---|---|
| | 2024-25 | 2024-25 | 2023-24 | |
| चमकीला | 2.89 | 276.35 | 231.91 | + 44.44 |
| मध्यम | 1.81 | 269.08 | 231.75 | + 37.33 |
| निम्न | 0.04 | 248.33 | 224.37 | + 23.96 |
| **कुल** | **4.74** | **273.34** | **230.78** | **+ 42.56** |

दि. 31/03/2025 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड **अनुलग्नक-II** में दिये गये ।

### IV) 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मो में दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 288.39 मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 283.69 प्रति कि.ग्राम रहा था । नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि.01/04/2024 से 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान निर्यातक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिये गये।

अनुलग्नक-I

## 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

| क्र. सं. | नीलाम प्लैटफार्म का नाम | 2023-24 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2024 से 14/10/2024 अवधि के दौरान विपणित परिमाण | | 2024-25 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 10/03/2025 से 31/03/2025 अवधि के दौरान विपणित परिमाण | | 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) |
| I. | **आन्ध्र प्रदेश** | | | | | | |
| 1 | ओंगोल-I | 16321308.1 | 283.16 | 651817.1 | 269.66 | 16973125.2 | 282.64 |
| 2 | ओंगोल-II | 12020991.5 | 276.56 | 131381.8 | 270.28 | 12152373.3 | 276.49 |
| 3 | टंगुटूर-I | 15008911.6 | 282.16 | 226818.9 | 272.26 | 15235730.5 | 282.01 |
| 4 | कोंडेपी | 15674874.8 | 274.20 | 608187.6 | 271.88 | 16283062.4 | 274.11 |
| 5 | वेल्लमपल्ली-II | 13736882.2 | 284.49 | 137539.0 | 267.69 | 13874421.2 | 284.32 |
| | **कुल (दकामि)** | **72762968.2** | **280.18** | **1755744.4** | **270.66** | **74518712.6** | **279.96** |
| 6 | पोदिली-I | 13727005.1 | 270.51 | 633489.0 | 271.16 | 14360494.1 | 270.54 |
| 7 | कन्दुकुरु-I | 15145003.9 | 279.71 | 480175.1 | 273.71 | 15625179.0 | 279.53 |
| 8 | कन्दुकुरु-II | 12555132.1 | 273.07 | 284484.6 | 271.98 | 12839616.7 | 273.05 |
| 9 | कलिगिरी | 6524943.9 | 269.37 | 403335.8 | 275.52 | 6928279.7 | 269.73 |
| 10 | डी.सी. पल्ली | 8713037.9 | 265.46 | 494547.8 | 275.65 | 9207585.7 | 266.01 |
| 11 | कनिगिरी | 6947362.4 | 264.16 | 179190.8 | 272.48 | 7126553.2 | 264.37 |
| | **कुल (दहमि)** | **63612485.3** | **271.70** | **2475223.1** | **273.45** | **66087708.4** | **271.77** |
| 12 | देवरपल्ली | 10446791.8 | 320.46 | 49318.4 | 283.77 | 10496110.2 | 320.29 |
| 13 | जे.आर. गूडेम-I | 14478706.8 | 326.65 | 142133.0 | 281.49 | 14620839.8 | 326.21 |
| 14 | कोय्यलगूडेम | 14287034.3 | 328.32 | 101479.2 | 283.90 | 14388513.5 | 328.01 |
| 15 | जे.आर. गूडेम-II | 14635310.5 | 326.40 | 174636.9 | 280.07 | 14809947.4 | 325.85 |
| 16 | गोपालपुरम | 11522854.6 | 331.15 | 42978.3 | 285.35 | 11565832.9 | 330.98 |
| | **कुल (उहमि)** | **65370698.0** | **326.76** | **510545.8** | **282.03** | **65881243.8** | **326.42** |
| | **उप कुल** | **201746151.5** | **292.60** | **4741513.3** | **273.34** | **206487664.8** | **292.16** |

अनुलग्नक-I

## 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

| क्र. सं. | नीलाम प्लैटफार्म का नाम | 2023-24 कर्नाटका नीलामियाँ 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान विपणित परिमाण | | 2024-25 कर्नाटका नीलामियाँ 07/10/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान विपणित परिमाण | | 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.) |
| II. | कर्नाटका | | | | | | |
| 1 | एच.डी. कोटे | 0.0 | 0.00 | 8370929.4 | 256.47 | 8370929.4 | 256.47 |
| 2 | हुन्सूर-I | 0.0 | 0.00 | 7827304.7 | 262.74 | 7827304.7 | 262.74 |
| 3 | हुन्सूर-II | 0.0 | 0.00 | 7585086.7 | 260.71 | 7585086.7 | 260.71 |
| 4 | पेरियपट्ना-I | 0.0 | 0.00 | 8052229.9 | 261.20 | 8052229.9 | 261.20 |
| 5 | पेरियपट्ना-II | 0.0 | 0.00 | 9879441.2 | 272.74 | 9879441.2 | 272.74 |
| 6 | पेरियपट्ना-III | 0.0 | 0.00 | 8920618.7 | 266.92 | 8920618.7 | 266.92 |
| 7 | रामनाथपुरा-I | 0.0 | 0.00 | 7975002.7 | 254.95 | 7975002.7 | 254.95 |
| 8 | चिलकुंदा | 0.0 | 0.00 | 11578150.4 | 266.03 | 11578150.4 | 266.03 |
| 9 | रामनाथपुरा-II | 0.0 | 0.00 | 6486866.9 | 258.92 | 6486866.9 | 258.92 |
| 10 | हुन्सूर-III | 0.0 | 0.00 | 5226554.2 | 254.91 | 5226554.2 | 254.91 |
| | **उप कुल** | **0.0** | **0.00** | **81902184.8** | **262.32** | **81902184.8** | **262.32** |
| **महा योग (आं.प्र. & क.)** | | **201746151.5** | **292.60** | **86643698.1** | **262.92** | **288389849.6** | **283.69** |

अनुलग्नक-II

## 2024-25 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2025 तक नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण

| क्र. सं. | नीलाम प्लैटफार्म का नाम | नी. प्लै. सं. | लक्षित उत्पादन (मि.कि.ग्रा) | अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा) | प्रारंभ की तारीख | बिक्रित बेलों की संख्या | दर्ज किये उत्ततम बोली (₹कि.ग्रा) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा) | विपणित तम्बाकू मूल्य (₹) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओंगोल-I | 20 | 11.81 | 19.30 | 10/03/2025 | 4980 | 281.00 | 651817.1 | 175768999.19 | 269.66 |
| 2 | ओंगोल-II | 23 | 9.24 | 14.00 | 19/03/2025 | 981 | 280.00 | 131381.8 | 35509872.90 | 270.28 |
| 3 | टंगुटूर-I | 24 | 11.97 | 16.50 | 19/03/2025 | 1703 | 280.00 | 226818.9 | 61753713.71 | 272.26 |
| 4 | कोंडेपी | 25 | 12.10 | 18.90 | 10/03/2025 | 4670 | 280.00 | 608187.6 | 165354044.69 | 271.88 |
| 5 | वेल्लमपल्ली-II | 31 | 9.99 | 16.00 | 19/03/2025 | 1027 | 280.00 | 137539.0 | 36817814.91 | 267.69 |
| | **कुल (दकामि)** | | **55.11** | **84.70** | | **13361** | **281.00** | **1755744.4** | **475204445.40** | **270.66** |
| 6 | पोदिली-I | 22 | 11.43 | 17.00 | 10/03/2025 | 4893 | 280.00 | 633489.0 | 171776877.24 | 271.16 |
| 7 | कन्दुकुरू-I | 26 | 10.92 | 18.00 | 10/03/2025 | 3681 | 280.00 | 480175.1 | 131428726.62 | 273.71 |
| 8 | कन्दुकुरू-II | 27 | 9.34 | 15.00 | 19/03/2025 | 2166 | 280.00 | 284484.6 | 77374121.51 | 271.98 |
| 9 | कलिगिरि | 28 | 5.47 | 7.50 | 19/03/2025 | 3141 | 280.00 | 403335.8 | 111127079.62 | 275.52 |
| 10 | डी.सी. पल्ली | 29 | 7.47 | 10.50 | 19/03/2025 | 3772 | 280.00 | 494547.8 | 136322101.07 | 275.65 |
| 11 | कनिगिरि | 35 | 5.52 | 8.20 | 19/03/2025 | 1355 | 280.00 | 179190.8 | 48825909.18 | 272.48 |
| | **कुल (दहमि)** | | **50.15** | **76.20** | | **19008** | **280.00** | **2475223.1** | **676854815.24** | **273.45** |
| 12 | देवरपल्ली | 17 | 11.51 | 11.50 | 24/03/2025 | 364 | 290.00 | 49318.4 | 13995082.37 | 283.77 |
| 13 | जे.आर.गूडेम-I | 18 | 12.64 | 17.50 | 24/03/2025 | 1079 | 290.00 | 142133.0 | 40009018.17 | 281.49 |
| 14 | कोय्यलगूडेम | 30 | 12.62 | 17.00 | 24/03/2025 | 776 | 290.00 | 101479.2 | 28809944.88 | 283.90 |
| 15 | जे.आर.गूडेम-II | 32 | 13.00 | 20.50 | 24/03/2025 | 1327 | 290.00 | 174636.9 | 48910556.58 | 280.07 |
| 16 | गोपालपुरम | 33 | 11.97 | 13.00 | 24/03/2025 | 327 | 290.00 | 42978.3 | 12263857.91 | 285.35 |
| **कुल (उहमि)** | | | **61.74** | **79.50** | | **3873** | **290.00** | **510545.8** | **143988459.91** | **282.03** |
| **महा योग** | | | **167.00** | **240.40** | | **36242** | **290.00** | **4741513.3** | **1296047720.55** | **273.34** |

अनुलग्नक-III

## 2024-25 कर्नाटका नीलाम - दि.31/03/2025 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

| क्र. सं. | नीलाम प्लैटफार्म का नाम | नी. प्लै. सं. | लक्षित उत्पादन (मि.कि.ग्रा) | अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा) | प्रारंभ की तारीख | बिक्रित बेलों की संख्या | दर्ज किये उत्तम बोली (₹/कि.ग्रा) | विपणित परिमाण (कि.ग्रा) | विपणित तम्बाकू मूल्य (₹) | औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एच.डी. कोटे | 1 | 9.92 | 9.80 | 07/10/2024 | 89064 | 361.00 | 8370929.4 | 2146892263.22 | 256.47 |
| 2 | हुन्सूर-I | 2 | 8.04 | 9.20 | 07/10/2024 | 79812 | 365.00 | 7827304.7 | 2056546036.88 | 262.74 |
| 3 | हुन्सूर-II | 3 | 7.18 | 8.50 | 07/10/2024 | 77816 | 366.00 | 7585086.7 | 1977507953.56 | 260.71 |
| 4 | पेरियपट्ना-I | 4 | 12.77 | 9.03 | 07/10/2024 | 80713 | 365.00 | 8052229.9 | 2103242449.88 | 261.20 |
| 5 | पेरियपट्ना-II | 5 | 12.02 | 11.40 | 07/10/2024 | 93684 | 367.00 | 9879441.2 | 2694518792.89 | 272.74 |
| 6 | पेरियपट्ना-III | 6 | 11.97 | 10.30 | 07/10/2024 | 87227 | 367.00 | 8920618.7 | 2381091543.40 | 266.92 |
| 7 | रामनाथपुरा-I | 7 | 9.84 | 8.62 | 07/10/2024 | 83092 | 365.00 | 7975002.7 | 2033226938.37 | 254.95 |
| 8 | चिलकुंदा | 62 | 14.35 | 13.30 | 07/10/2024 | 117601 | 367.00 | 11578150.4 | 3080135350.91 | 266.03 |
| 9 | रामनाथपुरा-II | 63 | 7.80 | 6.75 | 07/10/2024 | 66879 | 337.00 | 6486866.9 | 1679579577.75 | 258.92 |
| 10 | हुन्सूर-III | 64 | 6.11 | 6.20 | 07/10/2024 | 54145 | 366.00 | 5226554.2 | 1332300931.12 | 254.91 |
| | **महा योग** | | **100.00** | **93.10** | | **830033** | **367.00** | **81902184.8** | **21485041837.97** | **262.32** |

अनुलग्नक-IV

## दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी वार एफसीवी तम्बाकू क्रय विवरण

| क्र. सं. | क्रेता का नाम मेसर्स. | 2023-24 आं.प्र. फसल (दि. 01/04/2024 से 14/10/2024 तक) | | | 2024-25 आं.प्र. फसल (दि. 10/03/2025 से 31/03/2025 तक) | | | 2024-25 कर्नाटका फसल (दि. 07/10/2024 से 31/03/2025 तक) | | | कुल (दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा |
| **निर्यातक** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | आईटीसी लिमिटेड | 67369663.7 | 33.39 | 309.99 | 2443304.4 | 51.53 | 272.51 | 36603247.8 | 44.69 | 275.40 | 106416215.9 | 36.90 | 297.23 |
| 2 | गाड्फ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड | 14636797.7 | 7.26 | 306.63 | 395570.4 | 8.34 | 277.60 | 5577192.1 | 6.81 | 261.02 | 20609560.2 | 7.15 | 293.73 |
| 3 | पोलिशेट्टि सोमसुंदरम | 19904939.1 | 9.87 | 282.45 | | | | 6254181.9 | 7.64 | 232.89 | 26159121.0 | 9.07 | 270.60 |
| 4 | दक्कन तम्बाकू एक्सपोर्टस प्रा.लिमिटेड | 13433125.0 | 6.66 | 257.64 | 694949.0 | 14.66 | 271.65 | 8541437.8 | 10.43 | 262.41 | 22669511.8 | 7.86 | 259.87 |
| 5 | एलिएन्स वन इंडिया प्रा.लि. | 13021019.1 | 6.45 | 278.71 | 360230.5 | 7.60 | 276.81 | 2337750.2 | 2.85 | 248.96 | 15718999.8 | 5.45 | 274.24 |
| 6 | प्रीमियर टुबोको पेकर्स प्रा. लिमिटेड | 1167768.1 | 0.58 | 235.05 | 223973.3 | 4.72 | 274.40 | 1205772.9 | 1.47 | 286.58 | 2597514.3 | 0.90 | 262.36 |
| 7 | प्रगति टोबेको ट्रेडर्स इं. प्रा. लिमिटेड | 3055476.4 | 1.51 | 285.99 | 217556.4 | 4.59 | 276.27 | 1497582.5 | 1.83 | 210.23 | 4770615.3 | 1.65 | 261.76 |
| 8 | मोहम्मद एंटरप्राईजेस प्रा. लिमिटेड | 2788777.7 | 1.38 | 330.87 | | | | 427911.9 | 0.52 | 230.04 | 3216689.6 | 1.12 | 317.46 |
| 9 | मिट्टपल्ली आदिनारायण एं.प्रा.लिमिटेड | 650529.6 | 0.32 | 209.33 | 21972.8 | 0.46 | 270.26 | 1129062.4 | 1.38 | 181.72 | 1801564.8 | 0.62 | 192.77 |
| 10 | षेक मस्तान साहेब टोबेको एंटरप्रैजेस | 5296637.9 | 2.63 | 243.15 | 103181.1 | 2.18 | 271.87 | 3998633.5 | 4.88 | 180.98 | 9398452.5 | 3.26 | 217.01 |
| 11 | के.एस.सुब्बय्या पिल्ले&को(इं) प्रा.लिमिटेड | 725825.1 | 0.36 | 278.00 | | | | 509407.9 | 0.62 | 287.27 | 1235233.0 | 0.43 | 281.82 |
| 12 | यार्लगड्डा एक्सपोर्टस प्र. लिमिटेड | 1630305.6 | 0.81 | 245.28 | 12800.2 | 0.27 | 265.12 | 132405.9 | 0.16 | 286.63 | 1775511.7 | 0.62 | 248.51 |
| 13 | मद्दि लक्ष्मय्या&कं. प्र.लि. | 1888390.8 | 0.94 | 238.44 | | | | | | | 1888390.8 | 0.65 | 238.44 |
| 14 | तेज टोबाको ट्रेडर्स | 1376048.2 | 0.68 | 312.61 | | | | | | | 1376048.2 | 0.48 | 312.61 |
| 15 | आलि एंटरप्रैजेस | 2494315.6 | 1.24 | 277.79 | 32711.9 | 0.69 | 256.04 | 1218123.8 | 1.49 | 256.99 | 3745151.3 | 1.30 | 270.83 |
| 16 | अविनाश टोबेकोस | 236616.3 | 0.12 | 257.04 | | | | 478015.7 | 0.58 | 292.39 | 714632.0 | 0.25 | 280.69 |

## दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी वार एफसीवी तम्बाकू क्रय विवरण

| क्र. सं. | क्रेता का नाम मेसर्स. | 2023-24 आं.प्र. फसल (दि. 01/04/2024 से 14/10/2024 तक) | | | 2024-25 आं.प्र. फसल (दि. 10/03/2025 से 31/03/2025 तक) | | | 2024-25 कर्नाटका फसल (दि. 07/10/2024 से 31/03/2025 तक) | | | कुल (दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा |
| 17 | कार्टेल टोबाको | 2084447.5 | 1.03 | 255.33 | | | | 566926.0 | 0.69 | 203.26 | 2651373.5 | 0.92 | 244.20 |
| 18 | पांचजन्या टोबाको एक्सपोर्टस | 84209.7 | 0.04 | 301.60 | 29731.9 | 0.63 | 270.49 | 71639.8 | 0.09 | 51.88 | 185581.4 | 0.06 | 200.22 |
| 19 | मोडल राग एक्सपोर्टस | 1275440.9 | 0.63 | 338.71 | | | | 412706.5 | 0.50 | 285.66 | 1688147.4 | 0.59 | 325.74 |
| 20 | प्रपल्षा आग्रोस लिमिटेड | 355235.0 | 0.18 | 213.14 | 10341.7 | 0.22 | 272.31 | 133592.4 | 0.16 | 242.93 | 499169.1 | 0.17 | 222.34 |
| 21 | प्रकाशम एंटरप्रैजेस | 878146.2 | 0.44 | 286.60 | | | | 580389.8 | 0.71 | 276.05 | 1458536.0 | 0.51 | 282.40 |
| 22 | के.के. मोहन एंटरप्रैजेस | 139453.6 | 0.07 | 244.74 | | | | | | | 139453.6 | 0.05 | 244.74 |
| 23 | श्री हनुमा एंटरप्रैजेस | 2396629.4 | 1.19 | 306.73 | 27155.0 | 0.57 | 279.17 | 281344.7 | 0.34 | 303.74 | 2705129.1 | 0.94 | 306.14 |
| 24 | के.आर. & कं. | 502978.9 | 0.25 | 325.93 | | | | 263351.7 | 0.32 | 294.01 | 766330.6 | 0.27 | 314.96 |
| 25 | एलैट लीफ टोबाको कंपेनी | 572708.7 | 0.28 | 322.20 | 13597.0 | 0.29 | 286.14 | 198803.9 | 0.24 | 290.08 | 785109.6 | 0.27 | 313.44 |
| 26 | बेम्मिडाला एंटरप्रैजेस प्रा.लिमिटेड | 7916308.4 | 3.92 | 305.45 | | | | | | | 7916308.4 | 2.75 | 305.45 |
| 27 | एम.एल. एक्सपोर्टस | 599054.3 | 0.30 | 284.37 | | | | | | | 599054.3 | 0.21 | 284.37 |
| 28 | प्लाटिनम टोबाको कंपेनी | | | | | | | 190441.8 | 0.23 | 239.01 | 190441.8 | 0.07 | 239.01 |
| 29 | प्लाटिनम टोबाको एक्सपोर्टस प्रा.लिमिटेड | | | | | | | 261890.5 | 0.32 | 252.11 | 261890.5 | 0.09 | 252.11 |
| 30 | बोम्मिडाला ब्रदर्स | | | | | | | 664927.3 | 0.81 | 309.74 | 664927.3 | 0.23 | 309.74 |
| 31 | वेंकट सुरेश एंटरप्रैजेस | 239345.4 | 0.12 | 238.41 | | | | 277165.0 | 0.34 | 260.91 | 516510.4 | 0.18 | 250.48 |
| 32 | श्री विजयकृष्णा एंटरप्रैजेस | 168596.1 | 0.08 | 214.70 | | | | | | | 168596.1 | 0.06 | 214.70 |
| 33 | टैरो इमेक्स | 36458.0 | 0.02 | 234.52 | | | | | | | 36458.0 | 0.01 | 234.52 |

अनुलग्नक-IV

## दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी वार एफसीवी तम्बाकू क्रय विवरण

| क्र. सं. | क्रेता का नाम मेसर्स. | 2023-24 आं.प्र. फसल (दि. 01/04/2024 से 14/10/2024 तक) | | | 2024-25 आं.प्र. फसल (दि. 10/03/2025 से 31/03/2025 तक) | | | 2024-25 कर्नाटका फसल (दि. 07/10/2024 से 31/03/2025 तक) | | | कुल (दि. 01/04/2024 से 31/03/2025 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा | परिमाण (कि.ग्रा) | औसत.दर (₹/कि.ग्रा) | % हिस्सा |
| 34 | श्रीनिधी एक्सपोर्टस | 268569.4 | 0.13 | 357.51 | | | | 59095.2 | 0.07 | 302.27 | 327664.6 | 0.11 | 347.55 |
| 35 | अरका इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड | 349039.4 | 0.17 | 350.32 | | | | | | | 349039.4 | 0.12 | 350.32 |
| 36 | श्री महालक्ष्मी इनवेस्टमेंट्स | 538450.8 | 0.27 | 367.17 | | | | | | | 538450.8 | 0.19 | 367.17 |
| 37 | पकार्टेल एक्सपोर्टस | 83427.0 | 0.04 | 374.56 | | | | | | | 83427.0 | 0.03 | 374.56 |
| 38 | के एस आर एक्सपोर्टस | 125266.0 | 0.06 | 294.91 | | | | 88472.2 | 0.11 | 297.46 | 213738.2 | 0.07 | 295.97 |
| 39 | श्री वनदुर्गा टोबाकोस | | | | | | | 15226.1 | 0.02 | 291.13 | 15226.1 | 0.01 | 291.13 |
| 40 | शिवाजी एन्टरप्रैजेस | | | | 35278.6 | 0.74 | 275.37 | 96924.7 | 0.12 | 306.70 | 132203.3 | 0.05 | 298.34 |
| 41 | ए आर टोबाको एन्टरप्रैजेस | | | | | | | 93920.0 | 0.11 | 97.45 | 93920.0 | 0.03 | 97.45 |
| 42 | वेंकट साई टोबाको प्रा.लिमिटेड | 2886355.6 | 1.43 | 218.14 | | | | 273905.2 | 0.33 | 258.80 | 3160260.8 | 1.10 | 221.66 |
| | **उप कुल** | **171176356.2** | **84.85** | **292.41** | **4622354.2** | **97.49** | **273.35** | **74441449.1** | **90.89** | **259.79** | **250240159.5** | **86.77** | **282.35** |
| | **अन्य (डीलर)** | 30569795.3 | 15.15 | 293.67 | 119159.1 | 2.51 | 273.14 | 7460735.7 | 9.11 | 287.58 | 38149690.1 | 13.23 | 292.41 |
| | **कुल योग** | **201746151.5** | **100.00** | **292.60** | **4741513.3** | **100.00** | **273.34** | **81902184.8** | **100.00** | **262.32** | **288389849.6** | **100.00** | **283.69** |

## व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड रुपयों की मार्जिन रशि के साथ 1984 में व्यापार स्कंध को सृजन किया । दि.31/03/2025 तक ₹ 33.05 करोड की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है । तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्मों में ग्रोयरों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार स्कंध का उद्देश्य है। 2024-25 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यपार स्कंध द्वारा कोई मूल्य समर्थन प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्रोयरों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे ।

**प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यक ग्रेडरों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों/ तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :**

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेस, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पादों को निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप में, फर्में अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालनों को करना होगा । तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य है ।

वर्ष 2024 के लिए तथा वर्ष 2025 के लिए (दि. 31/03/2025 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | संवर्ग | पंजीकृत कंपनियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025* |
| 1 | वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर | 15 | 02 |
| 2 | वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता | 35 | 05 |
| 3 | तम्बाकू निर्यातक | 230 | 193 |
| 4 | तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक | 565 | 428 |
| 5 | तम्बाकू डीलर | 336 | 316 |
| 6 | तम्बाकू पैकर | 21 | 12 |
| 7 | वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता | 17 | 11 |
| | **कुल** | **1,219** | **967** |

* दि. 31/03/2025 तक

'डिजिटल इंण्डिया' पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारीवर्ग को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रानिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली को प्रारंभ किया । सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था ।

तम्बाकू बोर्ड नूतन निवेशकों/व्यापारियों के लिए दि.22/09/2021 से नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली से जुड गया है । यह एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए निवेशकों के लिए उपलब्ध रहा है ।

## भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2024-25 के दौरान ₹ 16,728.02 करोड और 1,979.00 मिलियन यूएसडी की उत्तुंग निर्यात रिकार्ड दर्ज किये हैं ।

भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बडा उत्पादक और दूसरा बडा निर्यातक है । (स्रोत : एफएओ सांख्यिकी डेटा, 2023, आईटीसी ट्रेडमॉप, 2024). 2024-25 के दौरान, भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू और अस्वीकृत तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 74.67% शामिल है ।) जिसमें फ्लू क्यूरड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू जैसे., बर्ली, एचडीबीआरजी, सन क्यूरड् देशी (एससीसी), लाल चोपडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूरड तम्बाकू, ओरियंटल आदि., शामिल है। तम्बाकू के सिगार, चिरुट्स, सिगरिल्लोस, सिगरेट और तम्बाकू के अनुकल्प (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 5.73% शामिल है), अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्प, समयुग्म या पुनःसंस्थापित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 18.75% शामिल है) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, स्नफ और बीडी आदि., तम्बाकू अन्तर्विष्ट उत्पाद, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद, मानव शरीर में निकोटिन के सेवन के लिए लक्षित अन्य निकोटिन अन्तर्विष्ट पदार्थ (एचएस कोड : 2404 - कुल निर्यातों के मूल्य में 0.85% है) अर्थात् निकोटिन और ओरल अनुप्रयोग युक्त अन्य इसमें शामिल है ।

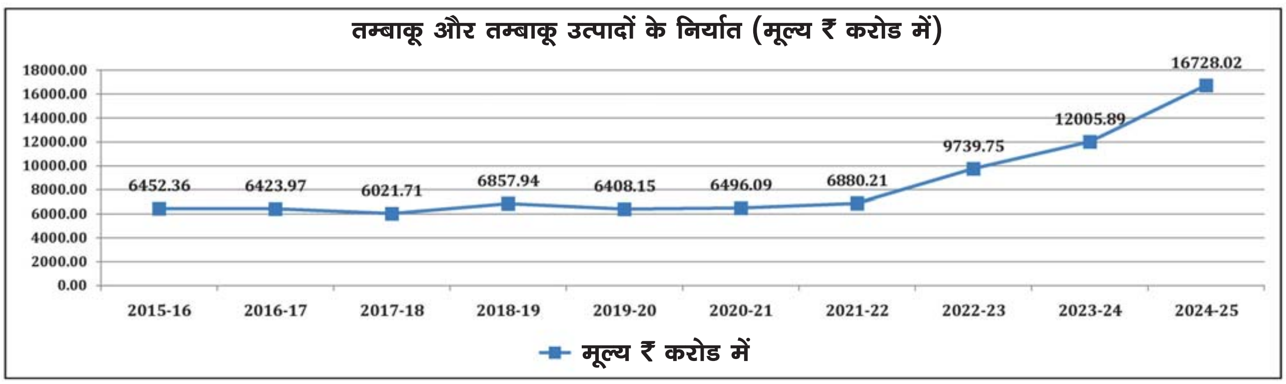


डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

### 1. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

#### 1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2024-25 के दौरान, भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उप्तादों के निर्यात क्रमश : मूल्य के शब्दों में ₹ 16,728.02 करोड (1,979.00 मिलियन यूएस $) के साथ 3,64,575.84 मि.टन के क्रम में रहे थे। इस वर्ष के दौरान निर्यात, जो 2023-24 के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 16%, 39% और 37% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये थे ।

| संवर्ग | 2024-25 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मे.टनों में) | मूल्य (₹ करोडों में) | मूल्य.मि. (मि. यू एस $ में) | परिमाण (मे.टनों में) | मूल्य (₹ करोडों में) | मूल्य.मि. (मि. यू एस $ में) |
| **2401* : अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अस्वीकृत** | | | | | | |
| एफसीवी तम्बाकू | 146954.01 | 7571.00 | 895.90 | 143316.89 | 5932.09 | 716.15 |
| नॉन-एफसीवी तम्बाकू | 140046.51 | 4645.71 | 550.08 | 105372.25 | 2603.33 | 314.42 |
| तम्बाकू अस्वीकृत | 36171.11 | 273.38 | 32.24 | 29764.53 | 177.90 | 21.47 |
| **उप कुल** | 323171.63 | 12490.08 | 1478.22 | 278453.66 | 8713.32 | 1052.04 |
| **तम्बाकू उत्पाद (एचएस कोड : 2402#, 2403@ & 2404^)** | | | | | | |
| एचएस कोड : 2402 | 7705.21 | 959.01 | 113.04 | 8465.78 | 824.45 | 99.55 |
| एचएस कोड : 2403 | 33367.57 | 3137.09 | 370.97 | 28454.65 | 2414.69 | 291.50 |
| एचएस कोड : 2404 | 331.43 | 141.83 | 16.78 | 137.88 | 53.43 | 6.44 |
| उप कुल | **41404.21** | **4237.93** | **500.79** | **37058.30** | **3292.57** | **397.50** |
| महा योग | **364575.84** | **16728.02** | **1979.00** | **315511.96** | **12005.89** | **1449.54** |
| % परिवर्तन ( +/- ) | **16** | **39** | **37** | **8** | **23** | **19** |

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

**व्याख्यात्मक नोट :**

एचएस कोड-2401* : अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू अस्वीकृत

एचएस कोड-2402# : तम्बाकू या तम्बाकू के अनुकल्प सिगार, चिरुट्स, सिगारेल्लोस और सिगरेट

एचएस कोड-2403@ : अन्य निर्मित तम्बाकू और तम्बाकू अनुकल्प, होमोजेनेजड् या पुनःघटित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व

एचएस कोड-2404^ : तम्बाकू, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प उत्पाद, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद और अन्य निकोटिन वाले उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लिए लक्षित पदार्थ

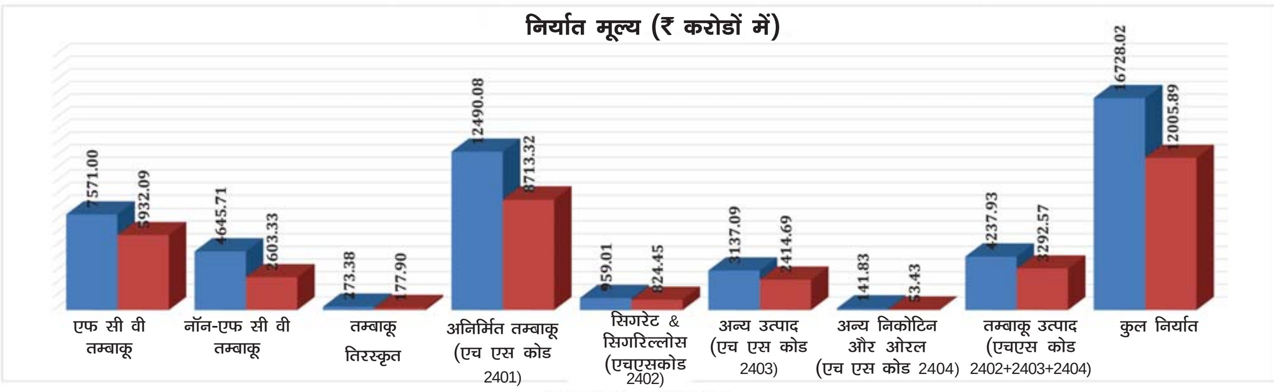


डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

## I.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात (एच एस कोड 2401) :

वर्ष 2024-25 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 3,23,171.63 मेट्रिक टनों से 16%, मूल्य रुपये के शब्दों में ₹ 12,490.08 करोड से 43% तथा डालरों के शब्दों में 1,478.22 मिलियन यूएस $ से 41% तक वृद्धि प्राप्त किये, जो यह 2023-24 के दौरान मूल्य ₹ 8,713.32 करोड और मिलियन यूएस $ 1,052.04 में निर्यातित 2,78,483.66 मेट्रिक टनों के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रही है ।

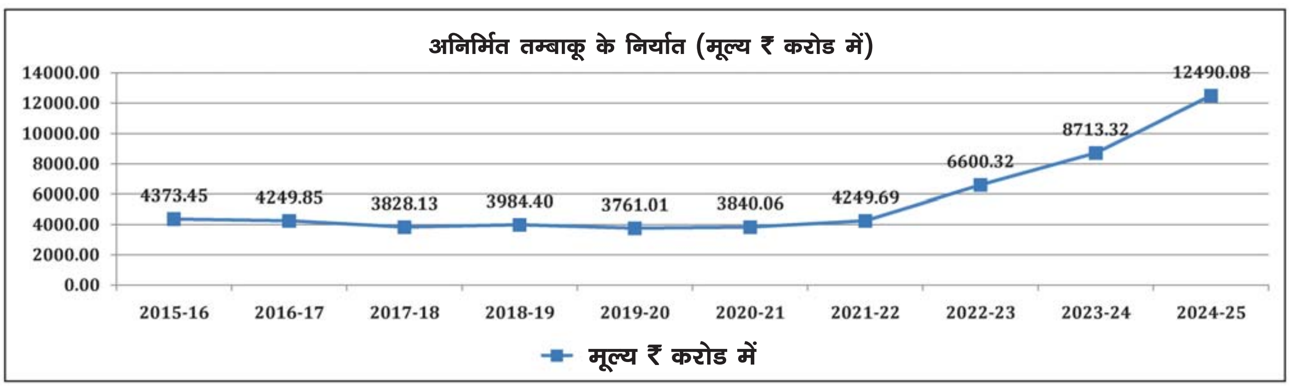


डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

### 1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात : तम्बाकू अस्वीकृत (एचएस कोड : 2401) :

2024-25 के दौरान, भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से परिमाण के शब्दों में 45.47% शेयर के साथ एफसीवी तम्बाकू जब कि, नॉन-एफसीवी तम्बाकू का हिसाब 43.34% शेयर और तिरस्कृत तम्बाकू का हिसाब 11.19% का रहा है ।

अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से नॉन-एफसीवी तम्बाकू संवर्ग में 28.05% शेयर से बर्ली इसके अनुगमन में सन क्यूरड़ वर्जीनिया (2.39%), सन क्यूरड़ देशी (नाटू) (2.25%), चर्वण तम्बाकू (0.38%) और हुक्का तम्बाकू (0.25%) का हिसाब रहा है ।

मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू के निर्यात 60.62%, नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यात 37.20% और तिरस्कृत तम्बाकू का 2.18% का हिसाब रहा है ।

| पण्य पदार्थ का नाम | 2024-25 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मि.टनों में) | % परिवर्तन व-द-व | मूल्य ($ करोड) | परिमाण (मि.टनों में) | % परिवर्तन व-द-व | मूल्य ($ करोड) |
| **2401 : अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू तिरस्कृत** | | | | | | |
| एफसीवी तम्बाकू | 146954.01 | 2.54 | 7571.00 | 27.63 | 143316.89 | 5932.09 |
| **नॉन-एफसीवी तम्बाकू** | | | | | | |
| बर्ली तम्बाकू | 90664.78 | 43.71 | 3216.50 | 90.89 | 63087.35 | 1685.03 |
| अन्य तम्बाकू | 32258.59 | -0.64 | 819.37 | 18.16 | 32467.07 | 693.45 |
| सन क्यूरड् वर्जीनिया (एससीवी) | 7737.99 | 454.28 | 317.66 | 674.50 | 1396.05 | 41.01 |
| सन क्यूरड् नाटू (एससीएन) | 7278.45 | 5.00 | 236.15 | 50.99 | 6931.90 | 156.40 |
| हुक्का तम्बाकू | 811.80 | 164.77 | 36.67 | 199.89 | 306.60 | 12.23 |
| चर्वण तम्बाकू | 1242.95 | 16.76 | 19.14 | 30.58 | 1064.56 | 14.65 |
| सिगार तम्बाकू | 12.96 | -75.49 | 0.12 | -68.62 | 52.88 | 0.38 |
| बीडी तम्बाकू | 39.00 | -40.77 | 0.10 | -43.54 | 65.85 | 0.18 |
| **उप-कुल (नॉन-एफसीवी)** | **140046.51** | **32.91** | **4645.71** | **78.45** | **105372.25** | **2603.33** |
| तम्बाकू तिरस्कृत | **36171.11** | **21.52** | **273.38** | **53.67** | **29764.53** | **177.90** |
| **कुल (एफसीवी + नॉन-एफसीवी + तिरस्कृत)** | **323171.63** | **16.06** | **12490.08** | **43.34** | **278453.66** | **8713.32** |

डेटा स्त्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

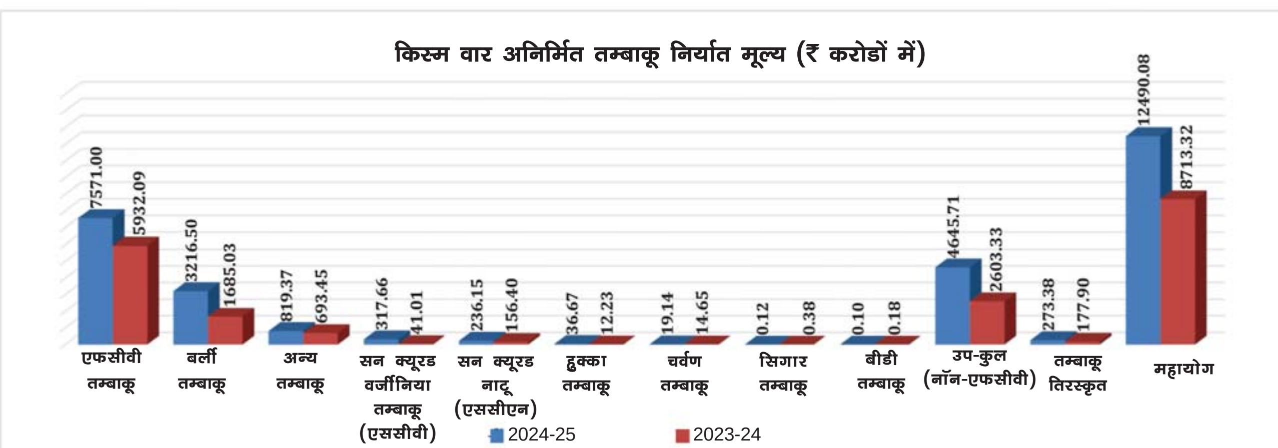


डेटा स्त्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2023-24 के दौरान किये 1,43,316.89 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 5,932.09 करोड (716.15 मिलियन यूएस $ ) की तुलना में 2024-25 के दौरान 1,46,954.01 मेट्रिक टन, जिसका मूल्य ₹ 7,571.00 करोड (895.90 मिलियन यूएस $) के क्रम में रहे थे । 2024-25 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्षों की समरूप अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रुपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 3%, 28% और 25% बढ गये ।

| वर्ष | एफसीवी तम्बाकू के निर्यात | | | मूल्य (₹ करोड) में व-द-व परिवर्तन % |
|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मेट्रिक टनों में) | मूल्य (₹ करोड में) | मूल्य मिलियन (यूएस $ में) | |
| 2020-21 | 93456.85 | 2619.63 | 352.85 | 3 |
| 2021-22 | 105209.58 | 2909.99 | 390.51 | 11 |
| 2022-23 | 134891.54 | 4535.07 | 565.27 | 56 |
| 2023-24 | 143316.89 | 5932.09 | 716.15 | 31 |
| 2024-25 | 146954.01 | 7571.00 | 895.90 | 28 |

स्त्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

गत पाँच वर्षों से याने., 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए एफसीवी तम्बाकू का निर्यात परिमाण, मूल्य रुपयों में और डालरों के शब्दों में क्रमशः 57.24%, 189.01% और 153.90% वृद्धि हुई ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एफसीवी तम्बाकू के निर्यात गत वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रुपयों में और डालरों के शब्दों में निर्यात क्रमशः 3%, 28%, 25% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये थे ।

नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पूर्व वर्ष की 1,05,372.25 मेट्रिक टन के लिए मूल्य ₹ 2,603.33 करोड (314.42 मिलियन यूएस $) के लिए 2024-25 के दौरान, 1,40,046.51 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 4,645.71 करोड (550.08 मिलियन यूएस $) था । 2024-25 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, गत वर्ष की समरूपी अवधि तुलना में परिमाण, मूल्य रुपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 33%, 78% और 75% की वृद्धि हुई है ।

### 1. 2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एचएस कोड : 2401) :

2023-24 के दौरान किये निर्यातों की तुलना में 2024-25 के दौरान सीआईएस & ओशियानिया क्षेत्र को छोडकर सभी क्षेत्रों में धनात्मक वृद्धि दर्ज किये हैं । यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 38.12% हिस्सा के साथ भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है । गत वर्ष की तुलना में यूरोप क्षेत्र को निर्यातों में 23.17% की वृद्धि हुई हैं । एनईए, दक्षिण एशिया, एशियन, डब्ल्यूएएनए, एलएसी, नाफ्टा और आफ्रिका को गत वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में 2024-25 के दौरान क्रमशः 17.74%, 19.47%, 59.99%, 75.43%, 108.36%, 158.52% और 199.50% की वृद्धि दर्ज हुई है । फिर भी, ओशियानिया (-100%) और सीआईएस (-2.02%) क्षेत्र में गिरावट की स्थिति देखी गयी ।

| क्षेत्र | 2024-25 | | | | 2023-24 | | | | % परिवर्तन (मूल्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मे. टनों में) | % शेयर | मूल्य (₹ करोड) | % शेयर | परिमाण (मे. टनों में) | % शेयर | मूल्य (₹ करोड) | % शेयर | |
| **अनिर्मित तम्बाकू** | | | | | | | | | |
| यूरोप | 1,20,581.00 | 37.31 | 4,761.64 | 38.12 | 1,17,948.60 | 42.36 | 3,865.99 | 44.37 | 23.17 |
| डब्ल्यूएएनए | 93,017.94 | 28.78 | 3,549.66 | 28.42 | 71,120.58 | 25.54 | 2,023.41 | 23.22 | 75.43 |
| एशियन | 44,046.13 | 13.63 | 1,685.64 | 13.50 | 32,748.70 | 11.76 | 1,053.57 | 12.09 | 59.99 |
| सीआईएस | 18,590.12 | 5.75 | 779.58 | 6.24 | 21,207.98 | 7.62 | 795.68 | 9.13 | -2.02 |
| अफ्रीका | 9,246.23 | 2.86 | 410.31 | 3.29 | 5,082.33 | 1.83 | 137.00 | 1.57 | 199.50 |
| एनईए | 8,758.18 | 2.71 | 391.55 | 3.13 | 9,283.78 | 3.33 | 332.56 | 3.82 | 17.74 |
| एलएसी | 10,262.80 | 3.18 | 328.22 | 2.63 | 5,872.45 | 2.11 | 157.52 | 1.81 | 108.36 |
| नाफ्टा | 9,457.49 | 2.93 | 313.40 | 2.51 | 5,906.49 | 2.12 | 121.23 | 1.39 | 158.52 |
| दक्षिण एशिया | 9,211.75 | 2.85 | 270.08 | 2.16 | 9,277.75 | 3.33 | 226.06 | 2.59 | 19.47 |
| ओशेनिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -100.00 |
| **महा योग** | **3,23,171.63** | **100.00** | **12,490.08** | **100.00** | **2,78,453.66** | **100.00** | **8,713.32** | **100.00** | **43.34** |

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

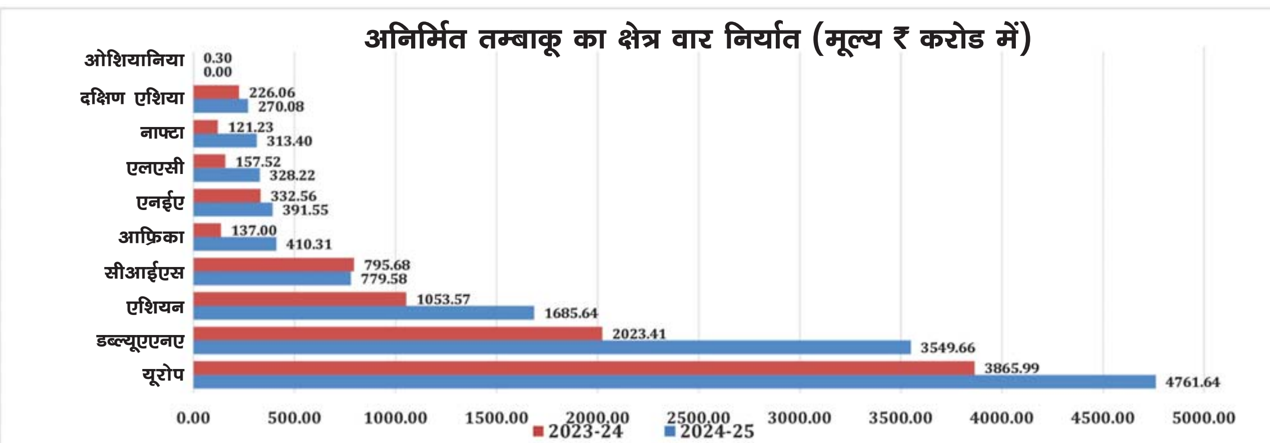


स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

### 1.2.3 अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एसएसकोड : 2401) (शीर्ष 10 बाजार) :

| क्र. सं. | देश का नाम | 2024-25 | | 2023-24 | | मूल्य में % परिवर्तन (₹ करोडों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (मे. टनों में) | मूल्य (₹ करोडों में) | परिमाण (मे. टनों में) | मूल्य (₹ करोडों में) | |
| 1 | बेलजियम | 72146.06 | 2878.14 | 67886.41 | 2230.76 | 29.02 |
| 2 | यूएई | 48549.53 | 2023.01 | 34531.11 | 1209.18 | 67.30 |
| 3 | इंडोनेशिया | 32312.97 | 1264.89 | 21693.21 | 724.73 | 74.53 |
| 4 | इजिप्ट एआरपी | 28769.86 | 974.48 | 21303.67 | 398.71 | 144.41 |
| 5 | टर्की | 11384.02 | 428.73 | 6546.34 | 227.33 | 88.60 |
| 6 | कोरिया आरपी | 8588.62 | 387.24 | 8778.98 | 309.38 | 25.17 |
| 7 | रूस | 10265.18 | 373.14 | 15633.87 | 586.86 | -36.42 |
| 8 | फिलिपैन्स | 8354.86 | 334.84 | 8102.10 | 252.47 | 32.63 |
| 9 | ग्रीस | 7049.45 | 277.25 | 5839.14 | 183.00 | 51.50 |
| 10 | नेथरलान्ड | 6610.34 | 274.98 | 6769.50 | 215.93 | 27.35 |
| शीर्ष-10 देश कुल | | **234030.89** | **9216.69** | **197084.33** | **6338.33** | **45.41** |
| अन्य देश कुल | | **89140.74** | **3273.39** | **81369.32** | **2374.99** | **37.83** |
| **महा योग** | | **323171.63** | **12490.08** | **278453.66** | **8713.32** | **43.34** |

डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

बेलजियम, जो शीषस्थ आयातक देश है, को निर्यात 2024-25 के दौरान मूल्य रूपये के शब्दों में 29.02% की वृद्धि दर्ज किये हैं । अन्य प्रधान निर्यात बाजार याने., ईजिप्ट (144.41%), टर्की (88.06%), इंडोनेशिया (74.53%), यूएई (67.30%), ग्रीस (51.50%), फिलिपैन्स (32.63%) और कोरिया आरपी (25.17%), जो सुस्पष्ट वृद्धि दर्ज किये हैं । अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में रूस (-36.42%), जो गिरावट देखी गयी ।

### 1.3. तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) :

कुल तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) के निर्यात, जो 2023-24 में समरूपी अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में 2024-25 के दौरान परिमाण, मूल्य रूपयों और डालरों के शब्दों में क्रमशः 12%, 29% और 26% की वृद्धि दिखाये गये ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, गत वर्ष की समरूपी अवधि याने., 2023-24 के दौरान निर्यातित ₹ 824.65 करोड (यूएस $ 99.55 मिलियन) मूल्य में निर्यात किये 8,465.78 मेट्रिक टनों की तुलना में सिगरेट और सिगार (एचएस कोड : 2402) के निर्यात ₹ 959.01 करोड (यूएस $ 113.04 मिलियन) के मूल्य में 7,705.21 मेट्रिक टन का निर्यात हुए । सिगरेट और सिगार (एचएस कोड : 2402) के निर्यात मूल्य रुपयों में और डालरों के शब्दों में क्रमशः 16.32% और 13.54% धनात्मक वृद्धि दर्ज किये थे । फिर भी, यह परिमाण के शब्दों में 8.98% की अवनति प्राप्त हुई ।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403), जो 2023-24 के दौरान निर्यातित ₹ 2,414.69 करोड (यूएस $ 291.50 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 28,454.65 मेट्रिक टनों की तुलना में 2024-25 के दौरान

₹ 3,137.09 करोड (यूएस $ 370.97 मिलियन) के 33,367.57 मेट्रिक टन के क्रम में निर्यात रहे थे। अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोडः 2403) परिमाण, मूल्य रूपयों और डालरों के शब्दों में क्रमशः 17.27%, 29.92% और 27.26% के साथ धनात्मक वृद्धि दर्ज किये थे।

तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प वाले अन्य उत्पादों, जो बिना दहन के साँस लेने के लिए निर्दिष्ट है और अन्य निकोटिन युक्त उत्पाद (एचएस कोड : 2404), जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लिए निर्दिष्ट है, के निर्यात 2023-24 के दौरान ₹ 53.43 करोड (यूएस $ 6.44 मिलियन) मूल्य में निर्धारित 137.88 मेट्रिक टनों की तुलना में 2024-25 के दौरान 331.43 मेट्रिक टनों के क्रम में थे, जिनका मूल्य ₹141.83 करोड (यूएस $ 16.78 मिलियन) रहे थे। अन्य उत्पादों के निर्यात (एचएस 2404) परिमाण, मूल्य रूपयों और डालरों के शब्दों में क्रमशः 140.37%, 165.44% और 160.35% के साथ धनात्मक वृद्धि दर्ज किये थे।

| उत्पाद का सिगमेंट | 2024-25 | | | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मे.टानों मे) | %परिवर्तन व-द-व | मूल्य (₹ करोडों में) | %परिवर्तन व-द-व | परिमाण (मे.टानों मे) | मूल्य (₹ करोडों में) |
| **2402 :-** | | | | | | |
| तम्बाकू अन्तर्विष्ट सिगरेट | 7656.79 | -9.09 | 947.96 | 16.74 | 8422.83 | 812.02 |
| सिगार, चिरूट्स और सिगरिल्लोस | 48.42 | 24.02 | 11.04 | -10.36 | 39.05 | 12.32 |
| तम्बाकू अनुकल्पों के सिगरेट/सिगरिल्लोस | 0.001 | -99.97 | 0.01 | -87.21 | 3.78 | 0.08 |
| अन्य तम्बाकू उत्पाद | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.11 | 0.03 |
| **उप कुल** | **7705.21** | **-8.98** | **959.01** | **16.32** | **8465.78** | **824.45** |
| **2403 :-** | | | | | | |
| तम्बाकू सार और तत्व - अन्य | 13524.90 | 39.52 | 1477.07 | 32.84 | 9693.83 | 1111.91 |
| चर्वण तम्बाकू उत्पाद | 12797.38 | 10.01 | 1214.85 | 16.81 | 11633.25 | 1040.00 |
| वाटर पाईप तम्बाकू उत्पाद - हुक्का | 2068.09 | 9.91 | 238.54 | 174.02 | 1881.60 | 87.05 |
| कट तम्बाकू | 3834.36 | 2.97 | 119.32 | 6.31 | 3723.81 | 112.23 |
| स्मोकिंग तम्बाकू उत्पाद | 358.50 | 55.65 | 53.45 | 37.32 | 230.32 | 38.93 |
| तम्बाकू सार और तत्व | 72.17 | 482.51 | 16.35 | 8119.19 | 12.39 | 0.20 |
| पुनः घटित तम्बाकू उत्पाद | 544.52 | -50.73 | 12.60 | -33.41 | 1105.18 | 18.92 |
| स्नफ | 90.41 | -10.09 | 3.32 | 7.47 | 100.55 | 3.09 |
| स्नफ तम्बाकू उत्पाद | 24.39 | 1.77 | 1.32 | 43.83 | 23.97 | 0.92 |
| वाटर पाईप तम्बाकू उत्पाद - अन्य | 52.85 | 6.27 | 0.26 | -81.76 | 49.73 | 1.44 |
| **उप कुल** | **33367.57** | **17.27** | **3137.09** | **29.92** | **28454.65** | **2414.69** |

| उत्पाद का सिगमेंट | 2024-25 | | | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मे.टानों मे) | %परिवर्तन व-द-व | मूल्य (₹ करोडों में) | %परिवर्तन व-द-व | परिमाण (मे.टानों मे) | मूल्य (₹ करोडों में) |
| **2404 :-** | | | | | | |
| मानव शरीर में निकोटिन इनटेक-अन्तर्ग्रहण-ओरल | 327.92 | 192.94 | 139.67 | 166.06 | 111.94 | 52.50 |
| मानव शरीर में निकोटिन इनटेक - अन्य | 2.86 | -88.64 | 1.14 | 3226.16 | 25.18 | 0.03 |
| मानव शरीर में निकोटिन इनटेक - ट्रान्सडर्मल | 0.65 | -13.07 | 1.02 | 13.18 | 0.75 | 0.90 |
| दहन के बिना इनहिलेशन - निकोटिन | 0.002 | | 0.001 | | 0.00 | 0.00 |
| दहन के बिना इनहिलेशन - अन्य | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.01 | 0.00000 |
| **उप कुल** | **331.43** | **140.37** | **141.83** | **165.44** | **137.88** | **53.43** |
| **महायोग** | **41404.21** | **11.73** | **4237.93** | **28.71** | **37058.30** | **3292.57** |

एचएस कोड-2404 : तम्बाकू अन्तर्विष्ट उत्पाद, पुनः घटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद, अन्य निकोटिन अन्तर्विष्ट उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लक्षित पदार्थ ।

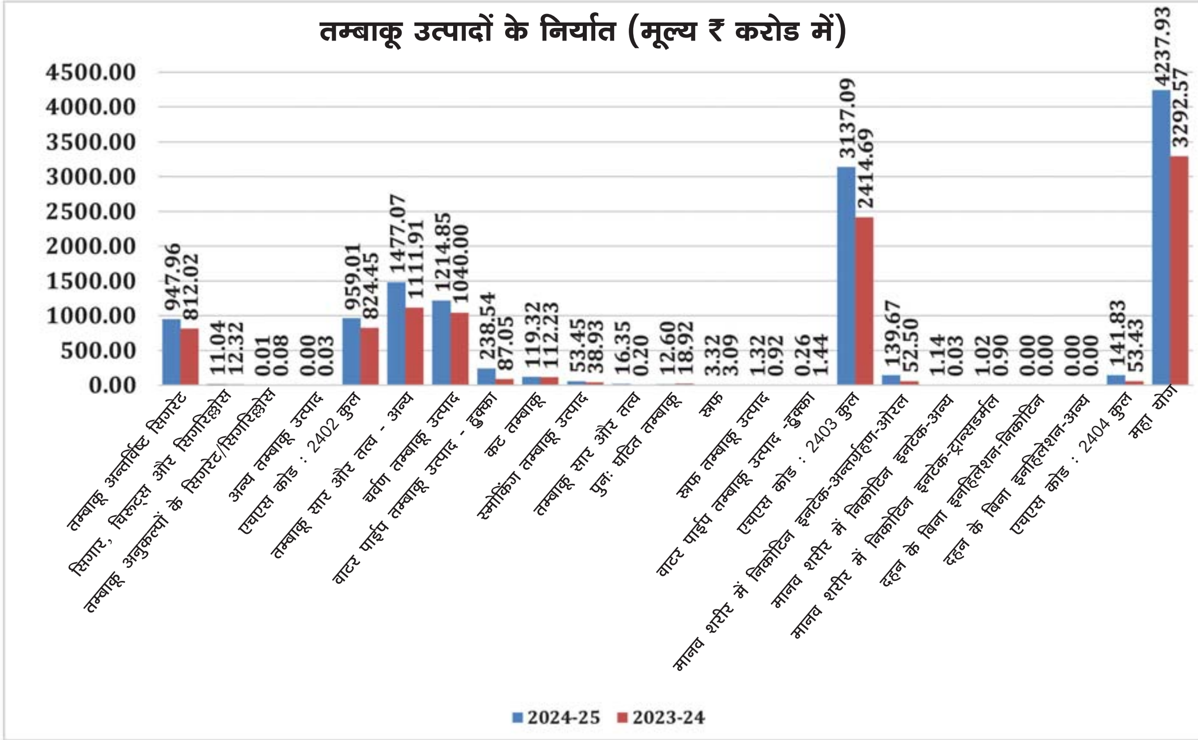


डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

## 2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

### 2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

तम्बाकू बोर्ड प्रति वर्ष भारतीय अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू उत्पादो के निर्यातों को बढावा देने के लिए विशेष अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रही है । 2024-25 के दौरान तम्बाकू तीन विशिष्ट तम्बाकू अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया था ।

| क्र. सं. | प्रदर्शनी का नाम | प्रांत & अवधि | स्टाल का परिमाण | प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इंटर टोबाक/<br>इंटर सप्लाई 2024 | डार्टमंड,<br>जर्मनी<br>19-21 सितंबर, 2024 | 18 मी$^2$ | डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,<br>कार्यपालक निदेशक<br>श्री एम. शंकर राव, नीअ/वश्रेअ |
| 2 | विश्व तम्बाकू<br>एशिया, 2024 | सुरबाया, इण्डोनेशिया<br>09-10 अक्तूबर,2024 | 16 मी$^2$ | डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,<br>कार्यपालक निदेशक<br>श्री एम. शंकर राव, नीअ/वश्रेअ |
| 3 | विश्व तम्बाकू<br>मध्य पूर्वी, 2024 | दुबाई, यूएई<br>12-13 नवंबर,2024 | 20 मी$^2$ | श्री बी.सी. श्रीनिवास, भा.रा.से.,<br>निदेशक (नीलाम)<br>श्री एम. शंकर राव, नीअ/वश्रेअ |

## अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियो में तम्बाकू बोर्ड स्टॉलों के झलकें (छायाचित्र)

इंटरटबाक/इंटरसप्लाई 2024 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल

विश्व तम्बाकू एशिया 2024 में तम्बागू बोर्ड का स्टॉल

**विश्व तम्बाकू मध्य पूर्वी 2024 में तम्बागू बोर्ड का स्टॉल**

### 2.1 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

2024-25 वर्ष के दौरान, तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

### 2.2 एनपीपीओ, रूस के पदाधिकारियों के साथ बैठक :

भारत के दूतावास, मास्को, रूस द्वारा रूस संघ की वेटरिनरी एवं फैटोसानिटरी निगरानी (एफएसवीपीएस) के फेडरल सर्विस से प्राप्त पत्र सं. एफएस-केएस-3/698, दि.17 जनवरी, 2024 को अग्रेषित किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि संगरोध कीट-कॉफिन मकखी (मेगसेलियास्कालरिस) पाये जाने के कारण 19 जनवरी, 2024 से भारत के मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - अग्रि डिविजन - आईएलटीडी से रूस को तम्बाकू कच्चे माल और तम्बाकू अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं.18-19/2018-पीपी-II (भाग) (ई-57730), दि. 16 अप्रैल, 2024 के निमंत्रण के उत्तर में एनपीपीओ, रूस की सुश्री नटाल्या सोलोव्योवा, निर्यात-आयात प्रचालनों-फैटोसानिटरी सर्वोलेन्स एवं रोसेलखोज्नडजोर के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के विभागाध्यक्षा के नेतृत्व में 5 सदस्य अधिकारिक प्रतिनिधि-मंडल दि.17/04/2024 से 21/04/2024 तक कर्नाटका के ग्रीन लीफ तम्बाकू थ्रेशिंग प्लान्ट, आन्ध्र प्रदेश में अनिर्मित तम्बाकू की गोदाम और तमिलनाडू में समुद्री बंदरग्राह को निरीक्षण किया ।

रोसेलखोज्नडजोर, वेटरिनरी एवं फैटोसानिटरी सर्वोलेन्स के फेडरल सर्वीस ने दि.25/04/2024 की ''रोसेलखोज्नडजोर ने तम्बाकू कच्चा माल के भारतीय आपूर्तिकर्ता पर अस्थायी प्रतिबन्धों को उठा दिया'' नामक समाचार लेख (अर्टिकिल) शीर्षक में सूचित किया कि निरीक्षण के परिणामों, फैटोसानिटरी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने उठाये गये उपायों पर बाहरी (विदेशी) पक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण तथा निरीक्षणों के दौरान लिये गये नमूनाओं की जांच के आधार पर रोसेलखोज्नडजोर ने भारतीय निर्यातक आईटीसी लिमिटेड, कृषि व्यापार डिविजन लिमिटेड, ग्रान्ड ट्रंक रोड, पोस्ट बैक्स सं. 317, गुन्टूर-522 004, आन्ध्र प्रदेश, भारत से तम्बाकू एवं तम्बाकू अपशिष्ट (वेस्ट) पदार्यों को रूस के लिए आयात को पुनःप्रारंभ करने का निर्णय लिया है ।

# राजभाषा कार्यन्वयन

## राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

## राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। 'ख' & 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टों, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया ।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया ।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया ।
- सारे रबड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा 'ग' क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

## हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम :

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन/पत्राचार पाठ्यक्रम के हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया ।

## ''हर दिन एक शब्द सीखो'' हिन्दी योजना का प्रचार :

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदार्शित किया गया।

## हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 17 से 23 सितम्बर, 2024 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस समारोह में दि. 18 & 19 सितम्बर, 2024 तक दो मेज कार्यशालाएँ, जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढाने के लिए आयोजित किये गये और हिन्दी स्मृति, हिन्दी अनुवाद/हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएँ हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किये गये ।

## हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक ''हिन्दी मिलाप'' अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये ।

**कम्प्यूटरों में हिन्दी :**

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर से व्यवस्थित किया गया तथा उनका उपयोग किये जा रहे हैं ।

**हिन्दी कार्यशाला :**

इस अवधि के दौरान दो (02 दिन) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 18 सितम्बर, 2024 & 19 सितम्बर, 2024 को आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहॉं हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करते है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

## वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी । तम्बाकू बोर्ड 1991-92 से केन्द्रीय सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया । तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है ।

### I) आंतरिक संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए ‘‘सेवा प्रभार’’ के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है । इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के विनियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, ‘‘प्राधिकार शुल्क’’ को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करती है ।

बोर्ड ने, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारितानुसार जुर्मानाएँ लगायेगी। 2025 नीलामियों के दौरान कर्नाटका में और 2024 में आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान केवल 1% साधारण सेवा प्रभार लगाये है और पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए कोई अंशदान नहीं लगायी है । भारत सरकार ने अपने राजपत्रों दि.17 फरवरी, 2025 और 24 जुलाई, 2024 द्वारा केवल साधारण सेवा प्रभार भुगतान करने पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलाम प्लैटफार्मों में आधिक्य फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए अनुमति दी है ।

### II) बजट आकलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृती के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर व्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं ।

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार स्कंध योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक पर राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाता है ।

तदनुसार, 2024-25 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये। बजट आकलन और संशोधित आकलन प्राप्तियों के लिए क्रमशः ₹ 9,200.00 लाख और ₹ 21,563.90 लाख और व्यय के लिए क्रमशः ₹18,378.50 लाख और ₹17,592.00 लाख हैं ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बजट प्रावधान की ₹ 21,563.90 लाख के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹ 22,395.56 लाख की राशि वसूल हुई और बजट आऊटले ₹ 17,592.00 लाख राशि के लिए व्यय के रूप में ₹11,630.19 लाख राशि खर्च किये गये हैं ।

2012-13 से 2024-25 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तिविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका **पृष्ठ सं. 129** में दी गई है ।

वर्ष 2024-25 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचाालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नथा पेंशन योजना (टैयर-1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

## दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की राय

**राय :**

हमने, आन्ध्र प्रदेश (आं.प्र.) के गुण्टूर में स्थित तम्बाकू बोर्ड की वित्तीय विवरणियों को लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें दि. 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के अनुसार वित्तीय स्थिति विवरण तथा उस वर्ष को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा विवरण और वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियाँ, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पठित, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, के अंतर्गत लेखा परीक्षा किया गया है ।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखांकन प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि., से संबंधित केवल भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) की टिप्पणियाँ को प्रस्तुत करती है । कानून, नियम एवं विनिमयों (योग्यता & नियमितता) तथा कुशलता एवं निष्पादन स्थिति आदि., से संबंधित वित्तीय लेनदेनों की लेखा-परीक्षा की टिप्पणियाँ यदि कोई हो तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के द्वारा अलग से रिपोर्ट की जाती है ।

हमारे राय में, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश के संलग्न वित्तीय विवरण, उनके साथ संलग्न लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ तथा अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित विषयों के साथ पढने पर 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और इस वर्ष की समाप्ति अवधि तक की उसकी वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह को उस प्ररूप के अनुरूप दर्शाते है, जो तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लिए लागू है ।

**राय के आधार :**

हमने, अपना लेखा-परीक्षा को सीएजी के लेखा-परीक्षण विनियमों/मानकों/मार्गदर्शन सूत्रों/मार्गदर्शन नोट्स/आदेश/परिपत्र आदि., के अनुसार किया है । हमारे दायित्वों का विवरण हमारे रिपोर्ट की *वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ* वाले विभाग में अधिक विस्तार से दिया गया है । हम वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र है, जो हमारे वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षण से संबद्ध है और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरी की है । हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षण सबूत हमारे मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

**वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारियाँ :**

तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश की शासी निकाय, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की तैयारी और सही प्रस्तुतीकरण को किये जाने के लिए जिम्मेदार है, और प्रबंधन आन्तरिक नियंत्रण को बनाये रखने, जिन्हें वह आवश्यक समझा जाता है ताकि वित्तीय विवरणियों में धोखेबाजी या त्रृटि के कारण किसी भी प्रकार की भौतिक गलतियों से मुक्त रहें ।

**वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ :**

हमारा उद्देश्य इस विषय पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरणियाँ संपूर्ण रूप से धोखेबाजी या त्रुटि के कारण किसी अयथार्थ विवरण से मुक्त हैं या नहीं, और इस पर अपना राय व्यक्त करके लेखा-परीक्षक का रिपोर्ट जारी करना है और यह रिपोर्ट, जो सीएजी के लेखा-परीक्षण विनियमों/मानकों/मान्युवल/मार्गदर्शन सूत्रों/मार्गदर्शन नोट्स/आदेश/परिपत्र आदि., के अनुसार किया जाता है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से
ह/- xx xx xx
(वी.एम.वी. नावल किशोर)
प्रधान निदेशक
प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24 अक्तूबर, 2025

## दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**क) तुलन पत्र : शून्य**

**ख) लाभ-हानि/आय & व्यय लेखा**

**टिप्पणी क.1**

**व्यय**

**अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) : ₹ 2,989.70 लाख**

उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ₹419.51 लाख की न्यूनोक्ति दिखाई जायी है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित तीन नीलाम प्लैटफार्मों में 1993-94 से 2024-25 तक की अवधि के लिए संपत्ति कर से संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उठाये गये माँग से संबंधित है । इस संबंध में, एच.डी.कोटे ग्राम पंचायत के प्रधान अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तम्बाकू बोर्ड संपत्ति कर भुगतान से मुक्त नहीं है । अतः खाता में ₹419.51 लाख के लिए की प्रावधान की जानी चाहिए । इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक के लिए ₹419.51 लाख राशि की अधिशेष (व्ययोपरि अधिक आय) की अत्युक्ति और बकाया देनदारियाँ की न्यूनोक्ति दर्शाई गयी है ।

*इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए अलग लेखा-परीक्षण रिपोर्ट में इसी प्रकार की लेखा-परीक्षण टिप्पणी के बावजूद भी, बोर्ड ने आवश्यक प्रावधान बनाकर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।*

**ग) प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा : शून्य**

**घ) लेखांकन नीतियाँ : शून्य**

**ड.) सामान्य : शून्य**

**च) प्रबंध पत्र :**

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा प्रबंध के ध्यान में लाया गया ।

**छ) आन्तरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन :**

**(i) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :**

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न लिखित टिप्पणियों की दृष्टि में अपूर्ण है :

(क) बोर्ड ने, वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखाओं में अपने नीलाम प्लैटफार्मों के लिए कंप्यूटर उपकरणों की खरीदी पर ₹ 101.55 लाख राशि का व्यय किया, जिसमें ₹ 74.67 लाख मूल्य के सीसीटीवी केमेरा है, को स्थायी संपत्तियों के अन्तर्गत कैपिटलैज और प्रकटीकरण किया गया था । फिर भी, लेखा-परीक्षा की जाँच में पाया गया है कि उक्त परिसंपत्तियों को बोर्ड के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर (एफएआर) में दर्ज नहीं किया गया है । इसके बजाय इस के लिए एक अलग रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है । इस तरह के उच्च मूल्य वाली परिसंपत्तियों को प्रधान एफएआर में शामिल नहीं करना मानक लेखांकन प्रथाओं से विचलन है और परिसंपत्ति प्रबंधन अभिलेखों की पूर्णता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करता है । इससे परिसंपत्तियों की गलत लेखांकन या दुरुपयोग का जोखिम भी बढ जाता है । बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों को निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार केन्द्रीय एफएआर में दर्ज किया जाए ।

**(ii) आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :**

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग के लिए कोई अलग मंजूर पद नहीं है । फिर भी, तम्बाकू बोर्ड ने सहायक प्रबंधक (लेखा) की नेतृत्व में कार्यालय कर्मचारियों के साथ एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग का गठन किया था । बोर्ड के 33 कार्यालय (आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 26 नीलाम प्लैटफार्म, ओंगोल-1, ओंगोल-2, राजमहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्टना में स्थित 5 प्रादेशिक कार्यालय, बेंगलूर में एक निदेशालय और गुण्टूर में मुख्य कार्यालय) है । वर्ष 2024-25 के लिए सभी नीलाम प्लैटफार्मों और प्रादेशिक कार्यालयों के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा आयोजित की गयी थी । फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप है ।

**(iii) उचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :**

इस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन नहीं किया गया ।

**(iv) वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :**

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है, लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है । बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की अंतिम तारीख में लागत के आधार पर लेखन-सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया । इस प्रकार, बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है ।

**(v) सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :**

उक्त टिप्पणी-क के अनुसार सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से समय पर नहीं किया गया है।

ह/- xx xx xx

(वी.एम.वी. नावल किशोर)

प्रधान निदेशक-वाणिज्यक लेखापरीक्षा

**तम्बाकू बोर्ड**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर**
**तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ**
**दि. 31/03/2025 तक तुलन पत्र**

(₹ लाखों में)

| विवरण | अनु-सूची | वर्तमान वर्ष | पूर्व वष |
|---|---|---|---|
| **कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ** | | | |
| 1. कार्पस / पूँजी निधि | 1 | 89509.65 | 78472.80 |
| 2. आरक्षण और उपरी | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ | 3 | 0.00 | 0.00 |
| क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता) | | 3427.59 | 3190.87 |
| ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि | | 729.30 | 1045.53 |
| ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | | 6947.21 | 8495.35 |
| घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना | | 25.29 | 23.57 |
| ङ) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना | | 7475.52 | 6993.92 |
| 4. सुरक्षित ऋण और उधार | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5. असुरक्षित ऋण और उधार | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6. अस्थागित ऋण देयताएँ | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान | 7 | 15403.88 | 11962.44 |
| **कुल** | | **123518.44** | **110184.49** |
| **संपत्तियाँ** | | | |
| 1. स्थिर संपत्तियाँ | 8 | 11807.05 | 11617.97 |
| 2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश | 9 | 0.00 | 0.00 |
| क) बाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता) | | 3427.59 | 3190.87 |
| ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि | | 729.30 | 1045.53 |
| ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | | 6947.21 | 8495.35 |
| घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना | | 25.29 | 23.57 |
| ङ) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना | | 7475.52 | 6993.92 |
| 3. निवेश : अन्य | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि, | 11 | 93106.48 | 78817.27 |
| 5. विविध व्यय | | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | **123518.44** | **110184.49** |
| **उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ** | 24 | अनुसुचियों में रखा गया | |
| **आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)** | 25 | अनुसुचियों में रखा गया | |

ह/- XX XX XX
**(डी. वेणुगोपाल)**
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
**(विश्वश्री बी.)**
**कार्यपालक निदेशक**

**तम्बाकू बोर्ड**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,**
**भारत सरकार, गुण्टूर**
**तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ**
**दि. 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा**

(₹ लाखों में)

| | | विवरण | अनु-सूची | वर्तमान वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | **आय** | | | |
| | I | बिक्रियों / सेवाओं से आय | 12 | 16558.19 | 12866.73 |
| | II | अनुदान / आर्थिक सहायता | 13 | 0.00 | 0.00 |
| | III | शुल्क / अंशदान | 14 | 380.43 | 519.04 |
| | IV | निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित) | 15 | 20.17 | 20.82 |
| | V | रॉयल्टी और प्रकाशानों आदि, से आय | 16 | 37.33 | 4.13 |
| | VI | अर्जित व्याज | 17 | 5796.24 | 4494.32 |
| | VII | अन्य आय | 18 | 581.40 | 455.99 |
| | VIII | संपूर्ण वस्तुओं के स्टाकों में बढती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति | 19 | 0.00 | 0.00 |
| | | **कुल** | | **23373.76** | **18361.03** |
| 2. | | **व्यय** | | | |
| | I | स्थापना खर्च | 20 | 8770.63 | 6850.08 |
| | II | अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 2989.70 | 2544.62 |
| | III | अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय | 22 | 0.00 | 0.00 |
| | IV | ब्याज | 23 | 0.00 | 0.00 |
| | V | मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप) | 8 | 576.57 | 512.09 |
| | | **कुल** | | **12336.90** | **9906.79** |
| 3. | | व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2) | | 11036.86 | 8454.24 |
| | | विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें) | | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य रिजर्व का अन्तरण | | 0.00 | 0.00 |
| | | पूर्व वर्षों के भुगतान | | 0.00 | 0.00 |
| 4. | | कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष | | **11036.86** | **8454.24** |
| **5.** | | उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ | **24** | **अनुसुचियों में रखा गया** | |
| **6.** | | चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण | **25** | **अनुसुचियों में रखा गया** | |

ह/- XX XX XX
**(डी. वेणुगोपाल)**
**सचिव (प्रभारी)**

ह/- XX XX XX
**(विश्वश्री बी.)**
**कार्यपालक निदेशक**

## उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष (तुलन पत्र)

### 1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध को अनुदान सहायता) लेखा

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | अथशेष | **3190.87** | **2986.92** |
| ख | निधि लेखा को जोड : | | |
| | क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बवैं खाता पर व्याज) | 236.72 | 203.95 |
| | ख) प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 |
| | घ) अन्य प्राप्तियाँ | 0.00 | 0.00 |
| | घटाये : | | |
| | क) निकासी | 0.00 | 0.00 |
| | ख) अन्य भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (क+ख)** | **3427.59** | **3190.87** |
| ग | निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय | | |
| | क) पूँजी व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | ख) राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल भुगतान (ग)** | **0.00** | **0.00** |
| | **वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)** | **3427.59** | **3190.87** |

### 2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | अथशेष | **1045.53** | **1206.38** |
| ख | निधि लेखा को जोड : | | |
| | क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बवैं खाता पर व्याज) | 58.94 | 65.22 |
| | ख) अंशदन | 235.41 | 311.41 |
| | ग) साभनि आग्रम की वसूली | 0.30 | 0.20 |
| | घटाये : | | |
| | क) निकासी | -610.87 | -537.17 |
| | ख) भुगतानित अग्रिम | 0.00 | -0.50 |
| | **कुल (क+ख)** | **729.30** | **1045.53** |
| ग | निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय | | |
| | क) पूँजी व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | ख) राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (ग)** | **0.00** | **0.00** |
| | **वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)** | **729.30** | **1045.53** |

### 3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | अथशेष | **8495.35** | **10469.91** |
| ख | निधि लेखा को जोड : | | |
| | क) निवेशों से आय (एलआईसी & बबै खाता के साथ जमा पर व्याज) | 465.57 | 700.76 |
| | ख) पेंशन निधि अंशदान | 2599.20 | 1040.00 |
| | घटाये : | | |
| | क) भा जी बी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी | -4612.91 | -3715.32 |
| | ख) अन्य भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (क + ख)** | **6947.21** | **8495.35** |
| ग | निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय | | |
| | i) पूँजी व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | ii) राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (ग)** | **0.00** | **0.00** |
| | **वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)** | **6947.21** | **8495.35** |

### 4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमार्न वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | अथशेष | **23.57** | **21.96** |
| ख | निधि लेखा को जोड : | | |
| | क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज) | 1.72 | 1.61 |
| | ख) पेंशन निधि अंशदान | 265.86 | 244.56 |
| | घटाये : | | |
| | क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान) | -265.86 | -244.56 |
| | ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार) | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (क + ख)** | **25.29** | **23.57** |
| ग | निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय | | |
| | i) पूँजी व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | ii) राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (ग)** | **0.00** | **0.00** |
| | **वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)** | **25.29** | **23.57** |

**5 तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा :**

**(₹ लाखों में)**

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष (₹) | | | पूर्व वर्ष (₹) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आन्ध्र प्रदेश | कर्नाटका | कुल | आन्ध्र प्रदेश | कर्नाटका | कुल |
| क | अथशेष | **4444.74** | **2549.19** | **6993.92** | **4143.32** | **2488.69** | **6632.01** |
| ख | निधि लेखा को जोड : | | | | | | |
| | क) निवेशों से आय | | | | | | |
| | (मीआदी जमा & बबैं खाता पर ब्याज) | 317.23 | 154.71 | 471.94 | 292.78 | 144.21 | 436.99 |
| | ख) ग्रोयर अंशदान | 22.17 | 14.10 | 36.27 | 24.19 | 14.76 | 38.95 |
| | ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान | 47.08 | 25.06 | 72.14 | 40.00 | 29.52 | 69.52 |
| | घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण | 172.26 | 194.98 | 367.24 | 170.23 | 198.28 | 368.51 |
| | ङ) स्विपिंगों का ग्रोयर का शेयर | 53.36 | 9.15 | 62.51 | 0.00 | 5.89 | 5.89 |
| | च) जुर्मानाएँ | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| | छ) ऋणों पर ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ज) विविध भुगतान | 0.80 | 1.58 | 2.37 | 0.04 | 1.77 | 1.81 |
| | ञ. ग्रोयर अंशदान | | | | | | |
| | (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन) | 3.71 | 11.88 | 15.59 | 6.74 | 5.17 | 11.91 |
| | घटाये : | | | | | | |
| | क) ग्रोयरों को मृत्यु राहत | -231.70 | -315.00 | -546.70 | -232.80 | -339.10 | -571.90 |
| | ख) अन्य भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (क + ख)** | **4829.76** | **2645.76** | **7475.52** | **4444.74** | **2549.19** | **6993.92** |
| ग | निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय | | | | | | |
| | i) पूँजी व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii) राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल (ग)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)** | **4829.76** | **2645.76** | **7475.52** | **4444.74** | **2549.19** | **6993.92** |

**ह/-** xx xx xx
**(एम. रत्नबायम्मा)**
**प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी)**

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. अथशेष :** | | | **I. स्थापना खर्च** | | |
| **क) बैंक शेष** | | | 1. वेतन और मजदूरी | 4478.91 | 4348.80 |
| 1. चालू खाताएँ | 5746.94 | 6341.85 | 2. भत्ते और बोनस | 39.32 | 33.09 |
| 2. जमा खाताएँ | 68854.75 | 61467.13 | 3. भविष्य निधि को अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| 3. बचत खाताएँ | 0.00 | 0.00 | 4. पेंशन निधि को अंशदान | 2351.00 | 1040.00 |
| ख) उद्धिष्ट / धर्मस्व निधियाँ | | | 5. पेंशन निधि को अंशदान (न पें यो) | 157.92 | 146.75 |
| 1. चालू खाताएँ | | | 6. कर्मचारी कल्याण व्यय | 0.00 | 0.00 |
| i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन | 0.10 | 0.10 | 7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ | 1309.69 | 864.93 |
| (व्यापार स्कंध को अनुदान) | | | 8. अन्य : | | |
| 2. जमा खाताएँ | 0.00 | 0.00 | क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान | 5.50 | 3.87 |
| 3. बचत खाताएँ | 0.00 | 0.00 | ख) चिकित्सा दावें (अधिकारीगण व स्टाफ) | 54.63 | 32.51 |
| i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य | 1.29 | 5.57 | ग) छुरिया दावें | 2.89 | 5.45 |
| भविष्य निधि | | | घ) स्टाफ को वर्दी | 0.24 | 1.55 |
| ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड | 5.38 | 5.20 | **II. अन्य प्रशासनिक व्यय** | | |
| iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना | 0.37 | 0.27 | 1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए | 0.00 | 0.00 |
| iv) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण नधि योजना | 305.40 | 138.13 | 2. अधिकारियों और कर्मचारियों केलिए या.भ. | 168.27 | 149.43 |
| **II. प्राप्त अनुदान** | **0.00** | **0.00** | 3. बोर्ड के सदस्यों के लिए या.भ. | 5.11 | 3.35 |
| **III. निवेश और जमाएँ** | | | 4. प्रशासनिक भवन/कर्टर्स/नी. प्लैटफार्म का रखरखाव | 83.41 | 31.95 |
| क) उद्दिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर) | | | 5. भवनों का किराया | 88.40 | 82.28 |
| | | | 6. मुद्रण और स्टेशनरी (कंप्यूटर लेखन सामग्री को मिलाकर) | 79.19 | 78.64 |

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि | | | 7. विद्युत शुल्क | 129.85 | 128.86 |
| (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान) | 2991.18 | 2848.51 | 8. डाक और टेलीफोन शुल्क | 81.06 | 44.67 |
| ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य | 1009.18 | 1527.82 | 9. बैठकों पर व्यय | 17.02 | 10.33 |
| भविष्य निधि | | | 10. विविध व्यय | 111.51 | 104.26 |
| iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | 8489.97 | 10464.71 | 11. मनोरंजन व्यय | 10.31 | 10.29 |
| iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी | | | 12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता | 5.30 | 5.54 |
| नई पेंशन निधि | 23.13 | 21.62 | 13. फर्नीचर और अन्य संपित्तयों की मरम्मत | 30.69 | 23.18 |
| v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण | | | 14. परिवहन प्रभार | 3.89 | 4.98 |
| निधि योजना | 5947.19 | 6185.25 | 15. कार्यशालाएँ और सेमिनार | 0.00 | 0.00 |
| ख) निजी निधि | 0.00 | 0.00 | 16. दरें और कर | 38.33 | 25.45 |
| **IV. निवेश पर आय** | | | 17. बैंक शुल्क | 0.15 | 0.13 |
| क) उद्दिष्ट राजस्व निधि | | | 18. कानूनी शुल्क | 1.16 | 5.20 |
| i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन | 314.88 | 142.67 | 19. वाहनों का भाड़ा | 145.99 | 115.37 |
| (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) | | | 20. वाहनों का रखरखाव | 23.04 | 34.33 |
| ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य | 299.20 | 399.69 | 21. बीमा | 35.84 | 12.42 |
| भविष्य निधि | | | 22. लेखा-परीक्षा शुल्क | 5.50 | 10.66 |
| iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | 3459.74 | 1740.76 | 23. सा भ नि को व्याज अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी | 267.57 | 246.17 | 24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता | 0.00 | 0.00 |
| नई पेंशन निधि | | | 25. ऋण वसूली व्यय | 0.00 | 0.00 |
| v) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण | | | 26. पुस्तकालय किताबें | 0.09 | 0.04 |
| निधि योजना | 1414.14 | 2042.19 | 27. कंप्यूटर का रखरखाव | 28.61 | 23.85 |
| | | | 28. वेयिंग स्केल केलिए सेवा शुल्क | 20.48 | 23.25 |

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| ख) निजी निधि | 0.00 | 0.00 | 29. मुटा श्रामिक शुल्क | 699.99 | 590.08 |
| ग) किराया | | | 30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 |
| i) पट्टा परिसर पर किराया | 18.96 | 20.34 | 31. मानव संसाधन विकास | 3.65 | 8.74 |
| **V. प्राप्त किया व्याज** | | | 32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन | 624.96 | 528.54 |
| 1. बैंक में जमा राशि | 4887.23 | 3672.64 | 33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस) ऑनलाइन | 0.00 | 2.97 |
| 2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी) | 0.41 | 0.26 | 34. स्वच्छ भारत व्यय | 13.61 | 4.02 |
| **VI. अन्य आय** | | | 35. रिटेन ऑफ लॉसेस | 0.00 | 0.00 |
| 1. ग्रोयर पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, | | | 36. एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास | 5.04 | 3.06 |
| बार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन) | 301.82 | 442.27 | 37. वैज्ञानिक, तकनीकी & आर्थिक अनुसंधान | 27.53 | 20.02 |
| 2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क | 14.26 | 18.29 | 38. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन & रखरखाव | 0.10 | 0.20 |
| 3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क | 33.96 | 34.18 | 39. ग्रोयरों को वित्तीय राहत (फसल/बखार डामेज) | 0.00 | 0.00 |
| 4. डीलर पंजीकरण शुल्क | 9.53 | 9.50 | 40. किसान अध्ययन टूर : विदेश | 0.00 | 0.00 |
| 5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क | 0.53 | 0.54 | 41. बाजार का सर्वेक्षण | 0.00 | 0.00 |
| 6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क | 2.51 | 0.85 | **निर्यात प्रोत्साहन** | | |
| 7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क | 0.54 | 0.34 | 42. व्यापार प्रतिनिधि मंडल : (विदेश) | 0.00 | 0.00 |
| 8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क | 8.28 | 5.88 | 43. मेले और प्रदर्शनी (विदेश) | 37.92 | 21.27 |
| 9. मूल्यवान प्रकाशनों की बिक्री | | | अन्य | | |
| (टीजीपीबीएस) | 37.33 | 4.13 | 44. प्रसार और प्रचार | 3.74 | 5.11 |
| 10. विविध आय | 579.82 | 455.89 | 45. फार्म मशीनीकरण | 35.67 | 10.20 |
| 11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क | 16485.35 | 12987.11 | 46. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि | 127.33 | 121.40 |
| 12. पंजीकृत ग्रोयरों से @ 4% अंशदान | 0.00 | 0.00 | 47. क्यूरिंग प्रथाओं में सुधार | 100.68 | 104.99 |
| 13. अपंजीकृत & पंजीकरण ग्रोयरों से अंशदान ₹ @ 9% | 0.00 | 0.00 | 48. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन | 33.38 | 40.05 |
| 14. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रोयरों से | | | 49. पीहेचपिएम उपाय-बल्किंग शेड/नमूना भंडारण सुविधाएं | 20.54 | 5.12 |
| एक किलो को अंशदान ₹ 2/- | 0.00 | 0.00 | 50. अन्य विस्तार कार्यक्रम | 15.55 | 19.44 |
| 15. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रोयरों से | | | 51. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण | 5.16 | 4.60 |
| एक किलो को अंशदान ₹ 1/- | 0.00 | 0.00 | 52. नमूना परियोजना क्षेत्र | 10.95 | 10.60 |

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. खरीदारों की प्राधिकरण शुल्क | 8.60 | 7.42 | 53. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) | 72.09 | 69.52 |
| 17. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम | 4.85 | 5.49 | 54. वाणिज्यि कर दंड और ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| 18. कृषकों को ऋण & अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 55. सेवा कर, जुर्माना और ब्याज | 0.02 | 10.13 |
| **VII. उधार ली गई राशि** | 0.00 | 0.00 | III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के खिलाफ किए गए भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| **VIII. कोई अन्य रसीदों** | | | | | |
| 1. अन्य देनदारियां | 4384.06 | 2021.23 | IV. अनुदान और सब्सिडी पर व्यय | 0.00 | 0.00 |
| 2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा | 4.00 | 138.98 | V. निवेश और जमा | | |
| | | | 1. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ : | | |
| | | | क) नियत जमा | | |
| | | | i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंथ के लिए अनुदान) | 3305.95 | 2991.18 |
| | | | ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि | 684.75 | 1394.12 |
| | | | iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | 6941.38 | 8489.97 |
| | | | iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड | 24.74 | 23.13 |
| | | | v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना | 6770.58 | 7059.76 |

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ख) अन्य भुगतान** | | |
| | | | i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) | 0.00 | 0.00 |
| | | | ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि | 610.87 | 537.67 |
| | | | iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | 5007.88 | 3715.32 |
| | | | iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि | 265.86 | 244.56 |
| | | | v) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना | 606.10 | 1000.40 |
| | | | 2. निजी निधि | 0.00 | 0.00 |
| | | | V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगाताधीम कार्य | | |
| | | | 1. निश्चित संपत्तियों की खरीद | 161.54 | 50.58 |
| | | | 2. अग्रिम के रूप में : | | |
| | | | क) सीपीडब्ल्यूडी | 172.08 | 1428.89 |
| | | | ख) रैट्स | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3. प्रगताधीन कैपिटल कार्यों पर व्यय | 0.00 | 0.00 |
| | | | VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी | 0.00 | 0.00 |
| | | | VII. वित्तीय शुल्क (व्याज) | 0.00 | 0.00 |
| | | | VIII. अन्य भुगतान : | | |
| | | | 1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम | 0.17 | 25.00 |
| | | | 2) किसानों को ऋण और अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3) अन्य देनदारियाँ | 1541.35 | 2540.11 |
| | | | 4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा | 86.32 | 0.00 |

## तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
## तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

### दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IX. अन्तशेष | | |
| | | | **क) बैंक शेष** | | |
| | | | 1. चालू खाताएँ | 9037.13 | 5749.52 |
| | | | 2. जमा खाताएँ | 79033.95 | 68854.75 |
| | | | 3. बचत खाताएँ | 0.00 | 0.00 |
| | | | **ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि** | | |
| | | | 1. चालू खाताएँ | | |
| | | | i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) | 0.21 | 0.10 |
| | | | 2. जमा खाताएँ | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3. बचत खाताएँ | | |
| | | | i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि | 14.06 | 1.29 |
| | | | ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि | 5.84 | 5.38 |
| | | | iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि | 0.48 | 0.37 |
| | | | iv) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना | 290.06 | 305.40 |
| **कुल** | **125912.47** | **113402.97** | **कुल** | **125912.47** | **113402.97** |

ह/- XX XX XX
(डी. वेणुगोपाल)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
(विश्वश्री. बी)
कार्यपालक निदेशक

**1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंद्य को अनुदान सहायता) लेखा**

(₹ लाखों में)

| क्रं.स. | विवरण | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क. | **अथशेष** | | |
| | क) बैंक में नकद | 0.10 | 0.10 |
| | (चालू खाता) (एस बि आई, गुण्टूर) | | |
| | ख) निवेश (मीआदी जमा) | 2991.18 | 2848.51 |
| ख. | **प्राप्तियाँ** | | |
| | क) निवेशों से आय | | |
| | (मीआदी जमा &बबैं खाता पर व्याज) | 314.88 | 142.67 |
| | ख) प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 |
| | ग) अन्य प्राप्तियाँ | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल प्राप्तियाँ (क + ख)** | **3306.16** | **2991.28** |
| ग. | **भुगतान** | | |
| | क) निकासी | 0.00 | 0.00 |
| | ख) अन्य भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| घ. | **अन्तशेष** | | |
| | क. निवेश (मीआदी जमा) | 3305.95 | 2991.18 |
| | ख) बैंक में नकद (चालू खाता) | 0.21 | 0.10 |
| | (एस बि आई, गुण्टूर) | | |
| | **कुल भुगतान (ग + घ)** | **3306.16** | **2991.28** |

**2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा**

(₹ लाखों में)

| क्रं.स. | विवरण | चालू वर्ष | पूर्व वष |
|---|---|---|---|
| क. | **अथशेष** | | |
| | क) बैंक में नकद | | |
| | (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर) | 1.29 | 5.57 |
| | ख) निवेश (मीआदी जमा) | 1009.18 | 1527.82 |
| ख. | **प्राप्तियाँ** | | |
| | क) निवेशों से आय | | |
| | (मीआदी जमा &बबैं खाता पर व्याज) | 63.50 | 88.09 |
| | ख) अंशदान | 235.41 | 311.41 |
| | ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली | 0.30 | 0.20 |
| | **कुल प्राप्तियाँ (क + ख)** | **1309.68** | **1933.08** |
| ग. | **भुगतान** | | |
| | क) निकासी | 610.87 | 537.17 |
| | ख) भुगतानित अग्रिम | 0.00 | 0.50 |
| घ. | **अन्तशेष** | | |
| | क) निवेश (मीआदी जमा) | 684.75 | 1394.12 |
| | ख) बैंक के नगद (बचत खाता) | | |
| | (एस बि आई - गुण्टूर) | 14.06 | 1.29 |
| | **कुल भुगतान (ग + घ)** | **1309.68** | **1933.08** |

**3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा**

(₹ लाखों में)

| क्रं.स. | विवरण | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क. | **अथशेष** | | |
| | क) बैंक में नकद | | |
| | बचत खाता (एस बि आई, गुण्टूर) | 5.38 | 5.20 |
| | ख) निवेश (मीआदी जमा) | 8489.97 | 10464.71 |
| ख. | **प्राप्तियाँ** | | |
| | क) निवेशों से आय | | |
| | (जीवीनि & बबैं लेखा के साथ जमा पर ब्याज) | 465.57 | 700.76 |
| | ख) पेंशन निधि अंशदान | 2994.17 | 1040.00 |
| | **कुल प्राप्तियाँ (क+ख)** | **11955.10** | **12210.67** |
| ग. | **भुगतान** | | |
| | क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी | 5007.88 | 3715.32 |
| | ख) बैंक प्रभार | 0.00 | 0.00 |
| घ. | **अन्तशेष** | | |
| | क) निवेश (मीआदी जमा) | 6941.38 | 8489.97 |
| | ख) बैंक में नकद | | |
| | (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर) | 5.84 | 5.38 |
| | **कुल भुगतान (ग+घ)** | **11955.10** | **12210.67** |

**4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा**

(₹ लाखों में)

| क्रं.स. | विवरण | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| क. | **अथशेष** | | |
| | क) बैंक में नकद | | |
| | (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर) | 0.37 | 0.27 |
| | ख) निवेश (मीआदी जमा) | 23.13 | 21.62 |
| ख. | **प्राप्तियाँ** | | |
| | क) निवेशों से आय | | |
| | (मीआदी जमा & बबैं खाता पर ब्याज) | 1.72 | 1.61 |
| | ख) पेंशन निधि अंशदान | 265.86 | 244.56 |
| | **कुल प्राप्तियाँ (क + ख)** | **291.07** | **268.05** |
| ग. | **भुगतान** | | |
| | क) एनएसडिएल, मुंबई को प्रोषित राशि | | |
| | (पेंशन अंशदान) | 265.86 | 244.56 |
| | ख) अन्य भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| | (एनपीएस पदाधिकारियों को रिफन्ड) | | |
| घ. | **अन्त शेष** | | |
| | क) निवेश (मीआदी जमा) | 24.74 | 23.13 |
| | ख) बैंक में नकद | | |
| | (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर) | 0.48 | 0.37 |
| | **कुल भुगतान (ग + घ)** | **291.07** | **268.05** |

## 5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष (₹) | | | पूर्व वर्ष (₹) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आन्ध्र प्रदेश | कर्नाटका | कुल | आन्ध्र प्रदेश | कर्नाटका | कुल |
| क. | अथशेष | | | | | | |
| | क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेंगलूर) | 71.96 | 233.44 | 305.40 | 30.70 | 107.43 | 138.13 |
| | ख) निवेश (मीआदी जमा) | 3865.22 | 2081.97 | 5947.19 | 4059.10 | 2126.15 | 6185.25 |
| ख. | प्राप्तियाँ : | | | | | | |
| | क) निवेशों से आय (मीआदि जमा & बबैं खाता पर ब्याज) | 241.55 | 169.17 | 410.72 | 208.14 | 129.42 | 337.56 |
| | ख) ग्रोयर अंशदान | 22.17 | 14.10 | 36.27 | 24.19 | 14.76 | 38.95 |
| | ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान | 47.08 | 25.06 | 72.14 | 40.00 | 29.52 | 69.52 |
| | घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण | 172.26 | 194.98 | 367.24 | 170.23 | 198.28 | 368.51 |
| | ङ) स्वीपिंग का ग्रोयर का शेयर | 53.36 | 9.15 | 62.51 | 0.00 | 5.89 | 5.89 |
| | च) जुर्माना | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| | छ) ऋणों पर ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ज) विविध भुगतान | 0.80 | 1.58 | 2.37 | 0.04 | 1.77 | 1.81 |
| | झ) ग्रोयर अंशदान (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन) | 3.71 | 11.88 | 15.59 | 6.74 | 5.17 | 11.91 |
| | ञ) विवाह ऋण | 0.50 | 62.62 | 63.12 | 1.25 | 80.83 | 82.08 |
| | ट) शिक्षा ऋण | 2.00 | 13.76 | 15.76 | 1.04 | 7.77 | 8.81 |
| | ठ) प्रधान बीमारी ऋण | 1.00 | 1.10 | 2.10 | 1.10 | 1.40 | 2.50 |
| | ड) बखार डामेज ऋण | 0.10 | 18.98 | 19.08 | 0.10 | 26.13 | 26.23 |
| | ढ) क्राप डामेज ऋण | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 1088.20 | 0.00 | 1088.20 |
| | कुल रसीद (क + ख) | **4828.82** | **2837.91** | **7666.73** | **5631.05** | **2734.51** | **8365.57** |
| ग. | भुगतान | | | | | | |
| | क) ग्रोयरों को मृत्यु राहत | 231.70 | 315.00 | 546.70 | 232.80 | 339.10 | 571.90 |
| | ख) विवह ऋण | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 0.50 | 51.50 | 52.00 |
| | ग) शिक्षा ऋण | 0.50 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | 13.50 | 14.50 |
| | घ) प्रधान बीमारी ऋण | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | ङ) बखार डामेज ऋण | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 14.00 | 14.00 |
| | च) विशेष ब्याज मुक्त फसल ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00 |
| घ. | अन्तशेष | | | | | | |
| | क) निवेश (मीआदी जमा) | 4569.22 | 2201.35 | 6770.58 | 4977.80 | 2081.97 | 7059.76 |
| | ख) बैंक में नकद (एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर) | 27.40 | 262.66 | 290.06 | 71.96 | 233.44 | 305.40 |
| | कुल भुगतान (ग + घ) | **4828.82** | **2837.91** | **7666.73** | **5631.05** | **2734.51** | **8365.57** |

**अनुसूची - 24 :**

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ**

**1. लेखाकरण प्रथा :**

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार है :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

**2. वस्तुसूची मूल्यांकन :**

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखों के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है ।

**3. निवेश :**

**तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -**

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा ।

   परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा ।

   स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्धेश्य में ‘राष्ट्रीयकृत बैंक’, जो बेंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत है) ।
3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा ।

**4. उत्पाद शुल्क : शून्य**

**5. स्थिर संपत्तियाँ :**

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपस्कार, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं । इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया जाता है ।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्लयूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है । निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ती के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया जाता है ।

**6. मूल्यह्लास :**

मूल्यह्लास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपेनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यह्लास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यह्लास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यह्लास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि., को छोडकर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यह्लास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यह्लास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्लास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया ।

**7. विविध व्यय :**

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है । आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्बलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षो के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षो के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है ।

**8. बिक्री के लिए लेखा :**

**क) बिक्रियाँ :**

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं । तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ।

**ख) सेवाएँ :**

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार है :

**क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत** - इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित

बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;

**ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत** - उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा ।

**14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क :**

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

**विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :**

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

**धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :**

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

**खरीददार से शुल्क वसूली विधान :**

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयर द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्रोयर और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है । यह सेवा प्रभारों को आय और व्यय लेखा की अनुसूची-11 के अंतर्गत वसूली तारीख के अनुसार और संभूति (अक्रूयल) के आधार पर प्राप्तियाँ भुगतन विवरणी में लिया जायेगा ।

आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनिमय के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन को प्रदान करने व्यापारियों से और नीलामियों में भाग लेने क्रेता प्राधिकरण शुल्क वसूल करता है । इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है ।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 23 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित ब्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित ब्याज के आय के रूप में दिखाया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से अधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है । यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची-17 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये जाते हैं ।

कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में 2022 और 2023 नीलामियों के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत / अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए 1% साधारण सेवा प्रभार लगाया है और कोई अंशदान नहीं लगाया है।

भारत सरकार ने दि.04/07/2023 और 23/01/2024 को जारी राजपत्र अधिसूचनाओं में घोषित किया कि 2022-23 और 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में उक्त अधिनियम की धारा 14-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के प्रावधानों के संचालन को सार्वजनिक हित के लिए सरकार ने रिलाक्स कर देती है और पंजीकृत ग्रोयरों के आधिक्य फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू फसल और तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलाम प्लैटफार्मों में अपंजीकृत ग्रोयरों के अप्राधिकृत फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए अनुमति दी है । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों का कोई अंशदान नहीं होता है । विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। इन विवरणों को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 18 के अन्तर्गत अन्य आय के रूप में लिया जाता है।

तम्बाकू बोर्ड का प्रधान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं । यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं ।

पूँजी व्यय को बोर्ड की मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विघ्न आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है । विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईंधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर द्वारा किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं ।

## 9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि व्दारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे ।

## 10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रूपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी ।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी ।

**11. लीज :**

बोर्ड ने, क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की बिक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

**12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :**

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार व्दारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्ते भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों ।

**तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्ते :**

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्ते, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संन्निर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं ।

## अनुसूची - 25

दि.31, मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणी :

**1. आकस्मिक देयताएँ :**

1.1 संस्था के खिलाफ ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये दावाएँ शून्य है । (पूर्व वर्ष में शून्य)

1.2 के संबंध में :

- संस्था के पक्ष में / दी गई बैंक गारंटी - ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)
- संस्था के पक्ष में बैंक द्वारा प्रारंभ किये साख पत्र - ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)
- बैंकों के साथ रियायती बिल ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

1.3 विवादास्पद माँगों के संबंध में :

आयकर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

बिक्री कर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

निगम कर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्त वाले भवनों के लिए संपत्ति कर के संबंध में, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में संबंधित ग्राम पंचायत प्राधिकारियों द्वारा संपत्ति कर भुगतान के लिए नोटीस जारी किये गये थे । इस संबंध में, तम्बाकू बोर्ड भवनों के लिए संपत्ति कर भुगतान से छूट देने के लिए आयुक्त, पंचायत राज & ग्रामीण विकास, आन्ध्र प्रदेश सरकार, विजयवाडा को और कर्नाटका में संबंधित प्रधान कार्यकारी अधिकारियों, जिला पंचायतों को पत्र भेजे गये थे । अब, संपत्ति कर की संचित राशि ₹ 55,63,753.56 को दरों और करों के अन्तर्गत प्रोविजन के रूप में लिया जाता है ।

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पार्टियों के दावाओं के संबंध में, लेकिन वर्तमान और पूर्व वर्ष के लिए निम्नानुसार संस्था द्वारा विरोध किया गया के संबंध में :

क) याचिका-दाता श्री वलवला वेंकट श्रीधर, राजमहेन्द्री द्वारा तम्बाकू बोर्ड के खिलाफ आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में अपील, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म को पट्टे पर लिया गया था, के परिसर को निष्कासन करने के लिए एक दावा अपील किया गया था और ₹ 1,10,66,618.00 के मूल्य के लिए डामेज के लिए अपील किया था । यह मामला सूचीबद्ध किया जाना बाकी है ।

ख) श्री के.वि. श्रीमन्नारायण, मंडुववारीपालेम द्वारा बोर्ड के खिलाफ माननीय जिला जज न्यायालय, ओंगोल में एक अपील फैल की गई थी । यह याचिका-दाता बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये परिसर को करारनामा में रहे समय के विरुद्ध जल्दी खाली करने के लिए किराये के लिए दावा किया है । दि. 31/12/2015 से 18% व्याज को और अन्य लीगल प्रभार को मिलाकर दावा किया राशि ₹ 13,37,776.00 रहा है ।

ग) मेसर्स स्टेसालिट सिस्टम्स् लिमिटेड ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(2) के अनुसार निपाटारा प्रक्रिया को समाप्त करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार मध्यस्थत कार्यवाई की सूचना और ₹ 1,38,36,400.50 राशि को दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्य सूक्ष्म & लघु उद्यम सुविधा परिषद् से संपर्क किया था । कोई सर्वसम्मति की स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए निपाटारा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और 2018 के मामला सं. 128 द्वारा डब्ल्यूबी एसएमसीएसई में मध्यस्थता कार्यवाही को शुरु कर दिया गया था और यह मामला लंबित है ।

घ) अतिरिक्त महानिदेशक, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), चेन्नई जोनल यूनिट, चेन्नई ने ₹ 183,83,73,622/- मूल्य के अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के कर योग्य मूल्य पर ₹ 24,86,69,972/- की सेवा कर को भुगतान करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अपने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटीआई/सीजडयू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा शोकॉज नोटीस सं. 20/2019 को जारी किया है और सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹ 129,98,928/- सेवा कर राशि को वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 9,98,83,002/- राशि को विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्शाये गये ।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के अनुसार ग्रोयरों से वसूल किये अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं पर सेवा कर की अनुपयोज्य के लिए आयुक्त (अपील), वस्तु और सेवा कर, गुण्टूर के समक्ष एक अपील फैल किया था । इस मामला को आयुक्त केन्द्रीय कर, गुण्टूर द्वारा समाप्त कर दिया गया था और शो-कॉज नोटीस में लगाये गये कर मॉग और ₹ 26.17 करोड की जुर्माना राशि को पुष्टि करते हुए आर्डर-इन-ओरिजिनल सं.गुण्टूर-एक्सेस-000-सीयूएम-026/19-20-से. कर, दि.13/12/2019 को जारी किया था ।

आगे, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजिनल के खिलाफ, सीईएमटीएटी, हैदराबाद द्वारा अपील को स्वीकार करने माननीय केन्द्रीय कर अप्पीलेट ट्रिब्यूनल, प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद के सामने ओआईओ में उल्लिखितानुसार ₹ 1,96,25,168/- की पूर्व जमा राशि के साथ एक अपील फैल की थी । आगे, आयुक्त (अप्पील) ने अप्रैल, 2023 के दौरान याने., 27/04/2023 तक मामला के शीघ्र निपराने के लिए सीईएसटीएटी, हैदराबाद के सामने एक अपील को दायर की है और सीईएसटीएटी द्वारा बाद में इस मामले को उठाने के लिए सुनवाई अप्पील को डिस्पोज किया गया था ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसर पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त/अप्राधिकृत तम्बाकू के लिए ग्रोयरों द्वारा स्वेच्छा से की गई बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड की कोई दायित्व नहीं होने के कारण 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि के लिए खाता बहियों में कोई आकस्मिक देयता नहीं है । अंशदान की कोई रसीद को सेवा कर नहीं लगेगा और ग्रोयरों से सेवा कर वसूल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है ।

अब, उप सहायक आयुक्त (एसटी), गुण्टूर ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कर भुगतानों पर अभिलेख और डेटा मांगते हुए दि.05/10/2020 को एक प्रारंभिक नोटीस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत सभी अभिलेखों/डेटा को मूल्यांकन किया है और बोर्ड की कुछ रसीदों पर जीएसटी को भुगतान करने के लिए सूचना जारी किया है । रैज किये गैर-प्रयोज्य करों के बारे में सूचित किया है। बाद में, उक्त तीनों वर्षों के लिए दि.09/11/2022 को शो-कॉज नोटीस जारी किया गया और इस के लिए पत्र दि. 04/01/2023 द्वारा उत्तर नस्तित किये । आगे, उन्होंने पत्र दि.30/01/2023 द्वारा कुल ₹ 23.38 करोड की कुल राशि के लिए ब्याज सहित जुर्माना के साथ कर भुगतान करने के लिए आदेश जारी किये थे । इस संबंध में, मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, टॉक्स कन्सलटेंट, गुण्टूर द्वारा दि.27/04/2023 को फार्म जीएसटी एपीएल-2 के अंतर्गत एक अप्पील नस्तित की गई थी ।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि अप्पीलेट प्राधिकारी, तिरुपति के आदेश कनक्लूड हुआ था और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 अवधि के लिए जीएसटी एपीएल-04 के रूप में दि.29/02/2024 को सम्मरैजड् आदेश दिया था । अन्ततः उक्त अवधि के लिए विवादिन राशि ₹ 23,38,62,330/- के लिए ₹ 16,96,55,892/- को स्थायी राशि के रूप में निर्धारित किया गया था । माननीय अप्पीलेट न्यायाधीकरण (ट्रिब्युनल), जब संस्थापित किया जाता है, के तीन महीनों के अंदर आदेश दि.29/02/2024 के खिलाफ अपील दायर करना होगा । यह अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, इसलिए दि.29/02/2024 को उक्त अवधि के लिए अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर) & अप्पीलेट प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के लिए अप्पील को, अप्पीलेट न्यायाधिकरण जहाँ जब गठित होने पर दायर किया जायेगा । आगे, जीएसटी नीति विंग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं राजस्व बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. 224/18/2024 - जीएसटी, दि.11/07/2024 के मार्गदर्शन सूत्रों के अनुसार तथा मेसर्स. वंगला असोसियेट्स, गुण्टूर, जो तम्बाकू बोर्ड के जीएसटी सलाहकार है, से परामर्श करने के बाद तम्बाकू बोर्ड ने ₹ 84,08,856/- कर पूर्व जमा राशि के रूप में भुगतान किया है और इसकी सूचना उप आयुक्त (एसटी), राज्य स्पेशल सर्किल, कुंचनपल्ली, गुण्टूर को दे दी गई है।

**2. पूँजी वचनबद्धता :** शून्य

### 3. लीज अनुबंध-पत्र :

आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल-II & कोंडेपी, राजमहेन्द्रवरम के प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय और कर्नाटका में बेंगलूर में नीलाम निदेशालय का कार्यालय & पेरियपट्ना प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय तम्बाकू बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये ।

### 4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम :

बोर्ड द्वारा प्रदत्त चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये थे ।

### 5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29 क)(घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर भुगतान में छूट-प्राप्त है ।

## लेखाओं पर टिप्पणी

### क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया ।

### ख) उद्देश्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजिनक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है ।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

### ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
- vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार;
- vii) कर्नाटका सरकार;
- viii) गुजरात सरकार;

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले +दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं ।

\+ परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नही होगी ।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

**घ) प्रकार्य :**

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है ।

**ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :**

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;

ख) इस अधिनियम के प्रोयजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;

ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;

घ) धारा 8 में निर्दिष्टि उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;

ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;

ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;

घ) किन्ही उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी ।

**च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :**

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे ।

**छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :**

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा ऑकडों को लाखों रूपये तक पूर्ण करने (रॉऊडेड आफ) को उपनाया था ।

2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,297.93 लाख है ।

3. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-I से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया ।

4. दि. 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 60.93 लाख पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।

5. 2024-25 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹ 79,033.95 लाख हैं । लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा । सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया ।

   बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया ।

6. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रो-रेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यह्रास के दर निम्नलिखित प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भूमि-पट्टधृति | : 360 महीनों की अवधि |
| 2. | भवन : पट्टाधृति भूमि पर | : 276 महीनों की अवधि |
| 3. | पूर्णधृति भवन | : 1.58% (आरसीसी छत)& 3.17% गैर - आरसीसी |
| 4. | फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण | : 9.50% |
| | साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पालीन, | : 9.50% |
| | ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स | : 9.50% |
| 5. | कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण | : 19%, |
| | वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन | : 19% |
| 6. | अग्नि शामकों | : 19% |
| 7. | कंप्यूटर | : 31.67 % |

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है । इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी । अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है ।

अग्निशामकों पर मूल्यह्लास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे । आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोडे जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है ।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है । संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यह्लास के साथ दि. 31/10/2025 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 576.57 लाख की कुल रकम का मूल्यह्रास किया गया है ।

7. दि.31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों केलिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज/समायोजित किया गया । वित्तीय वर्ष 2024-25 से दौरान, सिविल, विधुत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए ₹ 872.88 लाख सीपीडब्लूडी/राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में समयोजित किया गया । रीलीज अग्रिमों के लिए अपने कार्य समापन के लिए ₹ 2.96 लाख सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापिस किया गया था ।

8. दि.31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 119.18 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं ।

दि.31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 389.74 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्रोयरों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं ।

9. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 16,558.19 लाख राशि प्राप्त हुई ।

10. 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।

11. दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 37.92 लाख की राशि खर्च की गयी है ।

12. वर्ष 2024-25 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये है, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित है, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹814.78 लाख की राशि रही है।

13. दि.31/03/2025 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 93,106.49 लाख की राशि उपलब्ध रही है ।

14. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकद्दमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सब-जुडिस) रहे हैं । बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही ।

    अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढे याने., 85 से 90 उम्र के हो गये है और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है । बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही । बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है । जहाँ पर बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था ।

    हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है । इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को अनेक पत्र इससे संबंधित लिखा और हाल ही में 20/01/2025 को एक अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृती प्रतिक्षित है ।

15. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य केलिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2024-25 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था ।

16. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 3,427.59 लाख राशि उपलब्ध रहा था । व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 125.00 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया । आगे, बोर्ड ने 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों केलिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2025 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 3,211.19 लाख की राशि प्राप्त हुई है ।

17. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 729.30 लाख की राशि उपलब्ध रही । सा.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदानों पर ब्याज सम्मिलित) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 731.91 लाख राशि रहा था । 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि. खाता में ₹ 2.61 राशि की कमी रही है । सावधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज की अधिशेष राशि, जो पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रही है ।

18. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बहियों में ₹ 6,947.21 लाख उपलब्ध रही है । भा.जी.नि, के साथ ₹ 6,941.38 लाख राशि और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 5.38 लाख की राशि उपलब्ध रही है । तम्बाकू बोर्ड ने जीबीनि को मौजूदा कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया और भा.जी.नि ने दि.31/03/2025 तक ₹ 7,374.00 लाख राशि को एक्चूयेरिपल मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है । सेवारत कर्मचारियों के दै.भ की वृद्धि और अंतर राशि देयता के लिए भा.जी.नि के पास ₹ 6,941.38 लाख जमा राशि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 2,263.00 लाख की राशि अदा करना है, इसको दि.31/03/2025 तक लेखा बहियों में देयता के रूप में उपनाया गया है ।

19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹25.29 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था । इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता (तम्बाकू बोर्ड) अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है । उक्त राशि में दि. 31/03/2025 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है ।

20. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 7,482.00 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 4,829.76 लाख + कर्नाटका ₹ 2,652.24 लाख) उपलब्ध रहा था ।

    भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान ग्रोयरों द्वारा अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए तम्बाकू किसानों और तम्बाकू बोर्ड के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति को सूचित किया।

21. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है । सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआऊट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा ।

    उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन छुट्टी लेखा के लिए भुगतान देयता की गणना मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार की जाती है और इसे बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया गया ।

दि. 30/03/2025 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया गया और इसे दि.31/03/2025 तक सी.सी.ए.(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 2,839.07 लाख रशि (उपादान ₹1,471.32 लाख + अवकाश नकदीकरण ₹1,367.75 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था ।

22. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाडा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹ 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सीईएसटीएटी, हैदराबाद के अधीन हैं । कंपेनियों से देय राशि ₹ 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया ।

23. दि. 31/03/2025 तक सेवा निवृत्त लाभों, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., और संपत्ति का संबंधितों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है ।

24. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपेनी, गुण्टूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (घ) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्नों को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के नूतन परिवर्तनों के अनुसार 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए और 2024-25 निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्तित की है ।

25. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्टूर द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न नस्तित किया है ।

26. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है । 2008-09 तक, ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी । 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था । इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस पर कर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया ।

इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यक कर, बेंगलूर को अप्पील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे । बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन को माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था ।

आगे, इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अप्पीलेट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया । आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यक कर,

वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था । अतः पूरा कर + जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, मैसूर को दि.25/11/2016 को चुकाई गई ।

डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर को ₹3,04,55,678/- की कर राशि की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- की राशि के लिए, जो दि.21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को एक और डिमान्ड नोटीस जारी किया था । इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और दि. 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया ।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, बीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटिरम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए दि.15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है ।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया । बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को दि. 30/05/2017 डिस्पोज किया था । डीसीसीटी-वीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्रप्त नहीं हुई है और 2025-26 के दौरान आवश्यक कदम उठाया जायेगा क्योंकि यह मामला प्रशासनिक कारणों से पूरा नहीं हुआ है ।

27. आय कर - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।

28. बिक्री कर - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा बिक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।

29. नगर निगम कर - संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमाण्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायतों से संबंधित संपत्ति कर के लिए देय बकाया राशियों को लेखा बहियों में आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया है ।

30. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नीलाम की 8वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रानिक फन्ड ट्रान्सफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 9वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक ग्रोयरों के खाता की बिक्री प्रोसीडों को ई-भुगतान द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है ।

31. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है ।

32. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया ।

33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तुलन-पत्र के संपत्ति पक्ष में सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को दिये गये अग्रिमों के लिए पूँजी और राजस्व प्रकृति के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को अग्रिम भुगतान का ब्रेक-ऑप विवरण दिया गया है ।

34. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹22,395.56 लाख की प्राप्ती और ₹11,630.19 लाख राशि को व्यय किया है ।

35. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ.स. पत्र दि.30/01/2025, सं. पीडीसीए/लेखा डेस्क/2023-24/1.42/644 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में रैज किये बिन्दओं पर रेमिडिकल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा । लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2024-25 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :

(क) प्रबंध पत्र के अनुलग्नक की पेरा सं. 1 में लेखा परीक्षा द्वारा यह पहचान की गयी थी कि संशोधित अनुसूचियों को प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों के साथ बोर्ड/लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिसके कारण वित्तीय विवरणियों तथा व्याख्यात्मक अनुसूचियों में आँकडों में असंगतियाँ पाई गई । इस वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी विसंगतियों से बचाने हेतु सावधानी रखना होगा ।

(ख) पेरा सं. 2 में लेखा परीक्षा द्वारा यह टिप्पणी लिखी गयी थी कि बीमांकिक मूल्यांकन के लिए भाजीबीनि (एलआईसी) को दिये इनपुटों में असंगतियाँ थी । इस वित्तीय वर्ष में दिये इनपुटों में इस प्रकार की विसंगतियाँ से मुक्त रही है ।

(ग) पेरा सं. 3 में, लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया था कि तम्बाकू बोर्ड ने उपादान और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया है, जो कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित एकरूपी लेखा प्रारूप के अनुरूप नहीं है, जिसमें, पेंशन और अवकाश नकदीकरण से संबंधित प्रावधान को अलग से प्रदर्शित करने का निर्देश था । तदनुसार, लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित लघु अवधि और दीर्घ अवधि देनदारियों के लिए ब्रेक-अप प्रावधान को तुलन पत्र की देनदारियों की ओर प्रदर्शित किया गया है ।

(घ) पेरा सं. 4 में, लेखा परीक्षा ने 2005-06 से 2009-10 संबंधित विभिन्न कंपेनियों से वसूल की जाने वाली ₹ 4.96 लाख की राशि अब तक समायोजित नहीं की गई हैं । ₹ 4.96 लाख की बकाया राशि, उन कंपनियों से प्राप्त की जानी है, जिन्होंने 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि से संबंधित नीलामकार सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था । ये कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण राशि की वसूली नहीं हो सकी है । बोर्ड का राय यह है कि जब तम्बाकू बाजार में निर्यातों के साथ मूल्य में वृद्धि में सुधार होगा, तब ये कंपेनियाँ फिर से पुनः प्रारंभ होंगे उस समय इस राशि को वसूली की जायेगी अतः इसे विविध देनदारों के रूप में दिखाया गया है ।

(ड.) पेरा सं. 5 में, लेखा परीक्षा ने सूचित किया कि लेखा परीक्षा के समय तम्बाकू बोर्ड के ग्रोयर बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि योजना में ₹ 8.38 लाख राशि की योगदान में कमी पायी गयी । तदनुसार, बोर्ड ने आवश्यक कदम उठायी और तम्बाकू निधि खाता से यह राशि को पूर्ति की ।

(च) पेरा सं. 6 में, लेखा परीक्षा ने यह सुझाव दिया था कि तम्बाकू स्वीपिंगों की बिक्री से प्राप्त लेखीकरण प्रोसीडों के लिए एक लेखीकरण नीति को बनाने की आवश्यकता है । यह प्रस्तुत किया जाता है कि तम्बाकू बोर्ड नीलाम प्लैटफार्मों से तम्बाकू की स्वीपिंग को एकत्र किया जाता है और इसे नीलामियों में बेचा जाता है । इस प्रकार से प्राप्त राशि को तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि और भारतीय तम्बाकू संघ, जो व्यापारीवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, के बीच शेयर किया जाता है । इस कुल राशि में से, तम्बाकू बोर्ड को केवल वही राशि प्राप्त होती है, जो स्वीपिंग एकत्र करने में वास्तव में व्यय की गई थी।

(छ) लेखा परीक्षा ने पेरा सं. 7 में यह अवलोकित किया कि तम्बाकू बोर्ड द्वारा किये ब्याज की गणना वास्तव में उपार्जित ब्याज से कम की गयी थी । इस गलति को वित्तीय वर्ष में सुधार किया गया है ।

(ज) पेरा सं. 8 में लेखा परीक्षा ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय पादप स्वस्थ्य प्रबंध संस्था को देय ₹ 6.84 लाख राशि को 2023-24 की तुलन पत्र में चालू देयताओं के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था । वर्ष 2024-25 के दौरान इस प्रकार की राशियों के लिए आवश्यक सावधानी को अपनायी गयी है ।

(झ) पेरा सं. 9 में लेखा परीक्षा ने उल्लेख किया था कि 180.55 एकड़ भूमि का मूल्य वित्तीय विवरणियों में ₹ 430.54 लाख दिखाया गया था, जबकि प्रबंध द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार यह राशि ₹ 431.12 लाख थी । तम्बाकू बोर्ड ने इस को रीकनसिल किया है और वर्तमान वर्ष में जहाँ जब लेखा परीक्षा लिया जायेगा, तब लेखा परीक्षा को इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा ।

(ञ) पेरा सं. 10 में उल्लिखित किया कि केपिटल कार्यों के लिए जारी अग्रिम राशि को ‘‘सीपीडब्ल्यूडी-केपिटल को अग्रिम’’ के रूप में दिखाया गया था, जबकि इसको प्रगताधीन पूँजीगत कार्य या उठाये गये व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए । इसे वर्तमान वर्ष की वार्षिक विवरणियों को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है ।

(ट) पेरा सं. 11 में लेखा परीक्षा ने उल्लेख किया कि मरम्मत और रखरखाव के खर्च को पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया, जबकि इसको राजस्व व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए । तम्बाकू बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार की असंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सावधानी करने की व्यवस्था की ।

ह/- xx xx xx
**(एम. रत्नबायम्मा)**
प्रंबधक (विवले) प्रभारी

## 2012-13 से 2024-25 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

(₹ लाखों में)

| क्रं.सं. | विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अथशेष (योजना & गैर-योजना) | 34406.37 | 36542.81 | 41384.66 | 47696.18 | 51899.06 | 54701.21 | 55788.64 | 58886.19 | 61493.09 | 60638.28 | 60215.90 | 62237.73 | 69412.92 |
| 2 | प्राप्तियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| | क) गैर-योजना | 11541.65 | 15083.54 | 16581.13 | 15387.68 | 14399.60 | 14477.23 | 15395.93 | 15558.10 | 12777.00 | 11029.31 | 12490.21 | 17665.12 | 22395.56 |
| | ख) योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | सहायता अनुदान | | | | | | | | | | | | | |
| | क) गैर-योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ख) योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **कुल (आई ई बी आर) (1 से 3)** | **45948.02** | **51626.35** | **57965.79** | **63083.86** | **66298.66** | **69178.44** | **71184.57** | **74444.29** | **74270.09** | **71667.59** | **72706.11** | **79902.85** | **90333.12** |
| 5 | व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| | क) गैर-योजना | 2054.13 | 2061.98 | 1728.82 | 634.50 | 748.37 | 13389.80 | 12298.38 | 12951.20 | 13631.81 | 11451.69 | 10468.38 | 10489.93 | 11630.19 |
| | ख) योजना | 7351.08 | 8179.71 | 8540.79 | 10550.30 | 10849.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल व्यय (5) | **9405.21** | **10241.69** | **10269.61** | **11184.80** | **11597.45** | **13389.80** | **12298.38** | **12951.20** | **12951.20** | **11451.69** | **10468.38** | **10489.93** | **11630.19** |
| 6 | अन्तशेष (4-5) | **36542.81** | **41384.66** | **47696.18** | **51899.06** | **54701.21** | **55788.64** | **58886.19** | **61493.09** | **60638.28** | **60215.90** | **62237.73** | **69412.92** | **80178.29** |

## संकेताक्षर

| | |
|---|---|
| आं.प्र | आन्ध्र प्रदेश |
| एपीएफ/ए.पी.एफ | नीलाम प्लैटफार्म |
| औ.मू. | औसत मूल्य |
| बीएटी | ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको |
| बीजी | बैंक गारंटी |
| नी.अ./व.श्रे.अ. | नीलामी अधीक्षक/वरिष्ठ श्रेणीकरण अधिकारी |
| क्षे.अ./क्षे.स. | क्षेत्र अधिकारी/क्षेत्र सहायक |
| सीएमओ | आम बाजार संगठन |
| सीपीडब्ल्यूडी | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| सीपीए’एस | फसल सुरक्षा एजेंट |
| सीटीआरआई | केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान |
| इएलएस | पूर्वी हल्की मिट्टी |
| इयू | यूरोपीय संघ |
| एफसीवी | फ्लू कूरिड वर्जीनिया |
| जीआई | गाल्वनैजिड आईरन |
| जीआरएल | गाइडेंस अवशिष्ट स्तर |
| जीएसपी | सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली |
| हेचए/हे. | हेक्टर |
| आईएलटीडी | भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन |
| आईपीएम | एकीकृत कीट प्रबंध |
| आईएसओ | अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन |
| आईटीए | भारतीय तम्बाकू संघ |
| आईटीसी | भारतीय तम्बाकू कंपनी |
| आईटीडीए | भारतीय तम्बाकू डीलर संघ |
| केके के.के | कर्नाटका |
| केएल एस | कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ |
| एलएसआई | स्थायी निर्देश के पत्र |
| एम.केजीएस/एम.केजीएस | मिलियन किलोग्राम |
| एमइपी | न्यूनतम निर्यात मूल्य |
| एमजीपी | न्यूनतम गारंटी मूल्य |
| एमकेटीडी. | विपणित |
| एमपीए | मोडल परियोजना क्षेत्र |
| एमएसपी | न्यूनतम समर्थन मूल्य |
| एनबीएस | उत्तरी काली मिट्टी |
| एनऐपीहेचएम | राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान |
| एनएलएस | उत्तरी हल्की मिट्टी |
| एनपीवी | न्यूक्लियर पालि हेन्द्रासिस वैरस |
| एनटीआरएम | गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री |
| ओएफटी’एस | आन-फार्म परीक्षण |
| ओएलआईसी | राजभाषा कार्यान्वयन समिति |
| पीहेचपीएम | फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध |
| क्यूटीवाई. | परिमाण |
| आरसीएमसी | पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र |
| आरऐटीइएस | रेल इंडिया टेक्रिकल एंड और आर्थिक सेवाओं |
| एसएलएस | दक्षिणी हल्की मिट्टी |
| एसबीएस | दक्षिणी काली मिट्टी |
| एसटीएल | मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला |
| टीबीएस | पारंपरिक काली मिट्टी |
| टीओएलऐसी | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति |
| टीक्यूसी | तम्बाकू गुणवत्ता मंडल |
| यूएइ | संयुक्त अरब अमीरात |
| यूके | यूनाइटेड किंगडम |
| यूएस | अमेरिका |

# Indian tobaccos
# The true essence of quality

Amazing range

- Flue Cured Tobaccos
  - Neutral fillers from Mysore and Southern Light Soils
  - Semi flavourful and flavourful tobaccos from Northern Light Soil areas.
  - Quality fillers from Traditional Black Soils
- Quality neutral filler and semi flavourful Burley grown under monsoon conditions
- Choice of Air Cured tobaccos suitable for various blends.
- Dark Fire Cured and Oriental tobaccos of good quality

*State-of-the-Art processing plants to meet exacting international processing specifications.*
*Quality assurance of international standards ensuring best quality of end product*
*Organic tobacco production - Environment sustainability*

***Preferred Choice of the Discerning Customers Around the World***

तम्बाकू बोर्ड भारत
TOBACCO BOARD INDIA
An ISO 9001 : 2015
Certified Organisation

**Tobacco Board India**
Ministry of Commerce & Industry,
Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A.P.) India.
Ph : +91 0863 2358399, 2358499
E-mail : info@tobaccoboard.co.in
Website : www.tobaccoboard.com

तम्बाकू बोर्ड भारत

TOBACCO BOARD INDIA


**भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,**
**वाणिज्य विभाग,**
**पो.बॉ.सं 322, जी.टी. रोड, गुण्टूर - 522 004**
**आन्ध्र प्रदेश, भारत**
**फोन : 0863 2358399, 2358499**
**ईमेईल : info@tobaccoboard.co.in**
**वेबसाईट : www.tobaccoboard.com**